



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विनियोग लेखे
APPROPRIATION ACCOUNTS

2014-15

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	(i)
विनियोग लेखों का सारांश 2014-15	(ii)
लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र	(viii)
विनियोग लेखे	
1. अनुदान संख्या 1 – विधान सभा	1
2. अनुदान संख्या 2 – सामान्य प्रशासन	2
3. अनुदान संख्या 3 – न्याय प्रशासन	5
4. अनुदान संख्या 4 – वित्त	9
5. अनुदान संख्या 5 – गृह	14
6. अनुदान संख्या 6 – शिक्षा	16
7. अनुदान संख्या 7 – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	27
8. अनुदान संख्या 8 – समाज कल्याण	40
9. अनुदान संख्या 9 – उद्योग	53
10. अनुदान संख्या 10 – विकास	58
11. अनुदान संख्या 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण	72
12. अनुदान संख्या 12- सरकारी कर्मचारियों को ऋण	94
13. सार्वजनिक ऋण	95
14. अनुदान संख्या 13- पेंशन	97
15. अनुबन्ध 'क'	98

TABLE OF CONTENTS

	Page No.
INTRODUCTORY	(i)
SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS 2014-15	(ii)
AUDIT CERTIFICATE	(viii)
APPROPRIATION ACCOUNTS	
1. GRANT NO.1 – LEGISLATIVE ASSEMBLY	1
2. GRANT NO.2 – GENERAL ADMINISTRATION	2
3. GRANT NO.3 – ADMINISTRATION OF JUSTICE	5
4. GRANT NO.4 – FINANCE	9
5. GRANT NO.5 – HOME	14
6. GRANT NO.6 – EDUCATION	16
7. GRANT NO.7 – MEDICAL AND PUBLIC HEALTH	27
8. GRANT NO.8 – SOCIAL WELFARE	40
9. GRANT NO.9 – INDUSTRIES	53
10. GRANT NO.10 – DEVELOPMENT	58
11. GRANT NO.11 – URBAN DEVELOPMENT & PUBLIC WORKS	72
12. GRANT NO.12 – LOANS TO GOVERNMENT SERVANTS	94
13. PUBLIC DEBT	95
14. GRANT NO.13 – PENSIONS	97
15. ANNEXURE-A	98

प्रस्तावना

इस संकलन में, 2014-15 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा खर्च की गई राशियों के विनियोग लेखे, जिनकी तुलना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 की धारा 29 एवं 30 के अन्तर्गत विनियोग के साथ लगी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अनेक राशियों से की गई हैं। इन लेखों में :-

“मू.” का तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोग से है।

“पू.” का तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है।

“पु.” का तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये पुनर्विनियोगों, निकासियों अथवा अभ्यर्पण से है।

प्रभारित विनियोगों और व्यय को रेखांकित किया गया है।

INTRODUCTORY

This compilation containing the Appropriation Accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year 2014-15 presents the accounts of sums expended during the period compared with the Appropriation Acts passed under sections 29 and 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

In these Accounts: -

“O” Stands for original grant or appropriation

“S” Stands for supplementary grant or appropriation

“R” Stands for re-appropriation, withdrawals or surrenders sanctioned by the competent authority.

Charged appropriations and expenditure have been underlined.

विनियोग लेखों का सार
SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS

2014-15

वर्ष 2014-15 के विनियोग लेखों का सार
SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS 2014-15

अनुदान या विनियोग की संख्या No. & Name of Grant or Appropriation	अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation		व्यय Expenditure		बचत Savings		अधिक व्यय Excess				
			राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	
											(In thousand of rupees)
1-विधान सभा Legislative Assembly	प्रभारित स्वीकृत	Charged Voted	<u>8100</u> 170000	<u>0</u> 0	<u>3454</u> 123817	<u>0</u> 0	<u>-4646</u> -46183	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
2-सामान्य प्रशासन General Administration	प्रभारित स्वीकृत	Charged Voted	<u>97750</u> 1407350	<u>0</u> 0	<u>77631</u> 968998	<u>0</u> 0	<u>-20119</u> -438352	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
3-न्याय प्रशासन Admn. of Justice	प्रभारित स्वीकृत	Charged Voted	<u>1613350</u> 6143300	<u>0</u> 20700	<u>1542157</u> 4984936	<u>0</u> 12817	<u>-71193</u> -1158364	<u>0</u> -7883	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
4-वित्त Finance	प्रभारित स्वीकृत	Charged Voted	<u>50</u> 2167850	<u>0</u> 240100	<u>45</u> 1537811	<u>0</u> 45664	<u>-5</u> -630039	<u>0</u> -194436	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
5-गृह Home	प्रभारित स्वीकृत	Charged Voted	<u>5200</u> 4096369	<u>0</u> 0	<u>468</u> 3514105	<u>0</u> 0	<u>-4732</u> -582264	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	

अनुदान या विनियोग की संख्या No. & Name of Grant or Appropriation			अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation		व्यय Expenditure		बचत Savings		अधिक व्यय Excess	
			राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital
6- शिक्षा Education	प्रभारित स्वीकृत	Charged Voted	3100 57419463	0 2196000	1468 51627313	0 340412	-1632 -5792150	0 -1855588	0 0	0 0
7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य Medical & Public Health	प्रभारित स्वीकृत	Charged Voted	9275 37119986	0 11500	425 31147455	0 9649	-8850 -5972531	0 -1851	0 0	0 0
8- समाज कल्याण Social Welfare	प्रभारित स्वीकृत	Charged Voted	0 35440700	0 15070600	0 32610785	0 7644932	0 -2829915	0 -7425668	0 0	0 0
9- उद्योग Industries	प्रभारित स्वीकृत	Charged Voted	8540 2739723	0 718700	8090 1816168	0 328444	-450 -923555	0 -390256	0 0	0 0
10- विकास Development	प्रभारित स्वीकृत	Charged Voted	1820 19001690	1600 3973600	397 16649394	0 2662833	-1423 -2352296	-1600 -1310767	0 0	0 0

(In thousand of rupees)

अनुदान या विनियोग की संख्या No. & Name of Grant or Appropriation	अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation	व्यय Expenditure		बचत Savings		अधिक व्यय Excess		
		राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	
(In thousand of rupees)								
11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग Urban Development & PWD	प्रभारित स्वीकृत Charged Voted	400 77459800	0 53285300	261 61550491	0 49810445	-139 -15909309	0 -3474855	0 0
12- सरकारी कर्मचारियों को ऋण Loans to Govt. Servants	स्वीकृत Voted	0	25000	0	7057	0	-17943	0
सार्वजनिक ऋण Public Debt	प्रभारित Charged	32795400	16767500	27739984	13467245	-5055416	-3300255	0
13- पेंशन Pensions	स्वीकृत Voted	1160000	0	6313	0	-1153687	0	0
योग Total	प्रभारित स्वीकृत Charged Voted	34542985 244326231	16769100 75541500	29374380 206537586	13467245 60862253	-5168605 -37788645	-3301855 -14679247	0 0

विनियोग लेखों का सार (जारी)

चूंकि अनुदान और विनियोग की कुल आवश्यक राशियों के लिए उनके सामने दर्शाये गये आंकड़े वसूलियों में शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटा कर समायोजित किया जाता है, निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखों में दिखाये गये हैं । 2014-15 के विनियोग लेखों एवं वित्त लेखों के अनुसार कुल व्यय का मिलान निम्न प्रकार से दर्शाया गया है :-

	राजस्व	पूंजीगत	कुल
	(हजार रूपयों में)		
प्रभारित :-			
विनियोग लेखों के अनुसार	2937,43,80	1346,72,45	4284,16,25
कुल खर्च			
घटायें-परिशिष्ट 'क' में दिखाई गई कुल वसूलियां	4,82	0	4,82
वित्त लेखों की विवरणी संख्या - 8 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	2937,38,98	1346,72,45	4284,11,43
स्वीकृत :-			
विनियोग लेखों के अनुसार कुल खर्च	20653,75,86	6086,22,53	26739,98,39
घटायें-परिशिष्ट 'क' में दिखाई गई कुल वसूलियां	81,65,52	2,34,28	83,99,80
वित्त लेखों की विवरणी संख्या - 8 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	20572,10,34	6083,88,25	26655,98,59

SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS – Contd...

As the grants and appropriations are the gross amounts required for expenditure, the expenditure figures shown against them do not include recoveries, which are adjusted in the accounts as reduction of expenditure. The net expenditure is shown in the Finance Accounts.

The reconciliation between the total expenditure according to the Appropriation Accounts for 2014-15 and that shown in the Finance Accounts for the year are as shown below: -

	Revenue	Capital	Total
			(In thousands of rupees)
<u>Charged</u>			
Total expenditure according to Appropriation Accounts	2937,43,80	1346,72,45	4284,16,25
Deduct – Total Recoveries Shown in Annexure-A	4,82	0	4,82
Net total expenditure as shown in Statement No.8 of Finance Accounts	2937,38,98	1346,72,45	4284,11,43
<u>Voted</u>			
Total expenditure according to Appropriation Accounts	20653,75,86	6086,22,53	26739,98,39
Deduct – Total Recoveries Shown in Annexure-A	81,65,52	2,34,28	83,99,80
Net total expenditure as shown in Statement No.8 of Finance Accounts	20572,10,34	6083,88,25	26655,98,59

विनियोग लेखों का सार (समापन)

मैं, अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखों में शामिल कुल व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है ।



(प्रकाश चन्द)

लेखा नियन्त्रक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

नई दिल्ली

दिनांक.....

प्रतिहस्ताक्षरित



(एस. एन. सहाय)

प्रधान सचिव (वित्त)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

नई दिल्ली

दिनांक.....

Summary of Appropriation Accounts...concluded

Certified to the best of my knowledge and belief that all expenditure included in the Appropriation Accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year 2014-15 has been sanctioned by the competent authority.



(PARKASH CHAND)
Controller of Accounts
Government of N.C.T. of Delhi

New Delhi:

Dated: _____

Countersigned



(S.N. SAHAI)
Principal Secretary (Finance)
Government of N.C.T. of Delhi

New Delhi:

Dated: _____

विनियोग लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम की धाराओं 29 व 30 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में इस वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखे इस वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे प्रस्तुत करते हैं, साथ ही ये राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणाम, लोक ऋण के लेखाओं और लेखाओं में दर्ज शेषों के आधार पर निकाली गई देयताओं और परिसम्पत्तियों को भी प्रदर्शित करते हैं, जिन्हे एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम की धारा 48 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय के माध्यम से की जाती है।

यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानदण्डों के अनुसार की गई थी। इन मानदण्डों में यह अपेक्षित है कि हम समुचित आश्वासन प्राप्त करने, कि लेखे सामग्री मिथ्याकथन से मुक्त हैं, के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा किए गए प्रकटनों से संगत साक्ष्य की नमूना आधार पर जांच शामिल है।

मेरे अधिकारियों द्वारा वांछित तथा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप तथा उपरोक्त स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपनी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धाराओं 29 व 30 द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में व्ययित राशि के लेखों को सही तथा स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

Certificate of the Comptroller and Auditor General of India on
Appropriation Accounts

This compilation containing the Appropriation Accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year ending March 2015 presents the accounts of the sums expended in the year compared with the sums specified in the schedules appended to the Appropriation Acts passed under Section 29 and Section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991. The Finance Accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year showing the receipts and disbursements of the government for the year together with the financial results disclosed by the revenue and capital accounts, the accounts of the public debt and the liabilities and assets as worked out from the balances recorded in the accounts are presented in a separate compilation.

The audit of these Accounts is independently conducted through the office of the Principal Accountant General (Audit), Delhi, in accordance with the requirements of Articles 149 of the Constitution of India, Section 48 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, and the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, for expressing an opinion on these accounts based on the results of such audit.

The audit was conducted in accordance with the Auditing Standards generally accepted in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance that the accounts are free from material misstatement. The audit includes examination, on a test basis, of evidence relevant to the amounts and disclosures in the financial statements.

On the basis of the information and explanations that my officers required and have obtained, and according to the best of my information as a result of test audit of the accounts and on consideration of explanations given, I certify that, to the best of my knowledge and belief, the Appropriation Accounts read with observations in this compilation give a true and fair view of the accounts of the sums expended in the year ended March 2015 compared with the sums specified in the schedules appended to the Appropriation Acts passed by the Legislative Assembly of NCT of Delhi under Section 29 and Section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

दिनांक:

स्थान: नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

Points of interest arising from study of these accounts as well as test audit conducted during the year or earlier years are contained in my Reports on the Government of National Capital Territory of Delhi being presented separately for the year ended March 2015.

Date :

Place : New Delhi

(SHASHI KANT SHARMA)

Comptroller and Auditor General of India

अनुदान संख्या 1 – विधान सभा

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित	81.00	34.54	-46.46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-24.00
स्वीकृत	17,00,00	12,38,17	-4,61,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-3,13,00
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में कुल 46.46 लाख रूपये की बचत थी जोकि सम्पूर्ण विनियोजन का 57.36 प्रतिशत थी ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 461.83 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 27.17 प्रतिशत थी । 45 लाख रूपये का प्रावधान 1 उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मुख्यशीर्ष "2011"

क. 1 – संसद/राज्य/संघ क्षेत्र विधान मण्डल

मू	1655.00)			
पु	-290.50)	1364.50	1238.17	-126.33

बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्ष के अंतर्गत हुई :-

- मुख्यशीर्ष "2011" – संसद/राज्य/संघ क्षेत्रों के विधान – राज्य/संघ क्षेत्र विधान – (क) विधान मंडल – सदस्य – 262.96 लाख रूपये की बचत (925.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान, की तुलना में) मुख्यतः कम यात्राओं, सदस्यों से कम दावों की प्राप्ति तथा विधानसभा भंग होने के कारण हुई ।

(ख) विधान मंडल – 153.87 लाख रूपये की बचत (730.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, दावों की कम प्राप्ति एवं कम विदेश यात्राओं तथा कार्यक्रमों पर कम खर्च के कारण हुई ।

GRANT NO. 1 – LEGISLATIVE ASSEMBLY

	Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)			
REVENUE			
<u>Charged –</u>	81.00	34.54	-46.46
Amount surrendered during the year			-24.00
<u>Voted –</u>	17,00.00	12,38.17	-4,61.83
Amount surrendered during the year			-3,13.00

Notes and Comments

In the **Charged** portion of Revenue Section of the grant, there was overall saving of ₹46.46 lakhs, which constituted 57.36% of the total appropriation.

In the **Voted** portion of the Revenue Section of the grant, there was overall saving of ₹461.83 lakhs, which constituted 27.17% of the total sanctioned provision. Provision of ₹45.00 lakhs wholly unutilized under one sub-head.

Saving / Excess occurred mainly under the following Major Head: –

(In lakh of rupees)

Major Head “2011”

A.1- Parliament/State/Union
Territory Legislatures

O.	1655.00)			
R.	-290.50)	1364.50	1238.17	-126.33

Saving occurred mainly under the following sub-heads: -

1. Under Major Head “2011” – Parliament/State/Union Territory Legislatures – State/Union Territory Legislature – (a) Legislative Assembly – Members – Saving of ₹262.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹925.00 lakhs) was mainly due to less tours, receipt of less claims of Members and due to dissolution of Vidhan Sabha.

(b) Legislative Assembly - Savings of ₹153.87 lakhs (against the sanctioned provision of 730.00 lakhs) due to non filling of vacant posts, receipt of less claims, less foreign tours and less expenditure on functions etc.

अनुदान संख्या 2 – सामान्य प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोजन		वास्तविक व्यय		बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)					
राजस्व					
प्रभारित –					
मूल	9,72,20)				
पूरक	5,50)	9,77,50	7,76,31		-2,01,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					
					-77,30
स्वीकृत –					
मूल	125,35,00)				
पूरक	15,38,50)	140,73,50	96,89,98		-43,83,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					
					-9,97,70

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 201.19 लाख रूपये की बचत थी जोकि सम्पूर्ण विनियोजन का 20.58 प्रतिशत थी । 5.50 लाख रूपये का प्रावधान एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा ।

बचत/अधिक कम मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मुख्य शीर्ष "2070"

स.2- अन्य प्रशासनिक सेवायें

मू	350.00)				
पू	-239.50)	110.50	96.99		-13.51

बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

- मुख्यशीर्ष "2070" – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – विशेष जांच आयोग – लोकायुक्त – 253.01 लाख रूपये की बचत (350.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लोकायुक्त का पद रिक्त होने एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण हुई ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 4383.52 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 31.14 प्रतिशत थी ।

GRANT NO. 2 – GENERAL ADMINISTRATION

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)				
REVENUE				
Charged –				
Original	9,72,00)			
Supplementary	5,50)	9,77,50	7,76,31	-2,01,19
Amount surrendered during the year				-77,30
Voted –				
Original	125,35,00)			
Supplementary	15,38,50)	140,73,50	96,89,98	-43,83,52
Amount surrendered during the year				-9,97,70

Notes and Comments

In the Charged portion of Revenue Section of the grant, the overall saving of ₹201.19 lakhs constituted 20.58% of the sanctioned appropriation. Provision of Rs 5.50 lakhs wholly unutilized under one sub head.

Saving / Excess occurred mainly under the following Major Heads:-

(In lakh of rupees)				
Major Head “2070”				
C.2 – Other Administrative Services				
O.	350.00)			
S.	-239.50)	110.50	96.99	-13.51

Saving occurred mainly under the following Sub Head: –.

- Under Major Head “2070” – Other Administrative Services – Special Commission of Enquiry – Lokayukta – Saving of ₹253.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350.00 lakhs) was mainly due to vacant post of Lokayukta & transfer of staff.

In the Voted portion of Revenue Section of the grant, the overall saving of ₹4383.52 lakhs constituted 31.14% of the total sanctioned provision.

1448.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान दो उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा । जिसमें 1443.00 लाख रुपये की राशि शामिल है । मुख्य शीर्ष "2055" - पुलिस - पुलिसकर्मियों का कल्याण - अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग प्रणाली के लिए पुलिस सेवा सोसायटी, दिल्ली को कम्प्यूटरीकरण के लिए सहायता अनुदान (सीएसएस) - सहायता अनुदान सामान्य - सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मुख्यशीर्ष	मू	पू	पु	
"2013"				
ब. 1 - मंत्रियों का समूह				
मू	779.00)			
पू	-509.00)	270.00	193.48	-76.52
"2052"				
स. 1 - सचिवालय सामान्य सेवायें				
मू	4951.50)			
पू	-586.00)	4365.50	3951.29	-414.21
"2220"				
द. 1 - सूचना एवं प्रसारण				
मू	2377.00)			
पू	29.00)	2406.00	1450.11	- 955.89
"2052"				
स. 1 - सचिवालय सामान्य सेवायें				
मू	780.00)			
पू	2.00)			
पु	-186.00)	596.00	409.84	-186.16

बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. मुख्यशीर्ष "2013" - मंत्री समूह - अन्य व्यय -398.97 लाख रुपये की बचत (509.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्यालय वस्तुओं पर कम व्यय, कम बिल/दावे प्राप्त होने एवं कम यात्राओं के कारण हुई।
2. मुख्यशीर्ष "2052" - सचिवालय सामान्य सेवाएं - (क) सचिवालय - मुख्य सचिवालय -414.50 लाख रुपये की बचत (2815.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान के अंतर्गत) मुख्यतः कम विदेश यात्राओं, बिलों की कम प्राप्ति तथा स्टाफ के अत्यधिक स्थानान्तरण के कारण हुई ।

Provision of ₹1448.00 lakhs remained wholly unutilised under two sub-heads. This includes an amount of ₹ 1443.00 under Major Head "2055" – Police – Welfare of Police Personnel – Grant in aid to Delhi computerisation of police service Society for Crime and Criminal Tracking System (CSS) – Grant in aid General – due to Sanction of the Competent Authority not received.

Saving / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

				(In lakh of rupees)
Major Head "2013"				
B.1 – Council of Ministers				
O.	779.00)			
R.	-509.00)	270.00	193.48	-76.52
Major Head "2052"				
C.1 – Secretariat. General Services				
O.	4951.50)			
R.	-586.00)	4365.50	3951.29	-414.21
Major Head "2220"				
F.1- Information & Publicity				
O.	2377.00)			
R.	29.00)	2406.00	1450.11	-955.89
Major Head "2052"				
H.1 - Secretariat General Services				
O.	780.00)			
S.	2.00)			
R.	-186.00)	596.00	409.84	-186.16

Savings occurred mainly under the following sub heads: –

1. **Under Major Head "2013" - Council of Ministers - Other Expenditure**
Savings of ₹398.97 lakhs (against the Sanctioned provision of ₹509.00 lakhs) was mainly due to less expenditure on office material, receipt of less bills / claims & less tours.
2. **Under Major Head "2052"- Secretariat General Services - Secretariat –**
(a) **Chief Secretariat - Savings of ₹414.50 lakhs (against the Sanctioned provision of ₹2815.50 lakhs) was mainly due to less foreign tours, receipt of less claims and massive transfer of staff.**

(ख) गृह विभाग - 101.05 लाख रुपये की बचत (450.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली में राष्ट्रपति शासन होने के कारण कम व्यय होने के कारण हुई ।

(ग) मंत्री समूह का कार्यालय - 310.59 लाख रुपये की बचत (630.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, सरकार के न होने तथा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन होने के कारण, कम व्यय होने के कारण हुई ।

(घ) सुरक्षा व्यवस्था - 117.03 लाख रुपये की बचत (653.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के कारण हुई ।

3. मुख्यशीर्ष "2220" - सूचना एवं प्रसारण - फिल्म - निर्देशन एवं प्रशासन - जन सम्पर्क निदेशालय - 921.89 लाख रुपये की बचत (2372.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं कम यात्राओं के कारण हुई ।

4. मुख्यशीर्ष "2052" - सचिवालय सामान्य सेवायें - सचिवालय - सामाजिक सुविधा संगम को सहायता अनुदान - 414.85 लाख रुपये की बचत (600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान दिये जाने, रिक्त पदों के भरे न जाने एवं तैयार बिलों को भुगतान के लिए प्रस्तुत न किये जाने के कारण हुई ।

इसके अतिरिक्त 322.81 लाख रुपये की बचत चार उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

(b) Home Department - Savings of ₹101.05 lakhs (against the Sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was mainly due to President Rule in Delhi, expenditure became less.

(c) Office of the Council of Ministers - Savings of ₹310.59 lakhs (against the Sanctioned provision of ₹630.00 lakhs) was mainly due to vacancies, non-existing of government and expenditure became less due to President Rule in Delhi.

(d) Security Arrangements – Savings of ₹117.03 lakhs (against the Sanctioned provision of ₹653.00 lakhs) was mainly due to vacancies.

3. Under Major Head “2220” – Information & Publicity – Films – Direction & Administration – Public Relation Directorate. – Saving of ₹921.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2372.00 lakhs) was mainly due to vacancies, receipt of less claims / bills & less tours.

4. Under Major Head “2052” – Secretariat General Services – Secretariat – GIA to Samajik Suvidha Sangam - Savings of ₹414.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was mainly due to release of less grant, non-filling of posts and bills processed did not materialize for payment.

Further saving of ₹322.81 lakhs remained under four sub-heads which exceeds ₹50.00 lakhs but less than ₹1.00 crore.

GRANT NO. 3 – ADMINISTRATION OF JUSTICE

	Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)			
REVENUE			
Charged –	<u>161,33.50</u>	<u>154,21.57</u>	<u>-7,11,93</u>
Amount surrendered during the year			<u>-4,99,50</u>
Voted -			
Original 528,46,40)			
Supplementary 85,86,60)	614,33,00	498,49,36	-115,83,64
Amount surrendered during the year			NIL
CAPITAL			
Voted -	2,07,00	1,28,17	-78,83
Amount surrendered during the year			-2,00

Notes and Comments

In the Charged portion of Revenue Section of the grant, the overall saving of ₹711.93 lakhs constituted 4.41% of the sanctioned appropriation. Provision of ₹10.00 lakh remained wholly unutilized under one sub-head.

Saving / Excess occurred mainly under the following Major Head: –

(In lakh of rupees)

Major Head “2014”

A.1- Administration of Justice

O. 16123.50

R. -499.50

15624.00

15421.57

-202.43

Saving occurred mainly under the following sub-head: –

1. Under Major Head “2014” – Administration of Justice – High Court – Direction and Administration – Savings of ₹537.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15742.86 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, less foreign tours & less claims.

इसके अतिरिक्त 164.23 लाख रुपये की बचत दो उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 11583.64 लाख रुपये की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण प्रावधान का 18.85 प्रतिशत थी । 5.60 लाख रुपये का प्रावधान एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

मुख्यशीर्ष "2014"

अ.1- न्याय प्रशासन

मू.	786.50)			
पू.	-368.50)	418.00	281.24	-136.76

ब. 1 - न्याय प्रशासन

मू.	40609.50)			
पू.	6735.50)			
पु.	1600.51)	48945.51	39719.44	-9226.07

स. 1 - न्याय प्रशासन

मू.	3294.60)			
पू.	3.10)			
पु.	34.30)	3332.00	3091.83	-240.17

मुख्यशीर्ष "2015"

द. 1 - चुनाव

मू.	5562.90)			
पू.	1848.00)			
पु.	-1124.90)	6286.00	4408.33	-1877.67

बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2014" - न्याय प्रशासन - (अ) उच्च न्यायालय - दिल्ली न्यायिक अकादमी - निर्देशन एवं प्रशासन - 505.26 लाख रुपये की बचत (786.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः शिक्षकों के नियुक्त न होने, कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं का निर्माण न होने, सुरक्षा एवं गृह प्रस्तावों के पूर्ण न होने एवं मानदेय कम दिये जाने के कारण हुई।**

(ब) जिला एवं सत्र न्यायालय - सत्र न्यायालय - 6949.07 लाख रुपये की बचत (42358.24 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 6735.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः टेन्डरों के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने, सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने एवं प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

Further savings of ₹164.28 lakhs remained under two sub heads which exceeds ₹ 50.00 lakhs but less than ₹1.00 Cr.

In the Voted portion of Revenue Section of the grant, the overall saving of ₹11583.64 lakhs constituted 18.85% of the total sanctioned provision. Provision of ₹5.60 lakhs remained wholly unutilized under one sub-head.

Saving / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Major Head “2014”

A.1-Administration of Justice

O.	786.50)			
R.	-368.50)	418.00	281.24	-136.76

B.1-Administration of Justice

O.	40609.50)			
S.	6735.50)			
R.	1600.51)	48945.51	39719.44	-9226.07

E.1-Administration of Justice

O.	3294.60)			
S.	3.10)			
R.	34.30)	3332.00	3091.83	-240.17

Major Head “2015”

F.1-Election

O.	5562.90)			
S.	1848.00)			
R.	-1124.90)	6286.00	4408.33	-1877.67

Saving occurred mainly under the following sub-heads: –

1. Under Major Head “2014” – Administration of Justice – (A) High Court – Delhi Judicial Academy – Direction & Administration – Saving of ₹505.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹786.50 lakhs) was mainly due to non employment of faculty, computer laboratories could not be established, security & housing proposals not finalized & less payment of honorarium.

(B) Civil & Session Courts – Session Court – Saving of ₹6949.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42358.24 lakhs inclusive of supplementary provision of Rs 6735.50 lakhs) was mainly due to non finalization of tenders, non receipt of approval of the Competent Authority & non receipt of anticipated bills.

(स) फौजदारी अदालतें - न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अदालतें - 804.63 लाख रुपये की बचत (4776.76 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण एवं कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई ।

(द) पारिवारिक न्यायालय - पारिवारिक अदालतों का निर्माण - 149.77 लाख रुपये की बचत (1200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति न मिलने के कारण प्रस्तावों को अमल में नहीं लाया जा सका।

2. मुख्यशीर्ष "2015" - चुनाव - (अ) राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मण्डल के लिए चुनाव करवाने पर व्यय- (क) चुनावों पर व्यय - 127.12 लाख रुपये की बचत (2048.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1848.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः विकेन्द्रीकरण होने के कारण सभी संबंधित विभागों द्वारा अपना व्यय स्वयं करने के कारण हुई ।

(ख) मतदाता को मतदाता पहचान पत्र जारी करना - 554.08 लाख रुपये की बचत (1033.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विकेन्द्रीकरण होने के कारण सभी संबंधित विभागों द्वारा अपना व्यय स्वयं करने के कारण हुई ।

(ब) चुनाव अधिकारी - 185.03 लाख रुपये की बचत (829.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः एमसीडी, एनडीएमसी, डीटीसी एवं दिल्ली कैण्टोनमेंट बोर्ड से समाधान दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई ।

(स) मतदाता सूची को तैयार करना व छपवाना - 384.20 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विकेन्द्रीकरण होने के कारण सभी संबंधित विभागों द्वारा अपना व्यय स्वयं करने के कारण हुई ।

(द) संसद के चुनाव करवाने में हुआ व्यय - लोकसभा चुनाव - 1752.14 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विकेन्द्रीकरण होने के कारण सभी संबंधित विभागों द्वारा अपना व्यय स्वयं करने एवं कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई ।

इसके अतिरिक्त 226.48 लाख रुपये की बचत तीन उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थी:-

(C) Criminal Courts – Judicial Magistrate’s Courts – Saving of ₹804.63 lakhs (against the sanction provision of ₹4776.76 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims / bills.

(D) Family Courts – Establishment of family Courts – saving of ₹149.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was mainly due to proposals not materialized due to non-receipt of approval of the Competent Authority.

2. Under Major Head “2015” – Election – (A) Charges for conduct of Election to the State/UT Legislature – (a) Expenses on election – Saving of ₹127.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2048.00 lakhs inclusive of supplementary provision of Rs 1848.00 lakhs) was mainly due to expenditure incurred by the respective departments owing to decentralization.

(b) Issue of identity cards to voters– Saving of ₹554.08 lakhs (against the sanction provision of ₹1033.90 lakhs) was mainly due to expenditure incurred by the respective departments owing to decentralization.

(B) Electoral officers – Saving of ₹185.03 lakhs (against the sanction provision of ₹829.00 lakhs) was mainly due to non receipt of settlement claims from MCD, NDMC, DTC & Delhi Cantontment Board.

(C) Preparation & Printing of Electoral Rolls – Saving of ₹384.20 lakhs (against the sanction provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to expenditure incurred by the respective departments owing to decentralization.

(D) Charges for conduct of Election to Parliament – Loksabha Elections - Saving of ₹1752.14 lakhs (against the sanction provision of ₹3000.00 lakhs) was mainly due to expenditure incurred by the respective departments owing to decentralization & receipt of less claims / bills.

Further saving of ₹226.48 lakhs remained under three sub-heads which exceeds ₹50.00 lakhs but less than ₹1.00 crore.

The above savings were partly off-set by an excesses under the following sub-head.

1. मुख्यशीर्ष "2014" - न्याय प्रशासन - जिला एवं सत्र न्यायालय - जिला एवं सत्र न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण - 128.14 लाख रुपये का अधिक व्यय (210.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः जिला न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण में अधिक व्यय के कारण हुआ ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 78.83 लाख रुपये की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण प्रावधान का 38.08 प्रतिशत थी ।

इसके अतिरिक्त 78.83 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

1. Under Major Head "2014" – Administration of Justice – Civil & Session Courts – Computerization of District & Session Court – Excess of ₹128.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹210.00 lakhs) was mainly due to more expenditure on computerization of District Courts.

In the Voted portion of the Capital Section of the grant, the overall saving of ₹78.83 lakhs constituted 38.08% of the total sanctioned provision.

Further saving of ₹78.83 lakhs remained under one sub-head which exceeds ₹50.00 lakhs but less than ₹1.00 crore.

अनुदान संख्या 4 – वित्त

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित –	50	45	-05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं
स्वीकृत –			
मूल 216,74.50)			
पूरक 400)	216,78,50	153,78,11	-63,00,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-37,63,44
पूँजीगत			
स्वीकृत –	24,01,00	4,56,64	-19,44,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-6,00,00
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 0.05 लाख रूपये की कुल बचत थी जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 10 प्रतिशत थी ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 6300.39 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 29.06 प्रतिशत थी।

390.30 लाख रूपये की राशि आठ उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "3454" - जनसंख्या सर्वेक्षण व आंकड़े – सर्वेक्षण व आंकड़े – आर्थिक सलाह एवं सवेक्षण – (i) जनगणना पर खर्च – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण ।**

(ii) सांख्यिकीय सुदृढीकरण बनाने के लिए सहायता (सीएसएस) – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

GRANT NO. 4 – FINANCE

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)				
REVENUE				
<u>Charged</u>		<u>50</u>	<u>45</u>	<u>-05</u>
Amount surrendered during the year				<u>Nil</u>
Voted				
Original	216,74,50)			
Supplementary	4,00)	216,78,50	153,78,11	-63,00,39
Amount surrendered during the year				-37,63,44
CAPITAL				
Voted		24,01,00	4,56,64	-19,44,36
Amount surrendered during the year				-6,00,00

Notes and Comments

In the **Charged** portion of the Revenue Section of the grant, there was overall saving of ₹0.05 lakhs, which constituted 10% of the total sanctioned appropriation.

In the **Voted** portion of the Revenue Section of the grant, there was overall saving of ₹6300.39 lakhs, which constituted 29.06% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹390.30 lakhs remained wholly unutilised under eight sub-heads. This includes the following sub heads:

1 Under Major Head “3454”- Census Surveys & Statistics - Surveys & Statistics – Economics Advice and Statistics – (i) Expenses on Censes Work -due to non implementation of scheme.

(ii) Support for Statistical Strengthening (CSS) - due to non implementation of scheme.

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मुख्यशीर्ष "2054"

क. 1 - राजकोष एवं लेखा प्रशासन

मू.	6050.00)			
पु.	-2258.00)	3792.00	3136.90	-655.10

मुख्यशीर्ष "2016"

ख. 1 - लेखा परीक्षा

मू.	1090.00)			
पु.	-211.00)	879.00	854.02	-24.98

मुख्यशीर्ष "3451"

ग. 1 - सचिवालय आर्थिक सेवाएं

मू.	651.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-155.00)	497.00	478.47	-18.53

मुख्यशीर्ष "3454"

घ. 1 - जनसंख्या सर्वेक्षण व आंकड़े

मू.	1535.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-707.44)	828.56	704.20	-124.36

मुख्यशीर्ष "2039"

ड. 1 - राज्य उत्पाद शुल्क

मू.	2098.00)			
पू.	1.00)			
पु.	615.58)	2714.88	2269.66	-445.22

मुख्यशीर्ष "2040"

च. 1 - बिक्री कर

मू.	8197.50)			
पू.	1.00)			
पु.	-983.00)	7215.50	6563.97	-651.53

मुख्यशीर्ष "3454"

झ. 1 - जनगणना सर्वेक्षण एवं आंकड़े

मू.	1889.00)			
पु.	-81.00)	1808.00	1195.99	-612.01

Saving / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Major Head “2054”

A.1- Treasury & Accounts

Administration

O. 6050.00)

R. -2258.00) 3792.00 3136.90 -655.10

Major Head “2016”

B.1- Audit

O. 1090.00)

R. -211.00) 879.00 854.02 -24.98

Major Head “3451”

C.1- Secretariat Economic

Services

O. 651.00)

S. 1.00)

R. -155.00) 497.00 478.47 -18.53

Major Head “3454”

D.1- Census, Surveys & Statistics

O. 1535.00)

S. 1.00)

R. -707.44) 828.56 704.20 -124.36

Major Head “2039”

E.1- State Excise

O. 2098.30)

S. 1.00)

R. 615.58) 2714.88 2269.66 -445.22

Major Head “2040”

F.1- Sales-Tax

O. 8197.50)

S. 1.00)

R. -983.00) 7215.50 6563.97 -651.53

Major Head “3454”

I.1- Census, Surveys & Statistics

O. 1889.00)

R. -81.00) 1808.00 1195.99 -612.01

बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2054"** - राजकोष एवं लेखा प्रशासन - लेखा तथा राजकोष निदेशालय - (क) लेखा निदेशालय - 1093.92 लाख रुपये की बचत (3998.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावों की प्राप्ति तथा मितव्ययिता के उपायों के कारण हुई ।

(ख) अन्य व्यय - प्रधान लेखा कार्यालय - ई.डी.पी. प्रकोष्ठ -1819.18 लाख रुपये की बचत (2052.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः परियोजना की धीमी गति एवं कुछ योजनाओं के अमल में न आने के कारण एवं मितव्ययिता के उपायों को अपनाने के कारण हुई ।
2. **मुख्यशीर्ष "2016"** - लेखा परीक्षा - सिविल लेखा परीक्षा व लेखा कार्यालय -लेखा परीक्षा निदेशालय -235.98 लाख रुपये की बचत (1090.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई ।
3. **मुख्यशीर्ष "3451"** - सचिवालय आर्थिक सेवाएँ - जिला योजना मशीनरी - योजना एवं मूल्यांकन विभाग - 173.03 लाख रुपये की बचत (651.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं कम दावा/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई ।
4. **मुख्यशीर्ष "3454"** - जनसंख्या सर्वेक्षण व आंकड़े - सर्वेक्षण व आंकड़े - (i) वित्तीय सलाह व सांख्यिकी - आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय - 176.04 लाख रुपये की बचत (756.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई ।

(ii) आंकड़ों के तरीकों में सुधार - 276.93 लाख रुपये की बचत (290.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति एवं भारत सरकार से फंड देरी से प्राप्त होने के कारण हुई ।
5. **मुख्यशीर्ष "2039"** - राज्य उत्पाद शुल्क - निर्देशन एवं प्रशासन - (अ) जिला कार्यकारी कार्यालय - 357.82 लाख रुपये की बचत (880.25 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं प्रचार एवं प्रसार पर कम खर्च करने के कारण हुई ।

(ब) अन्य व्यय - उत्पाद एवं मनोरंजन विभाग - 173.54 लाख रुपये की बचत (554.60 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई ।

Saving occurred mainly under the following heads: -

1. Under Major Head "2054" - Treasury and Accounts Administration - Directorate of Accounts & Treasuries - (a) Directorate of Accounts - Saving of ₹1093.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3998.00 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims and economy measures.

(b) Other Expenditure - Principal Accounts Office - EDP Cell - Saving of ₹1819.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2052.00 lakhs) was mainly due to slow progress of scheme & certain projects not materialized & economy measures.

2. Under Major Head "2016" - Audit - Civil Audit and Accounts Office - Directorate of Audit - Saving of ₹235.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1090.00 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts & receipt of less claims / bills.

3. Under Major Head "3451" - Secretariat Economic Services- District Planning Machinery - Planning & Evaluation Department - savings of ₹173.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹651.50 lakhs inclusive of supplementary provision of Rs. 1.00 lakhs) was mainly due to vacancies & less claim / bills.

4. Under Major Head "3454" - Census, Surveys & Statistics - Surveys & Statistics - Economic Advice and Statistics - (i) Directorate of Economics Statistics) - Saving of ₹176.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹756.00 lakhs) was mainly due to vacancies & receipt of less claims / bills.

(ii) Improvement of Statistical System - Saving of ₹276.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹290.00 lakhs) was mainly due to slow progress of scheme and late receipt of funds from Govt. of India.

5. Under Major Head "2039" - (A) State Excise - Direction & Administration - District Executive Establishment - Saving of ₹357.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹880.25 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, less claims / bills receipt & less expenditure on advertisement & publicity.

(B) Other Expenditure - Excise and Entertainment Department - saving of ₹173.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹554.60 Lakhs) was mainly due to vacancies and less claims / bills.

6. **मुख्यशीर्ष "2040"**— बिक्रीकर — (अ) संग्रह प्रभार — 934.47 लाख रुपये की बचत (5191.98 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, सुरक्षा कर्मियों को भुगतान न करने एवं टेण्डरों के अंतिम रूप से अमल में न लाने के कारण हुई ।

(ब) अन्य व्यय — (क) आधुनिक कार्यालय परिवेश का निर्माण — 242.73 लाख रुपये की बचत (250.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ख) प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रचार एवं जागरूकता अभियान — 251.77 लाख रुपये की बचत (350.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः जीएसटी योजना के लागू न होने के कारण हुई ।

(ग) वैट विभाग के प्रशासन विभाग में ढांचागत बदलाव — 159.68 लाख रुपये की बचत (835.93 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रचार एजेन्सियों तथा वाहनों के बिलों का भुगतान किन्हीं प्रशासकीय कारणों से न किये जाने के कारण हुई ।

(घ) कम्प्यूटरीकरण के तरीके — 225.79 लाख रुपये की बचत (984.54 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं प्रस्तावों के अंतिम रूप से अमल में न आने के कारण हुई ।

7. **मुख्यशीर्ष "3454"**— जनसंख्या सर्वेक्षण व आंकड़े — सर्वेक्षण व आंकड़े — अन्य व्यय — (i) ई-शासन — 161.19 लाख रुपये की बचत (425.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः जीवन योजना के बन्द होने एवं अदायगी न होने के कारण हुई ।

(ii) दिल्ली के लिए जियो स्पेशल आंकड़ों को तैयार करना — 315.00 लाख रुपये की बचत (565.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

इसके अतिरिक्त 234.61 लाख रुपये की बचत तीन उपशीर्षों के अन्तर्गत थी जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गयी थी ।

6. **Under Major Head "2040" – Sales Tax – (A) Collection Charges -** Saving of ₹934.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5191.98 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims / bills, payment not released to security guard & non finalization of tenders.

(B) Other Expenditure – (a) Creation of Modern Office Environment - Saving of ₹242.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) was mainly due to slow progress of scheme.

(b) Publicity & awareness campaign through print & electronic media - Saving of ₹251.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350.00 lakhs) was mainly due to non implementation of GST scheme.

(c) Structural Changes in VAT Department's Administration - Saving of ₹159.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹835.93 lakhs) was mainly due non release of payment to advertising agencies & bills for hiring of vehicles due to some administration reasons.

(d) Computerization system - Saving of ₹225.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹984.54 lakhs) was mainly due to vacancies, less receipts of claims / bills and non finalization of proposals.

7. **Under Major Head "3454"- Census Survey & Statistics - Survey & Statistics – Other Expenditure – (i) e- Governance -**Saving of ₹161.19 lakhs.(against the sanctioned provision of ₹425.00 lakhs) was mainly due to Jeevan Project closed and payment not made.

(ii) Preparation of Geo-spatial data base for Delhi -Saving of ₹315.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹565.00lakhs) was mainly due to slow progress of work.

Further, Saving of ₹234.61 lakhs remained under three sub-heads which exceeds ₹50.00 lakhs but less than ₹1.00 crore.

The above savings were partly off-set by an excesses under the following sub-heads: -

1. मुख्यशीर्ष "2039" - राज्य उत्पाद शुल्क - अन्य व्यय - उत्पाद एवं मनोरजन विभागों का स्वचालन - 794.80 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय (351.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः टीसीएस के प्रतिबद्ध व्यय के कारण हुआ।
2. मुख्यशीर्ष "2040" - बिक्रीकर - निर्देशन एवं प्रशासन - 373.32 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय (295.85 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक दावों एवं विभाग के बिजली बिलों के भुगतान के कारण हुआ।

पूँजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 1944.36 लाख रुपये की कुल बचत थी जो कि कुल स्वीकृत प्रावधान का 80.98 प्रतिशत थी।

1901.00 लाख रुपये की राशि दो उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। इसमें 1900.00 लाख रुपये की राशि मुख्यशीर्ष "4059" के अंतर्गत शामिल है - सार्वजनिक कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय - कार्यालय भवन - निर्माण - व्यापार एवं कर विभाग भवन - योजना की धीमी प्रगति के कारण हुई।

- 1 **Under Major Head "2039" – State Excise – Other Expenditure – Automation of the office of Excise and Entertainment Department - Excess of ₹794.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹351.00 Lakhs inclusive of supplementary provision of Rs. 1.00 lakhs) was mainly due to committed expenditure of TCS.**
- 2 **Under Major Head "2040" – Sales Tax – Direction & Admn– Excess of ₹373.32 lakhs (against the provision of ₹295.85 lakhs inclusive of supplementary provision of Rs. 1.00 lakhs) was mainly due to more claims & payment of electricity bills of Department.**

In the Voted portion of the Capital section of the grant, there was overall saving of ₹1944.36 lakhs, which constituted 80.98% of the total sanction provision.

An amount of ₹1901.00 lakhs remained wholly unutilized under two sub-heads. This includes an amount of Rs 1900.00 lakhs under Major Head "4059" – Capital Outlay on Public Works – Office Building – Construction – Trade & Taxes Annexies Building – due to slow progress of scheme.

अनुदान संख्या 5 – गृह

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित –	52.00	4.68	-47.32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-12.00
स्वीकृत –			
मूल 401,46,69)			
पूरक 8,17,00)	409,63,69	351,41,05	-58,22,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-24,85,00
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 47.32 लाख रूपये की कुल बचत थी जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 91 प्रतिशत थी । 2.00 लाख रूपये की राशि एक उपशीर्ष के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 5822.64 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 14.21 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मुख्यशीर्ष "2056"

क. 1 – कारागार

मू.	17245.00)			
पु.	803.00)			
पु.	446.00)	18494.00	18059.07	-434.93

मुख्यशीर्ष "2070"

ख. 1 – अन्य प्रशासनिक सेवायें

मू.	1518.00)			
पु.	14.00)			
पु.	-160.00)	1372.00	1184.13	- 187.87

GRANT NO. 5 – HOME

	Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)			
REVENUE			
Charged –	52.00	4.68	-47.32
Amount surrendered during the year			-12.00
Voted			
Original 401,46,69)			
Supplementary 8,17,00)	409,63,69	351,41,05	-58,22,64
Amount surrendered during the year			-24,85,00

Notes and Comments:

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, there was over all saving of ₹ 47.32 lakhs, which constituted of 91% of the sanctioned appropriation. An amount of ₹ 2.00 lakhs remained wholly unutilized under one sub-head.

In the **Voted portion of the Revenue Section** of the grant, there was overall saving of ₹5822.64 lakhs, which constituted 14.21% of the total sanctioned provision.

Saving occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Major Head “2056”

A.1-Jails

O. 17245.00)

S. 803.00)

R. 446.00)

18494.00 18059.07 -434.93

Major Head “2070”

B.1- Other Administrative Services

O. 1518.00)

S. 14.00)

R. -160.00)

1372.00 1184.13 -187.87

मुख्यशीर्ष "2070"

ग. 1 - अन्य प्रशासनिक सेवायें

मू.	14202.69)			
पु.	-907.00)	13295.69	11651.47	-1644.22

मुख्यशीर्ष "2055"

घ. 1 - पुलिस

मू.	4781.00)			
पु.	-2014.00)	2767.00	1923.53	-843.47

बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. मुख्यशीर्ष "2056" - कारागार - कारागार उत्पादन - 274.30 लाख रुपये की बचत (1650.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः टेण्डरों को अंतिम रूप से अमल में न लाने के कारण हुई।
2. मुख्यशीर्ष "2070" - अन्य प्रशासनिक सेवायें - (अ) नागरिक सुरक्षा - नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड - 347.87 लाख रुपये की बचत (1532.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 14.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे न जाने, होमगार्डों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी, प्रत्याशित बिल प्राप्त न होने एवं मानक भवन उसके स्वामी को सौंपने के कारण हुई।

(ब) अग्निशमन एवं नियंत्रण - बचाव एवं नियंत्रण - 2465.77 लाख रुपये की बचत (13565.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, मितव्ययिता के उपायों को अपनाने, खरीद प्रस्तावों को अंतिम रूप से अमल में न लाने एवं प्रशासनिक कारणों से कुछ बिलों का भुगतान न होने के कारण हुई।
3. मुख्यशीर्ष "2055" - पुलिस - अपराध विज्ञान - अपराध विज्ञान प्रयोगशाला - 2857.47 लाख रुपये की बचत (4781.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावों की प्राप्ति एवं टेण्डरों को अंतिम रूप से अमल में न लाने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 77.15 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अन्तर्गत थी जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गयी थी।

1. मुख्यशीर्ष "2056" - कारागार - निर्देशन एवं प्रशासन - कारागार प्रशासन- 285.37 लाख रुपये की बचत (16398.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 803.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः निम्नतम मजदूरी दर के पुनःनिर्धारण, अधिक बिलों की प्राप्ति, तमिलनाडु पुलिस के बिलों की अदायगी एवं कम्प्यूटरों की खरीद के कारण हुई।

Major Head "2070"

C.1- Other Administrative Services

O. 14202.69)

R. -907.00) 13295.69 11651.47 -1644.22

Major Head "2055"

D.1 - Police

O. 4781.00)

R. -2014.00) 2767.00 1923.53 -843.47

Saving occurred mainly under the following sub-heads: -

1. Under Major Head "2056" - Jails - Jail Manufacture - Saving of ₹274.30 lakh (against the sanctioned provision of ₹1650.00 lakhs) was mainly due to delay in finalization of tenders.

2. Under Major Head "2070" - Other Administrative Services - (A) Civil Defence - Civil Defence and Home Guards - Saving of ₹347.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1532.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹14.00 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, process of recruitment of home guards delayed, non receipt of anticipated bills & Manak Bhawan was surrender to its owner.

(B) Fire Protection and Control - Protection & Control - Saving of ₹2465.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13565.00 lakhs) was mainly due to vacancies, economy measures & non finalization of purchase proposals & non payment of certain bills due to administrative reasons.

3. Under Major Head "2055" - Police - Forensic Science - Forensic Science Laboratory - Saving of ₹2857.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4781.00 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims, & non finalization of tenders.

Further Saving of ₹77.15 lakhs remained under one sub-head which exceeds ₹50.00 lakhs but less than ₹1.00 Crore.

The above savings were party off set by excess under one head. This includes the following sub heads:-

1. Under Major Head "2056" - Jails - Direction & Administration - Jail Establishment - Excess of ₹285.37 lakh (against the sanctioned provision of ₹16398.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹803.00 lakhs) was mainly due to revision of rates of minimum wages, receipt of more bills, payment of bills of Tamil Nadu Police & procurement of computers.

अनुदान संख्या 6 – शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)	
(हजार रूपयों में)				
राजस्व				
प्रभारित –				
मूल	30,50)			
पूरक	50)	31,00	14,68	-16,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				कुछ नहीं
स्वीकृत –				
मूल	5741,68,63)			
पूरक	26,00)	5741,9463	5162,73,13	-579,21,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-280,74,63
पूँजीगत				
स्वीकृत –	219,60,00		34,04,12	-185,55,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-138,70,00
टीका एवं टिप्पणियां				

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 16.32 लाख रुपये की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 52.64 प्रतिशत थी। 4.00 लाख रुपये की राशि 2 उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 57921.50 लाख रुपये की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 10.09 प्रतिशत थी।

5735.00 लाख रुपये की राशि 26 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

1. **मुख्यशीर्ष "2202"**— सामान्य शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा – अन्य व्यय – (i) सूचना एवं प्रसार तकनीक के अंतर्गत राज्य अंश – 1500.00 लाख रुपये – योजनाओं के कार्यान्वित न होने के कारण।

(ii) सूचना एवं प्रसार तकनीक (आईसीटी) के अंतर्गत सरकारी/ सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए केंद्रीय अंश (सीएसएस) – 2000.00 लाख रुपये – टेन्डर प्रक्रिया के अंतिम रूप से पूर्ण न होने एवं योजना की धीमी प्रगति के कारण।

GRANT NO. 6 – EDUCATION

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)				
REVENUE				
<u>Charged –</u>				
<u>Original</u>	<u>30,50</u>			
<u>Supplementary</u>	<u>50</u>	<u>31,00</u>	<u>14,68</u>	<u>-16,32</u>
Amount surrendered during the year				<u>NIL</u>
<u>Voted -</u>				
<u>Original</u>	<u>5741,68,63</u>			
<u>Supplementary</u>	<u>26,00</u>	<u>5741,94,63</u>	<u>5162,73,13</u>	<u>-579,21,50</u>
Amount surrendered during the year				<u>-280,74,63</u>
CAPITAL				
Voted -		219,60,00	34,04,12	-185,55,88
Amount surrendered during the year				-138,70,00

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹16.32 lakhs constituted 52.64% of the sanctioned appropriation. An amount of ₹4.00 lakhs remained wholly unutilised under two sub-heads.

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, saving of ₹57921.50 lakhs constituted 10.09% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹5735.00 lakhs remained wholly unutilised under 26 sub-heads. This includes the following sub-heads: –

1. Under Major Head “2202” – General Education – Secondary Education – Other Expenditure – (i) State Share under Information & Communication Technology - ₹1500.00 lakhs – due to non-implementation of Schemes.

(ii) Central Share under Information & Communication Technology (ICT) in Govt./Govt. Aided Schools (CSS) - ₹2000.00 lakhs – due to tender process not materialized & slow progress of scheme.

2. मुख्यशीर्ष "2203" - तकनीकी शिक्षा - (अ) पालीटेक्निक - पालीटेक्निक के द्वारा सामुदायिक विकास (सीएसएस) - 100.00 लाख रुपये - योजना की धीमी प्रगति के कारण ।

(ब) अभियांत्रिकी/तकनीकी विद्यालय एवं संस्थान - (क) दिल्ली औषधीय विज्ञान एवं शोध को सहायता अनुदान - 100.00 लाख रुपये - योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण ।

(ख) दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय को तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीक्यूआईपी) के लिए सहायता अनुदान (सीएसएस) - 450.00 लाख रुपये - कम अनुदान जारी होने के कारण ।

3. मुख्यशीर्ष "2205" - कला एवं संस्कृति - कला एवं संस्कृति को बढ़ावा - दिल्ली बाल अकादमी को सहायता अनुदान - 100.00 लाख रुपये - विधानसभा चुनाव के संबंध में आचार संहिता लागू होने के कारण ।

4. मुख्यशीर्ष "2230" - श्रम एवं रोजगार - प्रशिक्षण - अन्य व्यय - (i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का श्रेष्ठ केन्द्रों में उच्चिकरण विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विस्तृत आधारित प्रशिक्षण के लिए उपकरणों की प्राप्ति (सीएसएस) - 100.00 लाख रुपये - योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण ।

(ii) कौशल विस्तार प्रवर्तन कार्यक्रम (सीएसएस) - 1017.00 लाख रुपये - प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य पूरा न होने एवं भारत सरकार से देशी से निधि प्राप्त होने के कारण ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

मुख्यशीर्ष "2202"

अ. 1 - सामान्य शिक्षा

मू. 479217.13)

पू. 8.00)

पु. -20504.13)

458721.00

439052.53

-19668.47

मुख्यशीर्ष "2204"

अ. 2 - खेलकूद एवं युवा सेवायें

मू. 3791.50)

पू. 1.00)

पु. 113.00)

3905.50

3811.54

-93.96

मुख्यशीर्ष "2236"

अ. 4 - पोषण

मू. 21095.00)

पु. -996.00)

20099.00

17760.72

-2338.28

2. Under Major Head "2203" – Technical Education – (A) Polytechnics - Community Development through Polytechnics (CSS) – ₹100.00 lakhs – due to slow progress of scheme.

(B) Engineering/Technical College and Institutes – (a) Grant-in-aid to Delhi Pharmaceutical Sciences & Research – ₹100.00 lakhs – due to project not materialized.

(b) Grant-in-aid to Delhi Technical University for Technical Education Quality improvement programme (TEQIP)(CSS) – ₹450.00 lakhs – due to release of less grant.

3. Under Major Head "2205" – Art & Culture – Promotion of Art & Culture – Grant in Aid to Delhi Children Academy - ₹100.00 lakh – due to Code of Conduct came into force in respect of Assembly Election.

4. Under Major Head "2230" – Labour and Employment – Training – Other Expenditure – (i) Upgradation of ITI's into Centre of Excellence equipment procurement for Broad Based Training in existing ITI's (CSS) – ₹100.00 lakhs – Due to non implementation of scheme.

(ii) Skill Development Initiation Scheme (CSS) – ₹1017.00 lakhs – Due to target of training not achieved and funds from Govt. of India received very late.

Saving / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Major Head "2202"

A.1- General Education

O. 479217.13)

S. 8.00)

R. -20504.13)

458721.00

439052.53

-19668.47

Major Head "2204"

A.2- Sports & Youth Services

O. 3791.50)

S. 1.00)

R. 113.00)

3905.50

3811.54

-93.96

Major Head "2236"

A.4- Nutrition

O. 21095.00)

R. -996.00)

20099.00

17760.72

-2338.28

मुख्यशीर्ष "2203"				
ब. 1 - तकनीकी शिक्षा				
मू.	26170.69)			
पू.	3.00)			
पु.	-4532.18)	21641.51	18614.73	-3026.78

मुख्यशीर्ष "2230"				
ब. 2 - श्रम एवं रोजगार				
मू.	9200.31)			
पू.	3.00)			
पु.	776.68)	9979.99	7897.19	-2082.80

मुख्यशीर्ष "2203"				
स. 1 - तकनीकी शिक्षा				
पू.	1303.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-300.00)	1004.00	563.43	-440.57

मुख्यशीर्ष "2205"				
स. 2 - कला एवं संस्कृति				
मू.	820.00)			
पु.	8.00)	828.00	665.87	-162.13

मुख्यशीर्ष "2202"				
द. 1 - सामान्य शिक्षा				
मू.	1650.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-46.00)	1605.00	1277.40	-327.60

मुख्यशीर्ष "2205"				
द. 1 - कला एवं संस्कृति				
मू.	6430.00)			
पू.	6.00)			
पु.	-1110.00)	5326.00	4684.17	-641.83

मुख्यशीर्ष "2205"				
त. 1 - कला एवं संस्कृति				
मू.	377.00)			
पु.	-77.00)	300.00	241.21	-58.79

मुख्यशीर्ष "2205"				
त. 1 - कला एवं संस्कृति				
मू.	1217.00)			
पु.	-1009.00)	208.00	183.18	-24.82

Major Head "2203"
B.1- Technical Education
O. 26170.69)
S. 3.00)
R. -4532.18) 21641.51 18614.73 -3026.78

Major Head "2230"
B.2- Labour and Employment
O. 9200.31)
S. 3.00)
R. 776.68) 9979.99 7897.19 -2082.80

Major Head "2203"
C.1- Technical Education
O. 1303.00)
S. 1.00)
R. -300.00) 1004.00 563.43 -440.57

Major Head "2205"
E.1- Art & Culture
O. 820.00)
R. 8.00) 828.00 665.87 -162.13

Major Head "2202"
F.1- General Education
O. 1650.00)
S. 1.00)
R. -46.00) 1605.00 1277.40 -327.60

Major Head "2205"
F.2- Art & Culture
O. 6430.00)
S. 6.00)
R. -1110.00) 5326.00 4684.17 -641.83

Major Head "2205"
G.1- Art & Culture
O. 377.00)
R. -77.00) 300.00 241.21 -58.79

Major Head "2205"
H.1- Art & Culture
O. 1217.00)
R. -1009.00) 208.00 183.18 -24.82

मुख्यशीर्ष "2203"

झ. 1 - तकनीकी शिक्षा

पू.	1028.00)			
पु.	-179.00)	849.00	694.48	-154.52

मुख्यशीर्ष "2202"

त्र. 1 - सामान्य शिक्षा

मू.	19870.00)			
पू.	3.00)			
पु.	-353.00)	19520.00	19202.18	-317.82

मुख्यशीर्ष "2203"

ट. 1 - तकनीकी शिक्षा

पू.	550.00)			
पु.	-20.00)	530.00	279.32	-250.68

बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2202"** - सामान्य शिक्षा - (अ) प्राथमिक शिक्षा - (क) अन्य व्यय - सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) - 1415.16 लाख रुपये की बचत (5500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम निधि प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) शिक्षक प्रशिक्षण - पंजाबी अकादमी को स्कूलों में पंजाबी पढ़ाने के लिए सहायता - 303.52 लाख रुपये की बचत (1150.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रुके हुए वेतन का भुगतान न होने के कारण हुई।

(ब) माध्यमिक शिक्षा - (क) निरीक्षण - 306.90 लाख रुपये की बचत (1990.70 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, एमएसीपी केंसों का निर्धारण न होने एवं कम विदेशी यात्राओं के कारण हुई।

(ख) मूल किताबें - मूल किताबों का निशुल्क वितरण - 745.43 लाख रुपये की बचत (10400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः स्कूलों द्वारा कम निधि मांगे जाने एवं लाभार्थियों की कम संख्या होने के कारण हुई।

(ग) राजकीय माध्यमिक विद्यालय - 2956.90 लाख रुपये की बचत (105233.35 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने एवं एमएसीपी केंसों का निर्धारण न होने के कारण हुई।

Major Head "2203"

I.1- Technical Education

O. 1028.00)

R. -179.00) 849.00 694.48 -154.52

Major Head "2202"

J.1- General Education:

O. 19870.00)

S. 3.00)

R. -353.00) 19520.00 19202.18 -317.82

Major Head "2203"

K.1- Technical Education

O. 550.00)

R. -20.00) 530.00 279.32 -250.68

Savings occurred under the following sub-heads: -

1. **Under Major Head "2202" - General Education - (A) Elementary Education - (a) Other Expenditure - Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) - Saving of ₹1415.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs) was mainly due to less receipt of funds from Government of India.**

(b) Teachers Training - Grants to Punjabi Academy for Punjabi teaching programs in schools - Saving of ₹303.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1150.00 lakhs) was mainly due to pay arrear payment not materialized.

(B) Secondary Education - (a) Inspection - Saving of ₹306.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1990.97 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of MACP cases and less foreign tours.

(b) Text Books - Free supply of Text Books - Saving of ₹745.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10400.00 lakhs) was mainly due to less funds demanded by the schools & less beneficiaries.

(c) Govt. Secondary Schools - Saving of ₹2956.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹105233.35 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakh) was mainly due to non-filling up of vacant posts & non-finalization of MACP cases.

(घ) गैर सरकारी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता – राजकीय मान्यता प्राप्त स्कूलों को कर्मचारियों के वेतन के लिए सहायता – 5284.04 लाख रुपये की बचत (43125.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे न जाने, एमएसीपी केसों का निर्धारण न होने एवं विभिन्न कारणों से बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ड.) अन्य व्यय – (i) अतिरिक्त स्कूली सुविधायें – 12692.47 लाख रुपये की बचत (204315.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे न जाने, एमएसीपी केसों का निर्धारण न होने, कम दावों की प्राप्ति एवं स्टोर के सामानों की कम खरीद के कारण हुई।

(ii) विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी के लिए की सहायता – 2891.97 लाख रुपये की बचत (12100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं स्कूलों द्वारा कम निधि मांगे जाने के कारण हुई।

(iii) छात्रों की विद्यालय वर्दियों पर छूट के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता अनुदान – 123.50 लाख रुपये की बचत (1200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iv) निजी विद्यालयों में निःशुल्क कोटा के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त छात्रों को पाठ्य पुस्तक एवं वर्दी हेतु सहायता अनुदान – 243.22 लाख रुपये की बचत (400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं स्कूलों द्वारा प्रत्याशित दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(v) एनवीईक्यूएफ (सीएसएस) के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण – 233.88 लाख रुपये की बचत (276.13 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से प्रत्याशित निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।

(च) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – (i) मूल पुस्तकों का निशुल्क वितरण (एस. सी. एस. पी) – 339.75 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विद्यालयों द्वारा कम निधियां मांगे जाने के कारण हुई।

(ii) छात्रों को स्कूली वर्दी के लिए अनुदान (एस. सी. एस. पी) – 637.32 लाख रुपये की बचत (2880.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं विद्यालयों द्वारा कम निधियां मांगे जाने के कारण हुई।

(स) प्रौढ़ शिक्षा – अन्य व्यय – वर्तमान राजकीय स्कूलों में पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक कक्षाओं का प्रावधान – 1703.71 लाख रुपये की बचत (11219.41 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने एवं एम. ए. सी. पी. मामलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(d) Assistance to Non Govt. Secondary Schools – Assistance to Govt. aided Schools for salaries of Employees – Saving of ₹5284.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43125.00 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of MACP cases & non clearance of bills due to various reasons.

(e) Other Expenditure – (i) Additional Schooling Facilities - Saving of ₹12692.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹204315.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of MACP cases, receipt of less claims & less purchase of store items.

(ii) Subsidy for school uniforms to the students - Saving of ₹2891.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12100.00 lakhs) was mainly due to release of less subsidy & less funds demanded by the schools.

(iii) Grant in aid to Aided Schools for subsidy for school uniforms to students – Saving of ₹123.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was mainly due to release of less grant.

(iv) Grant in aid to Text Books / uniforms to students admitted under free ship quota in Private Schools – Saving of ₹243.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was mainly due to release of less grant & anticipated claims not came from schools.

(v) Vocationalisation of secondary Education under NVEQF (CSS) – Saving of ₹233.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹276.13 lakhs) was mainly due to anticipated amount of funds not received from Govt. of India.

(f) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Free Supply of Text Books (SCSP) – Saving of ₹339.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was mainly due to less funds demanded by schools.

(ii) Subsidy for School Uniforms to the Students (SCSP) – Saving of ₹637.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2880.00 lakhs) was mainly due to release of less subsidy & less funds demanded by schools.

(C) Adult Education – Other Expenditure – Provision of pre-primary/ primary classes in existing government schools – Saving of ₹1703.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11219.41 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts & non-finalization of MACP cases.

(द) सामान्य - (क) निर्देशन एवं प्रशासन - 225.20 लाख रुपये की बचत (2000.98 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने एवं एम. ए. सी. पी. मामलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय - (i) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का कल्याण-296.30 लाख रुपये की बचत (1300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति एवं स्कूलों द्वारा कम निधियां मांगे जाने के कारण हुई।

(ii) स्कूल प्रसार कार्यक्रम - 239.25 लाख रुपये की बचत (450.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति एवं स्कूलों द्वारा निधियों के कम प्रयोग किये जाने के कारण हुई।

(iii) युवा योजना - 149.23 लाख रुपये की बचत (3100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः स्कूलों द्वारा निधियों के कम प्रयोग किये जाने के कारण हुई।

(iv) शिक्षा का अधिकार अधिनियम-597.66 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी के कारण हुई।

(v) विक्लांगों के लिए माध्यमिक स्तर पर एकीकृत शिक्षा (आईईडीएसएस-सीएसएस)-(केन्द्रीय अंश) - 428.62 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से प्रत्याशित निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।

(vi) सर्व शिक्षा अभियान (सीएसएस) - 4913.38 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।

(त) विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा - (क) गैर सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए सहायता - डिग्री कालेजों को सहायता अनुदान - 562.00 लाख रुपये की बचत (14801.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ख) निर्देशन एवं प्रशासन - लघु कार्य - 243.01 लाख रुपये की बचत (250.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य/योजना की शुरुआत न होने के कारण हुई।

(D) General – (a) Direction & Administration – Saving of ₹225.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.98 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts of & non-finalization of MACP cases.

(b) Other Expenditure – (i) Welfare of Educationally Backward Minority Students - Saving of ₹296.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs) was mainly due to slow progress of scheme & less funds demanded by schools.

(ii) School Extension Program – Saving of ₹239.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was mainly due to slow progress of scheme & less utilization of funds by schools.

(iii) Scheme of YUVA – Saving of ₹149.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3100.00 lakhs) was mainly due to less utilization of funds by schools.

(iv) Right to Education Act – Saving of ₹597.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was mainly due to slow progress of scheme.

(v) Integrated Education of disabled at Secondary Stage (IEDSS-CSS) (Central Share) – Saving of ₹428.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was mainly due to anticipated amount of funds not received from Govt. of India.

(vi) Sarva Siksha Abiyan (CSS) – Saving of ₹4913.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was mainly due to non receipt of funds from Govt. of India.

(E) University & Higher Education – (a) Assistance to non Government Colleges – Grant-in-aid to Degree Colleges – Saving of ₹562.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14801.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of less grant.

(b) Direction & Administration – Minor Works – Saving of ₹243.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) was mainly due to non initiation of work / scheme.

2. **मुख्यशीर्ष "2236"** – पोषण – षोषक आहार एवं पेय का वितरण – (क) दोपहर का भोजन (i) बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना –531.10 लाख रुपये की बचत (2137.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थी संस्थानों द्वारा जारी अनुदान का उपयोग न करने के कारण हुई।

(ii) प्रबन्धन, जांच निर्धारण एवं दोपहर के भोजन की योजना (सीएसएस) – 2385.74 लाख रुपये की बचत (16000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम अनुदान प्राप्त करने के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – बच्चों के लिए दोपहर का भोजन (एस. सी. एस. पी) – 223.64 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थी संस्थानों द्वारा जारी अनुदान का उपयोग न करने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2203"** – तकनीकी शिक्षा – (अ) पोलिटेक्निक – निर्देशन एवं प्रशासन – 1158.93 लाख रुपये की बचत (8071.52 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः एम.ए.सी.पी केंसों का निपटारा न होने, रिक्त पदों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति एवं अनुबंधित एवं अंशकालिक व्याख्याताओं को भुगतान उनको दिये गये कार्य के अनुसार किया गया।

(ब) इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज और संस्थान – (क) व्यावसायिक संस्थान-188.00 लाख रुपये की बचत (590.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं बिलों/दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(ख) नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान को सहायता अनुदान-638.30 लाख रुपये की बचत (3400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अध्यापकों के प्रत्याशित संख्या में न आने एवं बुनियादी ढांचे में विस्तार के अमल में न आने के कारण हुई।

(ग) अम्बेडकर तकनीकी संस्थान – 274.13 लाख रुपये की बचत (1300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम बिलों की प्राप्ति एवं खरीद प्रस्तावों को विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण अमल में नहीं लाया जा सका।

(घ) दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान – 4328.00 लाख रुपये की बचत (9100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं भवनों के निर्माण के द्वितीय चरण को विभिन्न निकायों से मंजूरी न मिलने के कारण हुई।

(ड.) महिला तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान – 204.00 लाख रुपये की बचत (2001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः खरीद प्रस्तावों के अमल में न आने के कारण हुई।

2. Under Major Head "2236" – Nutrition – Distribution of Nutritious food & beverages – (a) Mid-day Meal – (i) Mid-day Meal for children – Saving of ₹531.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2137.00 lakhs) – was mainly due to beneficiary institutions not utilized the funds released.

(ii) Management, monitoring evaluation & mid day meal scheme (CSS) – Saving of ₹2385.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16000.00 lakhs) was mainly due to receipt of less grant from Govt. of India.

(b) Special Component Plan for Scheduled Castes – Mid-day Meal for children (SCSP) – Saving of ₹223.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to beneficiary institutions not utilized the funds released.

3. Under Major Head "2203" – Technical Education – (A) Polytechnics – Direction & Administration – Saving of ₹1158.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8071.52 lakhs) was mainly due to non-finalization of MACP cases, vacant posts, receipt of less claims bills & payment made to contractual & part time lecturers based on assignments only.

(B) Engineering/Technical Colleges and Institutes – (a) Commercial Institute – Saving of ₹188.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹590.00 lakhs) was mainly due to vacancies and receipt of less claims / bills.

(b) Grant-in-aid to Netaji Subhash Institute of Technology – Saving of ₹638.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3400.00 lakhs) was mainly due to anticipated number of faculty not turned up & the infrastructure expansion did not materialize.

(c) Ambedkar Institute of Technology – Saving of ₹274.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, receipt of less bills & purchase proposals did not materialize due to code of conduct of Assembly Election.

(d) Grant in aid to Delhi Technical University – Saving of ₹4328.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9100.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of less grant & approval from multiple agencies not received for second phase of construction of building.

(e) Grant-in-aid to Technical University for Women – Saving of ₹204.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to purchase proposals not materialized.

(च) जी. वी. पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, ओखला - 740.57 लाख रुपये की बचत (1304.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कार्यालय सामान की कम खरीद तथा भुगतान के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन समय से प्राप्त न होने के कारण हुई।

(छ) दिल्ली फार्मसी विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान - निर्देशन एवं प्रशासन - 326.52 लाख रुपये की बचत (1021.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों, लाभार्थियों की कम संख्या एवं खरीद प्रस्तावों को समय पर औपचारिकताओं के पूरा न किये जाने के कारण अमल में नहीं लाया जा सका।

(ज) सरकारी इंजीनियरिंग कालेज, जफरपुर-270.68 लाख रुपये की बचत (550.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं बिडस का निपटारा न होने एवं अमल में न आने के कारण हुई।

4. मुख्यशीर्ष "2230" - श्रम एवं रोजगार - प्रशिक्षण - (क) निर्देशन एवं प्रशासन - औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय - 157.33 लाख रुपये की बचत (580.07 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, एमएसीपी केंसों का निपटारा न होने एवं खरीद एवं विज्ञापन प्रस्तावों के अमल में न आने के कारण हुई।

(ख) शिल्पकार एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना-427.43 लाख रुपये की बचत (7532.24 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः एमएसीपी केंसों का निपटारा न होने, खरीद प्रस्तावों के अमल में न आने एवं प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) अन्य व्यय - कौशल केन्द्र, जोनापुर-464.81 लाख रुपये की बचत (600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः क्रियान्वित निकायों द्वारा प्रस्तावों का निपटारा न किये जाने के कारण निर्माण कार्य नहीं किया जा सका।

5. मुख्यशीर्ष "2205" - कला एवं संस्कृति - (अ) ललित कला शिक्षा - कला विद्यालय - मुख्यालय स्थापना - 153.29 लाख रुपये की बचत (818.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, खरीद प्रस्तावों के अमल में न आने एवं कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ब) कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन - (क) हिन्दी अकादमी - 114.08 लाख रुपये की बचत (990.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण हुई।

(f) G.B. Pant Engineering College, Okhla - Saving of ₹740.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1304.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims/bills and purchase of less store items & sanction of the Competent Authority not received in time for payment.

(g) Delhi Institute of Pharmaceutical Science & Research – Direction & Administration – Saving of ₹326.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1021.00 lakhs) was mainly due to vacancies, less claims, & less number of beneficiaries & codal formalities could not be completed in time, hence purchase not materialized.

(h) Govt. Engineering College Jaffarpur - Saving of ₹270.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs) was mainly due to vacancies & bids not finalized & materialized.

4. **Under Major Head “2230” – Labour & Employment – Training – (a) Direction & Administration – Directorate of Industrial Training – Saving of ₹157.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹580.07 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, less claims, non finalization of MACP cases & purchase & advertisement proposals not materialized.**

(b) Training of Craftsmen & Supervisors – Craftsmen training scheme – Saving of ₹427.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7532.24 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to non finalization of MACP cases, purchase proposals not materialized & anticipated bills not received.

(c) Other Expenditure – Skill centre at Jonapur – Saving of ₹464.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was mainly due to construction not took place since proposals were not finalized by the executing agencies.

5. **Under Major Head “2205” – Art and Culture – (A) Fine Arts Education – College of Art – Headquarter Establishment – Saving of ₹153.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹818.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, purchase proposal not materialized & receipt of less claims.**

(B) Promotion of Art and Culture – (a) Hindi Academy - Saving of ₹114.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹990.00 lakhs) was mainly due to code of conduct came into force on account of Assembly Election.

(ख) उर्दू अकादमी को अनुदान - 168.27 लाख रुपये की बचत (791.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण हुई।

(ग) साहित्य कला परिषद को सहायता अनुदान सामान्य अनुदान - 276.60 लाख रुपये की बचत (826.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(घ) साहित्य कला परिषद को राज्य स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान - 862.50 लाख रुपये की बचत (1400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(स) पुरातत्व - पुरातत्व विभाग - 135.79 लाख रुपये की बचत (377.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों, वाहनों / उपकरणों के खरीद प्रस्तावों का निपटारा न होने एवं सुरक्षा गार्डों पर कम खर्च करने के कारण हुई।

(द) अभिलेखागार - दिल्ली अभिलेखागार - 1033.82 लाख रुपये की बचत (1217.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे न जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं उपकरणों की खरीद न होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 940.77 लाख रुपये की बचत 13 उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से, अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थी :-

1. मुख्यशीर्ष "2202" - सामान्य शिक्षा - (अ) माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय - +2 स्तर पर कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम की प्रस्तुति - 321.58 लाख रुपये का अधिक व्यय (1501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः योजना की तीव्र प्रगति के कारण हुआ।

(ब) विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा - अन्य व्यय - निर्देशन एवं प्रशासन - अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना - 161.50 लाख रुपये का अधिक व्यय (3701.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ ।

(b) Grant to Urdu Academy - Saving of ₹168.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹791.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to code of conduct came into force on account of Assembly Election.

(c) Grant-in-aid to Sahitya Kala Parishad General Grant - Saving of ₹276.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹826.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of less grant.

(d) Grant-in-aid to Sahitya Kala Parishad for organization of state functions - Saving of ₹862.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was mainly due to release of less grant.

(C) Archaeology – Department of Archaeology - Saving of ₹135.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹377.00 lakhs) was mainly due to vacancies, less bills, non finalization of purchase proposal of vehicles / equipments & reduction in expenditure of security guards.

(D) Archives – Delhi Archives - Saving of ₹1033.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1217.00 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims / bills and non purchase of equipments.

Further, saving of ₹940.77 lakhs was under 13 sub-heads which exceeds ₹50.00 lakhs but less than ₹1.00 Crore.

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub-heads: –

1. **Under Major Head “2202” – General Education – (A) Secondary Education – Other Expenditure – Introduction of Computer Science at +2 stage – Excess of ₹321.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to good progress of scheme.**

(B) University and Higher Education – Other Expenditure – Direction & Administration – Setting up of Ambedkar University - Excess of ₹161.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3701.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00lakh) was mainly due to release of more grant.

2. मुख्यशीर्ष "2204" -- खेल कूद एवं युवा सेवाएं -- गैर विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम -- असाधारण खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार -- 272.05 लाख रुपये का अधिक व्यय (726.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की अधिक संख्या के कारण हुआ।

3. मुख्यशीर्ष "2205" -- कला एवं संस्कृति -- जन पुस्तकालय -- सभी विधानसभा क्षेत्रों में पंजाबी अकादमी द्वारा संचालित समग्र पुस्तकालय योजना -- 118.81 लाख रुपये का अधिक व्यय (391.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त 208.02 लाख रुपये का अधिक व्यय 3 उपशीर्षों के अंतर्गत हुआ जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 18555.88 लाख रुपये की कुल बचत थी जो कि कुल स्वीकृत प्रावधान का 84.50 प्रतिशत थी।

12515.00 लाख रुपये की राशि 6 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. मुख्यशीर्ष "4202" -- शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय -- कला एवं संस्कृति -- अन्य व्यय -- (i) संग्रहालय एवं कला दीर्घा -- 100.00 लाख रुपये -- योजना के कार्यान्वित न होने के कारण।

(ii) डीटीडीडीसी द्वारा स्माकरों का संरक्षण एवं रोशनी के लिए (सीएसएस) -- 400.00 लाख रुपये -- योजना के कार्यान्वित न होने के कारण।

2. मुख्यशीर्ष "4250" -- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय -- रोजगार -- जोनापुर में विश्व स्तरीय कौशल उन्नयन केन्द्र -- 5000.00 लाख रुपये -- मुख्यतः योजना के कार्यान्वित न होने के कारण।

3. मुख्यशीर्ष "6202" -- शिक्षा, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण -- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज एवं संस्थान -- इन्द्रप्रस्थ सूचना एवं तकनीकी संस्थान को ऋण (आईआईआईटी), दिल्ली -- 7000.00 लाख रुपये -- कम ऋण जारी होने एवं ऋण निधि के देर से पारित होने के कारण आईआईआईटी, दिल्ली को ऋण स्थानांतरित नहीं किया जा सका।

2. Under Major Head "2204" – Sports and Youth Services – Youth welfare program for non-students – Cash incentives to outstanding players / sportsmen and Rajiv Gandhi Sports Award – Excess of ₹272.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹726.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00lakh) was mainly due to more beneficiaries.
3. Under Major Head "2205" – Art and Culture – Public Libraries – Composite Library scheme in all Assembly Constituencies being run by Punjabi Academy – Excess of ₹118.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹391.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakh) was mainly due to release of more grant.

Further, excess of ₹208.02 lakhs was under three sub-heads which exceeds ₹50.00 lakhs but less than ₹1.00 crore.

In the Voted portion of the Capital Section of the grant, the overall saving of ₹18555.88 lakhs constituted 84.50% of the sanctioned provision.

An amount of ₹12515.00 lakhs remained wholly unutilized under six sub-heads. This includes the following sub-heads: -

1. Under Major Head "4202" – Capital Outlay on Education, Sports, Art & Culture – Art and Culture – Other Expenditure – (i) Museum and Art Gallery – ₹100.00 lakhs – due to non implementation of scheme.

(ii) Conservation illumination of monuments by DTTDC (CSE) – ₹400.00 lakhs – due to non implementation of scheme.
2. Under Major Head "4250" – Capital Outlay on Other Social Services – Employment – World Class Skill up gradation Centre at Jonapur – ₹5000.00 lakhs – due to non implementation of scheme.
3. Under Major Head "6202" – Loans for Education, Art & Culture – Engineering / Technical Colleges & Institutes – Loans to Indraprastha Institute of Information Technology (IIIT), Delhi – ₹7000.00 lakhs – due to release of less loan and the loan amount sanctioned late, hence could not be transformed to IIIT, Delhi

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मुख्यशीर्ष "4202"

अ.अ. 1 - शिक्षा, खेलकूद, कला एवं
संस्कृति पर पूंजी परिव्यय

मू.	8080.00)			
पु.	-4130.00)	3950.00	2931.25	-1018.75

मुख्यशीर्ष "4202"

द.द. 1 - शिक्षा, खेलकूद, कला एवं
संस्कृति पर पूंजी परिव्यय

मू.	1240.00)			
पु.	-640.00)	600.00	299.70	-300.30

मुख्यशीर्ष "4202"

छ.छ. 1 - शिक्षा, खेलकूद, कला एवं
संस्कृति पर पूंजी परिव्यय

मू.	640.00)			
पु.	400.00)	1040.00	173.17	-866.83

बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. मुख्यशीर्ष "4202" - शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय - (अ) सामान्य शिक्षा - सामान्य - (क) स्कूल भवनों के काम की आउटसोर्सिंग - 5034.91 लाख रूपये की बचत (5100.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः डीएसआईआईडीसी का कार्य पीडब्लूडी को स्थानान्तरित किये जाने एवं योजना की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ख) विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा - अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना - 456.83 लाख रूपये की बचत (630.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना/कार्य के शुरू न होने के कारण हुई ।

(ब) कला एवं संस्कृति - अन्य व्यय - स्मारकों का संरक्षण - 435.30 लाख रूपये की बचत (735.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति एवं प्रशासनिक देरी के कारण हुई ।

इसके अतिरिक्त 76.59 लाख रूपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रूपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

Saving / Excess occurred mainly under the following Major Head: –

(In lakh of rupees)

Major Head “4202”

AA.1- Capital Outlay on Education,
Sports, Art & Culture

O. 8080.00)

R. -4130.00) 3950.00 2931.25 -1018.75

Major Head “4202”

GG.1- Capital Outlay on Education,
Sports, Art & Culture

O. 1240.00)

R. -640.00) 600.00 299.70 -300.30

Major Head “4202”

JJ.1- Capital Outlay on Education,
Sports, Art & Culture

O. 640.00)

R. 400.00) 1040.00 173.17 -866.83

Saving occurred under the following sub-head: –

1. Under Major Head “4202” – Capital Outlay on Education, Sports, Art & Culture – (A) General Education – (a) General – Outsourcing of work of school buildings – Excess of ₹5034.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5100.00 lakhs) was mainly due to works of DSIIDC was transferred to PWD & slow progress of work.

(b) Universities & Higher Education – Setting up of Ambedkar University – Excess of ₹456.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹630.00 lakhs) was mainly due to non initiation of work / scheme.

(B) Art & Culture – Other Expenditure – Conservation of Monuments – Saving of ₹435.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹735.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work & administrative delay.

Further, Saving of ₹76.59 lakhs was under one sub head which exceeds ₹50.00 lakh but less than ₹1.00 crore.

अनुदान संख्या 7 – चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित –	92.75	4.25	-88.50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-5.25
स्वीकृत –			
मूल 3711,82,36)			
पूरक 17,50)	3711,99,86	3114,74,55	-597,25,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-139,76,86
पूंजीगत			
स्वीकृत –			
पूरक	1,15,00	96,49	-18,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 88.50 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 95.42 प्रतिशत थी।

9.25 लाख रूपये की राशि चार उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

इसके अतिरिक्त 66.90 लाख रूपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रूपयों से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 59725.31 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 16.09 प्रतिशत थी।

12562.60 लाख रूपये की राशि 18 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

GRANT NO. 7 – MEDICAL AND PUBLIC HEALTH

	Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)			
REVENUE			
Charged –	<u>92,75</u>	<u>4,25</u>	<u>-88,50</u>
Amount surrendered during the year			<u>-5,25</u>
Voted –			
Original 3711,82,36)			
Supplementary 17,50)	3711,99,86	3114,74,55	-597,25,31
Amount surrendered during the year			-139,76,86
CAPITAL			
Voted –	1,15,00	96,49	-18,51
Amount surrendered during the year			NIL

Notes and Comments

In the **Charged** portion of Revenue Section of the grant, the overall saving of ₹88.50 lakhs constituted 95.42% of the sanctioned appropriation.

An amount of ₹9.25 lakhs remained wholly un-utilized under four sub-heads.

Further, savings of ₹66.90 lakhs under one sub-head which exceeds ₹50.00 lakhs but less than ₹ 1.00 crore.

In the **Voted** portion of the Revenue Section of the grant, there was overall saving of ₹59725.31 lakhs, which constituted 16.09% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹12562.60 lakhs remained wholly un-utilized under 18 sub-heads. This includes the following sub-heads: –

1. मुख्यशीर्ष "2210" - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य - (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी - कर्मचारी राज्य बीमा योजना - कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अंशदान - 2242.10 लाख रुपये - नीतिगत निर्णयों पर अंतिम रूप से सहमति न होने के कारण ।

(ब) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान - (क) ऐलोपैथी - (i) शिक्षा-चिकित्सा शिक्षा - 500.00 लाख रुपये - योजना के कार्यान्वित न होने के कारण ।

(ii) चिकित्सा विज्ञान के विश्वविद्यालय - 6500.00 लाख रुपये- परियोजना के अमल में न आने एवं योजना की धीमी प्रगति के कारण ।

(iii) चिकित्सा महाविद्यालय - 2000.00 लाख रुपये - परियोजना पर अंतिम रूप से सहमति न होने के कारण ।

(ख) आयुर्वेद - आयुष संस्थाओं/महाविद्यालयों का विकास एवं उन्नयन - (i) आयुष औषधालयों को जरूरी दवायें (सीएसएस) - 400.50 लाख रुपये - भारत सरकार से समय पर फंड न मिलने के कारण ।

(ii) आयुष औषधालयों को जरूरी दवायें (राज्य अंश) - 132.00 लाख रुपये - केंद्रीय अंश न होने के कारण, राज्य अंश का प्रयोग नहीं किया जा सका ।

(स) जन स्वास्थ्य - बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण - टेली मशीन सुविधा - 100.00 लाख रुपये - परियोजना पर अंतिम रूप से सहमति न होने के कारण ।

2. मुख्यशीर्ष "2211" - परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें - 450.00 लाख रुपये - दिल्ली नगर निगम को सहायता देने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त न होने के कारण ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

मुख्यशीर्ष "2210"

क. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू.	156237.61)			
पू.	11.00)			
पु.	-14571.61)	141677.00	119253.44	-22423.56

1. **Under Major Head "2210" – Medical & Public Health – (A) Urban Health Services Allopathy – Employees State Insurance Scheme – Contribution to the Employees State Insurance Corporation – ₹2242.10 lakhs – due to non finalization of policy decision.**

(B) Medical Education, Training & Research – (a) Allopathy – (i) Education – Medical Education – ₹500.00 lakhs – due to non implementation of scheme.

(ii) University College of Medical Sciences – ₹6500.00 lakhs – due to project not materialized & slow progress of scheme.

(iii) Medical College at Rohini – ₹2000.00 lakhs – due to non finalization of project.

(b) Ayurveda – Development & Up gradation of AYUSH Institutions / Colleges – (i) Essential Medicines to Ayush Dispensaries (CSS) – ₹400.50 lakhs – due to funds from the Govt. of India not received in time.

(ii) Essential Medicines to Ayush Dispensaries (State Share) – ₹132.00 lakhs – due to absence of Central Share, State Share could not be utilized.

(C) Public Health – Prevention & Control of Diseases – Tele Machine Facility – ₹100.00 lakhs – due to non finalization of project.

2. **Under Major Head "2211" – Family Welfare – Rural Family Welfare Services – ₹450.00 lakhs – due to non receipt of approval of Competent Authority for release of grant to MCD.**

Saving / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Major Head "2210"

A.1-Medical and Public Health

O. 156237.61)

S. 11.00)

R. -14571.61)

141677.00

119253.44

-22423.56

मुख्यशीर्ष "2210"

ख. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

(लोक नायक अस्पताल)

मू. 31080.50)

पु. 1365.00) 32445.50 31594.02 -851.48

ग. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

(जी बी पंत अस्पताल)

मू. 23203.00)

पु. 1.00)

पु. 2239.00) 25443.00 22454.87 -2988.13

घ. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

[अरुणा आसफ अली अस्पताल

(सिविल अस्पताल)]

मू. 3709.50)

पु. 17.50)

पु. 3727.00) 3134.86 -592.14

ड. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

(दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल)

मू. 18226.00)

पु. -438.00)

पु. 17788.00) 17453.87 -334.13

च. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

(गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल)

मू. 31025.00)

पू. 1.00)

पु. -5825.00) 25201.00 22445.43 -2755.57

ज. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

(मौलाना आजाद चिकित्सा महाविद्यालय)

मू. 13701.00)

पु. 606.00)

पु. 14307.00) 13555.18 -751.82

झ. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

(खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निवारण)

मू. 3203.00)

पु. -1548.00)

पु. 1655.00) 1478.79 -176.21

ञ. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

(औषधि नियंत्रण विभाग)

मू. 707.00)

पु. -24.00)

पु. 683.00) 563.36 -119.64

Major Head "2210"**B.1-Medical and Public Health**

(Lok Nayak Hospital)

O. 31080.50)

R. 1365.00) 32445.50 31594.02 -851.48

C.1-Medical and Public Health

(G.B. Pant Hospital)

O. 23203.00)

S. 1.00)

R. 2239.00) 25443.00 22454.87 -2988.13

D.1-Medical and Public Health

Aruna Asaf Ali Govt. Hospital (Civil Hospital)

O. 3709.50)

R. 17.50) 3727.00 3134.86 -592.14

E.1- Medical and Public Health

(Deen Dayal Upadhyay Hospital)

O. 18226.00)

R. -438.00) 17788.00 17453.87 -334.13

F.1- Medical and Public Health

(Guru Teg Bahadur Medical College and Hospital)

O. 31025.00)

S. 1.00)

R. -5825.00) 25201.00 22445.43 -2755.57

H.1- Medical and Public Health

(Maulana Azad Medical College)

O. 13701.00)

R. 606.00) 14307.00 13555.18 -751.82

I.1- Medical and Public Health

(Department of Food Safety)

O. 3203.00)

R. -1548.00) 1655.00 1478.79 -176.21

J.1- Medical and Public Health

(Drug Control Department)

O. 707.00)

R. -24.00) 683.00 563.36 -119.64

थ. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
(आयुष निदेशालय)

मू.	5990.50)				
पू.	1.00)				
पु.	603.00)	6594.50	5903.81		-690.69

द. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
(डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल)

मू.	10957.75)				
पू.	1.00)				
पु.	897.25)	11856.00	8404.09		-3451.91

न. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
(श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय)

मू.	2399.00)				
पू.	-389.00)	2010.00	1916.34		-93.66

य. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
(डा० हेडगेवार आरोग्य संस्थान)

मू.	3945.00)				
पू.	257.00)	4202.00	4167.72		-34.28

श. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
(भगवान महावीर अस्पताल)

मू.	3985.00)				
पू.	-136.00)	3849.00	3535.55		-313.45

ष. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
(मालवीय नगर कालोनी अस्पताल)

मू.	2787.00)				
पू.	-56.00)	2731.00	2598.36		-132.64

स. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
(आचार्य भिक्षु अस्पताल)

मू.	3114.00)				
पू.	372.00)	3486.00	2930.06		-555.94

ह. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
(जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल)

मू.	3656.00)				
पू.	35.00)	3691.00	3349.12		-341.88

M.1- Medical and Public Health

(Directorate. of Ayush)

O. 5990.50)

S. 1.00)

R. 603.00) 6594.50 5903.81 -690.69

N.1- Medical and Public Health

(Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital)

O. 10957.75)

S. 1.00)

R. 897.25) -11856.00 8404.09 -3451.91

P.1- Medical and Public Health

(Shri Dada Dev Matri Avam

Shishu Chikitsalaya)

O. 2399.00)

R. -389.00)

2010.00 1916.34 -93.66

Q.1- Medical and Public Health

(Dr. Hedgewar Arogya Sansthan)

O. 3945.00)

R. 257.00)

4202.00 4167.72 -34.28

V.1- Medical and Public Health

(Bhagwan Mahavir Hospital)

O. 3985.00)

R. -136.00)

3849.00 3535.55 -313.45

W.1- Medical and Public Health

(Malviya Nagar Colony Hospital)

O. 2787.00)

R. -56.00)

2731.00 2598.36 -132.64

X.1- Medical and Public Health

(Acharya Bhikshu Hospital)

O. 3114.00)

R. 372.00)

3486.00 2930.06 -555.94

Y.1- Medical and Public Health

(Jag Pravesh Chandra Hospital)

O. 3656.00)

R. 35.00)

3691.00 3349.12 -341.88

क्ष. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
(डा. एन. सी. जोशी मेमोरियल अस्पताल)

मू.	1394.50)			
पु.	50.00)	1395.00	1163.76	-231.24

क.ख. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
(लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल)

मू.	5036.50)			
पु.	-142.50)	4894.00	4821.32	-72.68

क.ग. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
(राव तुला राम अस्पताल)

मू.	3929.00)			
पु.	-721.00)	3208.00	2761.16	-446.84

क.घ. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
(गुरु गोविंद सिंह अस्पताल)

मू.	4171.00)			
पु.	-315.00)	3856.00	3630.60	-225.40

क.ड.1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
(बाबू जगजीवन राम अस्पताल)

मू.	3372.50)			
पु.	68.50)	3441.00	3247.63	-193.37

क.च. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
(महर्षि बाल्मिकी अस्पताल)

मू.	3621.00)			
पु.	-93.00)	3528.00	3244.92	-283.08

क.छ. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
(सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र अस्पताल)

मू.	3728.00)			
पू.	50)			
पु.	-438.50)	3290.00	2836.26	-453.74

क.ज. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
(अ.एवं.यू. तिबिया कालेज)

मू.	3085.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-102.00)	2984.00	2866.13	-117.87

**Z.1- Medical and Public Health
(Dr. N.C. Joshi Memorial Hospital)**

O. 1394.50)

R. 50) 1395.00 1163.76 -231.24

**AB.1- Medical and Public Health
(Lal Bahadur Shastri Hospital)**

O. 5036.50)

R. -142.50) 4894.00 4821.32 -72.68

**AC.1- Medical and Public Health
(Rao Tula Ram Hospital)**

O. 3929.00)

R. -721.00) 3208.00 2761.16 -446.84

**AD.1- Medical and Public Health
(Guru Gobind Singh Hospital)**

O. 4171.00)

R. -315.00) 3856.00 3630.60 -225.40

**AE.1- Medical and Public Health
(Babu Jagjivan Ram Hospital)**

O. 3372.50)

R. 68.50) 3441.00 3247.63 -193.37

**AF.1- Medical and Public Health
(Maharishi Balmiki Hospital)**

O. 3621.00)

R. -93.00) 3528.00 3244.92 -283.08

**AG.1- Medical and Public Health
(Satyawadi Raja Harishchandra
Hospital)**

O. 3728.00)

S. 50)

R. -438.50) 3290.00 2836.26 -453.74

**AH.1- Medical and Public Health
(A&U Tibbia College)**

O. 3085.00)

S. 1.00)

R. -102.00) 2984.00 2866.13 -117.87

क. झ. 1 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
(बी0आर0 सूर होम्योपैथिक मेडीकल कालेज)				
मू.	949.00)			
पु.	-100.00)	849.00	689.69	-159.31

मुख्यशीर्ष "2211"

ट. 2 - परिवार कल्याण

मू.	9250.00)			
पू.	1.00)			
पु.	3066.00)	12317.00	7004.49	-5312.51

1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2210" - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य - (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवायें ऐलोपैथी - (क) निर्देशन एवं प्रशासन - चिकित्सा स्थापना - 546.78 लाख रुपये की बचत (1962.77 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पूर्वानुमानित बिलों/दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।**

(ख) स्कूल स्वास्थ्य योजना - 1622.76 लाख रुपये की बचत (3680.95 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, खरीद प्रस्ताव स्वीकृत न होने एवं पूर्वानुमानित बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ग) अस्पताल एवं औषधालय - (i) सरकारी औषधालय - 3613.80 लाख रुपये की बचत (14751.38 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे न जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं खरीद प्रस्तावों के निपटारा न होने के कारण हुई।

(ii) मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान - 1296.36 लाख रुपये की बचत (8001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः अनुग्रहीता संस्थाओं द्वारा कम मांग किये जाने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली राज्य कैसर संस्थान को सहायता अनुदान - 6600.00 लाख रुपये की बचत (8700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं अनुग्रहीता संस्थाओं द्वारा कम मांग किये जाने के कारण हुई।

AI.1- Medical and Public Health
(Dr. B.R. Sur Homoeopathic
Medical College)

O.	949.00)			
R.	-100.00)	849.00	689.69	-159.31

Major Head "2211"

K.1- Family Welfare

O.	9250.00)			
S.	1.00)			
R.	3066.00)	12317.00	7004.49	-5312.51

Saving occurred more than Rs.1.00 crore under the following sub-heads: -

1. **Under Major Head "2210" - Medical and Public Health - (A) Urban Health Services Allopathy - (a) Direction & Administration - Medical Establishment - Saving of ₹546.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1962.77 lakhs) was mainly due to anticipated bills / claims not received.**

(b) School Health Scheme - Saving of ₹1622.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3680.95 lakhs) was mainly due to vacant posts, non finalization of purchase proposal & non receipt of anticipated bills.

(c) Hospital and Dispensaries - (i) Govt. Dispensaries - Saving of ₹3613.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14751.38 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims / bills & non finalization of proposals.

(ii) Grant In Aid to Institute of Human Behaviour and Allied Sciences - Saving of ₹1296.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8001.00 inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to less demand from the grantee institution.

(iii) Grant In Aid to Delhi State Cancer Institute - Saving of ₹6600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8700.00) was mainly due to release of less grant & less demand from the grantee institution.

(iv) दीप चन्द बंधु अस्पताल — 1346.43 लाख रुपये की बचत (2700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं आई.पी.डी. सेवाओं के प्रवर्तन में न आने के कारण हुई।

(v) डीडीयू सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सहायता अनुदान — 500.00 लाख रुपये की बचत (8500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(vi) राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सहायता अनुदान— 3001.00 लाख रुपये की बचत (16001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(vii) जी.बी. पन्त अस्पताल — 733.45 लाख रुपये की बचत (22778.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मशीन एवं उपकरणों की खरीद के टेन्डरों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण हुई।

(viii) अरुणा आसफ अली सरकारी अस्पताल (सिविल अस्पताल) — 569.98 लाख रुपये की बचत (3699.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने तथा सामान की खरीद समय पर न होने के कारण हुई।

(ix) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल— अस्पताल प्रशासन का पुनरुधार — 753.97 लाख रुपये की बचत (18196.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं मशीनरी की खरीद के अमल में न आने के कारण हुई।

(x) गुरु तेग बहादुर मेडीकल कालेज एवं अस्पताल — 1936.44 लाख रुपये की बचत (24326.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः टेन्डरों एवं एमएसीपी केंसों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(xi) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज — 126.66 लाख रुपये की बचत (13677.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति एवं कम विदेश यात्राओं के कारण हुई।

(xii) डा० बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल — 2513.66 लाख रुपये की बचत (10917.75 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, स्टोर के सामान की कम खरीद एवं मुख्य टेन्डरों का निपटारा न होने के कारण हुई

(iv) Deep Chand Bandhu Hospital - Saving of ₹1346.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2700.00 lakhs) was mainly due to vacancies & non commissions of IPD services.

(v) Grant-in-aid to DDU Super Specialty Hospital - Saving of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs) was mainly due to release of less grant.

(vi) Grant-in-aid to Rajiv Gandhi Super Specialty Hospital - Saving of ₹3001.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of less grant.

(vii) G B Pant Hospital - Saving of ₹733.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22778.00 lakhs) was mainly due to tender for purchase proposals of machine & equipment not finalized.

(viii) Aruna Asaf Ali Govt. Hospital (Civil Hospital) - Saving of ₹569.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3699.50 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts and non materialization of purchase in time.

(ix) Deen Dayal Upadhyaya Hospital Revamping of Hospital Administration - Saving of ₹753.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18196.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, less bills received and proposal for purchase of machinery is not materialized.

(x) Guru Teg Bahadur Medical College and Hospital - Saving of ₹1936.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24326.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to non finalization of tender and MACP cases.

(xi) Maulana Azad Medical College - Saving of ₹126.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13677.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills & foreign tours.

(xii) Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital - Saving of ₹2513.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10917.75 lakhs) was mainly due to vacancies, less procurement of stores & non-finalization of major tenders.

(xiii) श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय - 482.66 लाख रुपये की बचत (2399.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, पदों के योजना से गैर योजना में परिवर्तित होने, टेन्डरों का निपटारा न होने एवं कम बिलों की प्राप्ति के कारण हुई ।

(xiv) भगवान महावीर अस्पताल - 449.45 लाख रुपये की बचत (3985.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं टेन्डरों का निपटारा न होने के कारण हुई ।

(xv) मालवीय नगर कालोनी अस्पताल - 188.64.00 लाख रुपये की बचत (2787.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं खरीद प्रस्तावों का निपटारा न होने के कारण हुई ।

(xvi) आचार्य भिक्षु अस्पताल - 183.94 लाख रुपये की बचत (3114.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं टेन्डरों का निपटारा न होने के कारण हुई ।

(xvii) जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल, शास्त्री पार्क कालोनी - 306.88 लाख रुपये की बचत (3656.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने एवं खरीद के प्रस्तावों का निपटारा न होने के कारण हुई ।

(xviii) डा० एन. सी. जोशी मेमोरियल अस्पताल - 230.74 लाख रुपये की बचत (1394.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने एवं टेन्डर प्रस्तावों का निपटारा न होने के कारण हुई ।

(xix) राव तुला राम अस्पताल - 1167.84 लाख रुपये की बचत (3929.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, खरीद प्रस्तावों का निपटारा न होने एवं प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(xx) महर्षि बाल्मिकी अस्पताल - 376.08 लाख रुपये की बचत (3621.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, सीपीए द्वारा भुगतान स्वयं करने तथा टेन्डर प्रस्तावों का निपटारा न होने के कारण हुई ।

(xxi) सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र अस्पताल, नरेला- 892.24 लाख रुपये की बचत (3728.50 लाख रुपये की स्वीकृत प्रावधान एवं 0.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं प्रत्याशित दावों/बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(xiii) Shri Dadadev matri Avam Shishu Chikitsalaya – Saving of ₹482.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2399.00 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, conversion of posts from plan to non-plan, non finalization of tenders & receipt of less bills.

(xiv) Bhagwan Mahavir Hospital - Saving of ₹449.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3985.00 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims/bills and non finalization of tenders.

(xv) Malviya Nagar Colony Hospital - Saving of ₹188.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2787.00lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims/bills and non finalization of procurement proposals.

(xvi) Acharya Bhikshu Hospital - Saving of ₹183.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3114.00 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims/bills and non finalization of tenders.

(xvii) Jag Prवेश Chandra Hospital, Shastri Park Colony - Saving of ₹306.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3656.00 lakhs) was mainly due to vacant post & non finalization of purchase proposals.

(xviii) Dr. N.C. Joshi Memorial Hospital - Saving of ₹230.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1394.50 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts and tenders proposals not finalized.

(xix) Rao Tula Ram Hospital – Saving of ₹1167.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3929.00 lakhs)) was mainly due to vacancies, non finalization of purchase proposal & non receipt of anticipated bills.

(xx) Maharishi Balmiki Hospital – Saving of ₹376.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3621.00 lakhs)) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims, payments were made by CPA at their end and tender process not finalized.

(xxi) Satyawadi Raja Harishchandra Hospital at Narela - Saving of ₹892.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3728.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹0.50 lakhs) was mainly due to vacancies and non receipt of anticipated claims/bills.

(घ) अन्य खर्च – (i) विशेष सेवाएं – 103.12 लाख रुपये की बचत (186.73 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे न जाने एवं कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ii) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुदान – 2868.75 लाख रुपये की बचत (10975.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः खरीद प्रस्तावों के अमल में न आने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।

(iii) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुदान – 345.00 लाख रुपये की बचत (1680.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अनुदान कम जारी होने के कारण हुई।

(iv) पूर्वी दिल्ली नगर निगम को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुदान – 955.00 लाख रुपये की बचत (3820.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण हुई।

(v) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को आई0एस0एम0 औषधालयों एवं अस्पतालों के लिए अनुदान – 125.00 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण हुई।

(vi) दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (सीएसएस) – 991.50 लाख रुपये की बचत (14029.61 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः प्रस्तावों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ड) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – (i) जे जे कल्स्टर (एस.सी.एस.पी.) के लिए मोबाइल वैन औषधालय – 369.70 लाख रुपये की बचत (1554.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः स्टोर के सामान की कम खरीद होने एवं भुगतान के लिए दावों के परिपक्व न होने के कारण हुई।

(ii) स्वास्थ्य केन्द्र (एस सी एस पी) – 1600.10 लाख रुपये की बचत (5304.46 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः स्टोर के सामान की कम खरीद एवं प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (एस सी एस पी) – 216.54 लाख रुपये की बचत (5034.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे न जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं प्रस्तावों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(d) Other Expenditure – (i) Specialists Service – Saving of ₹103.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹186.73 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts & receipt of less claims / bills.

(ii) Grant to North Delhi Municipal Corporation for Health Purposes- Saving of ₹2868.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10975.00 lakhs) was mainly due to non materialization of purchase proposals & vacant posts.

(iii) Grant to South Delhi Municipal Corporation for Health Purposes- Saving of ₹345.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1680.00 lakhs) was mainly due to release of less grant.

(iv) Grant to East Delhi Municipal Corporation for Health Purposes- Saving of ₹955.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3820.00 lakhs) was mainly due to code of conduct came into force in respect of Assembly Election.

(v) Grant In Aid to North Delhi Municipal Corporation for ISM Dispensaries / Hospitals- Saving of ₹125.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to code of conduct came into force in respect of Assembly Election.

(vi) Delhi State Health Mission (CSS) – Saving of ₹991.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14029.61 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to non finalization of proposals.

(e) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Mobile Van Dispensaries for JJ Clusters (SCSP) - Saving of ₹369.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1554.00 lakhs) was mainly due to less purchase of store items & non maturity of claims for payment.

(ii) Health Centres (SCSP) – Saving of ₹1600.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5304.46 lakhs) was mainly due to less purchase of stores items and anticipated bills not received.

(iii) Lal Bahadur Shastri Hospital (SCSP) – Saving of ₹216.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5034.50 lakhs) was mainly due to non-filling of vacant posts, receipt of less claims / bills & non materialization of proposals.

(iv) गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल (एस सी एस पी) - 540.40 लाख रुपये की बचत (4171.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने एवं ठेकेदारों द्वारा बिल प्रस्तुत न किये जाने के कारण हुई।

(v) बाबू जगजीवन राम अस्पताल (एस सी एस पी) - 124.87 लाख रुपये की बचत (3372.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः टेण्डरों का निपटारा न होने एवं पूर्ण बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ब) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान - एलोपैथी - शिक्षा - नये चिकित्सा महाविद्यालयों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों एवं पैरामेडिकल संस्थानों की स्थापना - 1995.14 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः परियोजना पर अमल न होने के कारण हुई।

(स) जन स्वास्थ्य - (क) अन्य व्यय - (i) विभिन्न जन स्वास्थ्य अभियानों के लिए विशेष प्रकोष्ठ - 169.61 लाख रुपये की बचत (450.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) पूर्वी दिल्ली नगर निगम को जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान - 112.50 लाख रुपये की बचत (450.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सभी टेण्डरों के अमल में न आने के कारण हुई।

(iii) राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (सीएसएस) - 1273.34 लाख रुपये की बचत (4400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम अनुदान प्राप्त होने एवं नियत प्रस्तावों पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(ख) निर्देशन एवं प्रशासन - जन स्वास्थ्य निदेशालय - 547.92 लाख रुपये की बचत (650.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण एवं नियत प्रस्तावों पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(ग) खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम - (i) खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम का कार्यान्वयन - 1517.93 लाख रुपये की बचत (2793.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं नवीकरण कार्य पूरा न होने के कारण हुई।

(iv) Guru Gobind Singh Hospital (SCSP) – Saving of ₹540.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4171.00 lakhs) was mainly due to non-filling of vacant posts, receipt of less claims / bills & non submission of bills by contractor.

(v) Babu Jagjivan Ram Hospital (SCSP) – Saving of ₹124.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3372.50 lakhs) was mainly due to non finalization of tenders & non receipt of complete bills.

(B) Medical Education, Training and Research – Allopathy – Education – Establishment of new medical college, medical university and para medical institutes – Saving of ₹1995.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was mainly due to project not materialized.

(C) Public Health – (a) Other Expenditure – (i) Special Cell for Conducting various Public Health Campaigns – Saving of ₹169.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was mainly due to vacancies & anticipated bills not received.

(ii) Grant In Aid to East Delhi Municipal Corporation for Public Health Programme – Saving of ₹112.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was mainly due to some tenders were not materialized.

(iii) National Aids and STD Control Preamble (CSS) – Saving of ₹1273.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4400.00 lakhs) was mainly due to receipt of less grant from Govt. of India & approval of the Competent Authority not received on certain proposals.

(b) Direction & Administration – Directorate of Public Health - Saving of ₹547.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹650.00 lakhs) was mainly due to slow progress of the scheme & approval of the Competent Authority not received on certain proposals.

(c) Prevention of Food Adulteration – (i) Implementation of Prevention of Food Adulteration Act – Saving of ₹1517.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2793.00 lakhs) was mainly due to vacancies, receipt of less claims / bills and non completion of renovation works.

(ii) खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला -171.85 लाख रुपये की बचत (202.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः जिलेवार प्रयोगशाला का प्रस्ताव मंजूर न होने के कारण हुई।

(घ) औषधि नियंत्रण - औषधि नियंत्रण संगठन - 143.64 लाख रुपये की बचत (707.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं खरीद प्रस्तावों के अमल में न आने के कारण हुई।

(द) सामान्य - अन्य व्यय - केन्द्रीय खरीद एजेंसी एवं राज्य औषधि प्राधिकरण - 12258.42 लाख रुपये की बचत (14781.20 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, योजना की धीमी प्रगति एवं योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

(त) शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ चिकित्सा की अन्य पद्धति - (क) होम्योपैथी - (i) होम्योपैथिक औषधालय - 145.38 लाख रुपये की बचत (2122.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः धनराशि के समर्पण का प्रस्ताव पहले ही किया जा चुका था।

(ii) होम्योपैथिक औषधालय/इकाईयां - डॉ० बी०आर० सूर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय - 259.31 लाख रुपये की बचत (949.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं कोडल औपचारिकताओं के समय पर पूरा न होने के कारण हुई।

(ख) आयुर्वेद - ए एवं यू तिबिया कालेज - 219.87 लाख रुपये की बचत (3086.00 लाख रुपये की स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों व बिलों की प्राप्ति, कम लाभार्थियों एवं टेण्डरों का निपटारा न होने के कारण हुई।

2. मुख्यशीर्ष "2211" - परिवार कल्याण - (अ) निर्देशन एवं प्रशासन - (क) परिवार कल्याण निदेशालय टीक्यूएम एवं व्यवस्था सुधार सहित - 199.02 लाख रुपये की बचत (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(ब) शहरी परिवार कल्याण सेवाएँ - अस्पतालों में पोस्ट मार्टम इकाइयों पर खर्च - 239.95 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने एवं दिल्ली नगर निगम को अनुदान जारी न किये जाने के कारण हुई।

(ii) Food & Drug Lab – Saving of ₹171.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹202.50 lakhs) was mainly due to proposal of district wise lab has been dropped.

(d) Drug control – Drug control Organization – Saving of ₹143.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹707.00 lakhs) was mainly due to vacancies & purchase proposal not materialized.

(D) General – Other Expenditure – Central Procurement Agency & State Drug Authority – Saving of ₹12258.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14781.20 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacancies, slow progress of scheme & non implementation of scheme.

(E) Urban Health Services Other System of Medicines – (a) Homoeopathy – (i) Homeopathic Dispensaries – Saving of ₹145.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2122.00 lakhs) was mainly due to surrender of funds proposals already moved.

(ii) Homeopathic Dispensaries / Units – Dr. B. R. Sur Homoeopathic Medical College – Saving of ₹259.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹949.00 lakhs) was mainly due to vacancies, less claims bills and non fulfillment of codal formalities in time.

(b) Ayurveda – A & U Tibbia College – Saving of ₹219.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3086.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacancies, less bills / claims, less beneficiaries & non finalization of tenders.

2. Under Major Head “2211” – Family Welfare – (A) Direction & Administration – (a) Directorate of Family Welfare inclusive of TQM and system Reforms – Saving of ₹199.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was mainly due to slow progress of the scheme.

(B) Urban Family Welfare Services – Expenditure on Post-Partum Units in Hospitals – Saving of ₹239.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to non receipt of approval of the Competent Authority & Grant to MCD not released.

(स) मातृ एवं बाल स्वास्थ्य — विशेष टीकाकरण कार्यक्रम एम. एम. आर. — 1325.96 लाख रुपये की बचत (1495.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति एवं खरीद प्रस्तावों के अमल में न आने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 695.42 लाख रुपये की बचत 10 उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम था।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गईं

1. मुख्यशीर्ष "2210"— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य—(अ) शहरी स्वास्थ्य सेवायें—एलोपैथी—अस्पताल एवं औषधालय —(i) लोक नायक अस्पताल — 539.91 लाख रुपये का अधिक व्यय (30964.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक दावों/बिलों की प्राप्ति, स्टोर के सामान की अधिक खरीद, लाभार्थियों की अधिक संख्या एवं बिजली के बिलों के भुगतान के कारण हुआ।

(ii) डॉ० हेडगेवार आरोग्य संस्थान — 222.72 लाख रुपये का अधिक व्यय (3945.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः एमएसीपी एरियर, बिजली बिलों का भुगतान, आपूर्ति एवं सामग्री की अधिक खरीद एवं अधिक बिलों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ब) जन स्वास्थ्य — अन्य व्यय — (i) लिवर एवं बिलियरी विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान — 3598.96 लाख रुपये का अधिक व्यय (3601.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ii) एचआईवी/एड्स प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता — 117.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (151.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः योजना की अच्छी प्रगति के कारण हुआ।

(स) सामान्य — अन्य व्यय — दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना — पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधाएं — 2498.74 लाख रुपये का अधिक व्यय (4001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः पेंशनभोगियों के अधिक दावों के कारण हुआ।

(C) Maternity & Child Health – Special Immunization Programme MMR - Saving of ₹1325.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1495.00 lakhs) was mainly due to slow progress of scheme & purchase proposal not materialized.

Further, saving of ₹695.42 lakhs remained under 10 sub-heads which exceeds ₹50.00 lakhs but less than ₹1.00 crore.

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub-heads: –

1. Under Major Head “2210” – Medical and Public Health – (A) Urban Health Service – Allopathy – Hospital & Dispensaries – (i) Lok Nayak Hospital – Excess of ₹539.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30964.50 lakhs) was mainly due to receipt of more claims / bills, purchase of more store items and more number of beneficiaries & payment of electricity bills.

(ii) Dr. Hedgewar Arogya Sansthan – Excess of ₹222.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3945.00 lakhs) was mainly due to MACP arrear, payment of electricity bills, procurement of more supplies & materials & more bills.

(B) Public Health – Other Expenditure – (i) Grant-in-aid to Institute for Liver and Biliary Sciences – Excess of ₹3598.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3601.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹ 1.00 lakhs) was mainly due to release of more grant.

(ii) Financial Assistance to HIV / AIDS Affected Persons – Excess of ₹117.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹151.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹ 1.00 lakhs) was mainly due to good progress of scheme.

(C) General – Other Expenditure – Delhi Government Employees Health Scheme – Medical Facilities to Pensioners – Excess of ₹2498.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to more claims of pensioners.

(द) शहरी स्वास्थ्य सेवायें चिकित्सा की अन्य पद्धति - आयुर्वेद - आयुष निदेशालय - 172.45 लाख रूपये का अधिक व्यय (1827.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सीबीपीएस द्वारा अतिरिक्त नमूने लिए जाने, रेडियो कार्यक्रम शुरू करने, मजदूरी की दर बढ़ने एवं नये औषधालयों के लिए दवाओं की खरीद के कारण हुआ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 18.51 लाख रूपये की कुल बचत थी जो कि कुल स्वीकृत प्रावधान का 16.09 प्रतिशत थी।

(D) Urban Health Services Other System of Medicines – Ayurveda – Directorate of Ayush - Excess of ₹172.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1827.00 lakhs) was mainly due to lifting of additional sample from CBPS, launching of radio program, increase rate of wages & procurement of medicine for new dispensaries.

In the Voted portion of the Capital Section of the grant, there was overall saving of ₹18.51 lakhs, which constituted 16.09% of the total sanctioned provision.

अनुदान संख्या 8 – समाज कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोजन		वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)				
राजस्व				
स्वीकृत				
मूल	3309,17,00)			
पूरक	234,90,00)	3544,07,00	3261,07,85	-282,99,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				19,71,00
पूँजीगत				
मूल	1507,01,00)			
पूरक	5,00)	1507,06,00	764,49,32	-742,56,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				111,14,00
टीका एवं टिप्पणियां				

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 28299.15 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण विनियोजन का 7.98 प्रतिशत थी।

5479.90 लाख रूपये की राशि 44 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

1. मुख्यशीर्ष "2235" - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण - समाज कल्याण - महिला कल्याण - इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) (सीएमबी) - राज्य अंश - 148.00 लाख रूपये - राज्य अंश योजना कम जारी होने के कारण।
2. मुख्यशीर्ष "2225" - अ.जा/अ.ज.जा एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण - (अ) अनुसूचित जातियों का कल्याण - (क) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - (i) अ.जा. झुग्गी-झोपड़ी वासियों के लिए राजीव गांधी रत्न आवास योजना के अन्तर्गत डी.यू.एस.आई.बी. को सहायता अनुदान (एस.सी.एस.पी) - 100.00 लाख रूपये - अनुदान कम जारी होने के कारण।

(ii) अ.जा. के लिए शिक्षा हब (एस.सी.एस.पी) - 100.00 लाख रूपये - प्रशासनिक कारणों से निधि का उपयोग नहीं किया जा सका।

GRANT NO. 8 – SOCIAL WELFARE

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)				
REVENUE				
Voted -				
Original	3309,17,00)			
Supplementary	234,90,00)	3544,07,00	3261,07,85	-282,99,15
Amount surrendered during the year				19,71,00
CAPITAL				
Voted -				
Original	1507,01,00)			
Supplementary	5,00)	1507,06,00	764,49,32	-742,56,68
Amount surrendered during the year				111,14,00

Notes and Comments

In the Voted portion of Revenue Section of the grant, saving of ₹28299.15 lakhs constituted 7.98% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹5479.90 lakhs remained wholly unutilised under 44 sub-heads. This includes the following: -

1. Under Major Head "2235" – Social Security & Welfare – Social Welfare – Women Welfare – Indira Gandhi Matruva Sahyog Yojna (IGMSY)(CMB) State share – ₹148.00 lakhs – due to release of less State share scheme.
2. Under Major Head "2225" – Welfare of SC/ST & Backward Classes – (A) Welfare of Scheduled Castes – (a) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Grant in Aid to DUSIB for financial assistance SC Slum Dwellers under Rajiv Gandhi Ratan Awaas Yojna (SCSP) – ₹100.00 lakhs – due to release of less grant.

(ii) Education Hub for SC (SCSP) - ₹100.00 lakhs - due to funds could not be utilized due to administrative reasons.

(iii) दिल्ली हेल्थ मिशन को अ.जा. की गर्भवती महिलाओं को "मातृ शिशु सुरक्षा योजना" के अंतर्गत अनुदान (एस.सी.एस.पी.) - 100.00 लाख रुपये - साल के अंत में निधि प्राप्त होने के कारण।

(iv) अ.जा. की महिलाओं के लिए भ्रूण सुरक्षा प्रसूति संस्थान को दिल्ली हेल्थ मिशन को अनुदान (एस.सी.एस.पी.) - 100.00 लाख रुपये - अनुदान कम जारी होने के कारण।

(ख) शिक्षा - मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना (सीएसएस) - 300.00 लाख रुपये - भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण।

(ब) सामान्य - अन्य व्यय - रोजगार के रूप में मैला ढोने के कार्य का निषेध करना एवं उनका पुनर्वास करना - 1000.00 लाख रुपये - मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति एवं दिल्ली नगर निगम से निधि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव समय पर न मिलने के कारण।

3. मुख्यशीर्ष "3435"- पारिस्थितिक एवं पर्यावरण - प्रदूषण पर नियंत्रण एवं रोकथाम - अन्य व्यय - केंद्रीय केंद्र निजी बस क्लस्टर एवं पीआईएस का परिचालन - 1000.00 लाख रुपये - योजना की धीमी प्रगति एवं सक्षम अधिकारी का अनुमोदन न मिलने के कारण।

4. मुख्यशीर्ष "3452"- पर्यटन - (अ) पर्यटन का बुनियादी ढांचा - सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपकरणों को सहायता - होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी दिल्ली को सहायता अनुदान - 500.00 लाख रुपये - मुख्यतः भारत सरकार से कम अनुदान मिलने एवं परियोजना के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने के कारण।

(ब) सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपकरणों को सहायता - (i) छावला एवं कांगनहेरी जल कीड़ा के विकास के लिए डीटी एवं टीडीसी को सहायता अनुदान (सीएसएस) - 140.00 लाख रुपये - मुख्यतः पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से फंड जारी न होने के कारण।

(ii) दिल्ली हाट, जनकपुरी के विकास के लिए डीटी एवं टीडीसी को सहायता अनुदान (सीएसएस) - 1552.00 लाख रुपये - मुख्यतः अनुदान कम जारी होने एवं भारत सरकार से फंड जारी न होने के कारण।

(iii) Grant-in-aid to Delhi Health Mission for SC pregnant Woman under "Matri Shishu Suraksha Yojna (SCSP) – ₹100.00 lakhs - due to funds received at the fag end of the year.

(iv) Grant-in-aid to Delhi Health Mission for providing Antinatal Case Institutional Delivery for SC Women (SCSP) – ₹100.00 lakhs - due to release of less grant.

(b) Education – Post Matric Scholarship Scheme (CSS) – ₹300.00 lakhs - due to non receipt of funds from Govt. of India.

(B) General – Other Expenditure – Implementation of prohibition of employment as manual scavenger and their rehabilitation - ₹1000.00 lakhs - due to slow progress of scheme & proposals of funds from MCD not received in time.

3. Under Major Head "3435" – Ecology and Environment – Prevention and Control of Pollution – Other Expenditure – Operation & Central Centre Private Bus Cluster & PIS – ₹1000.00 lakhs - due to slow progress of scheme & approval of the Competent Authority not received.

4. Under Major Head "3452" – Tourism – (A) Tourist Infrastructure – Assistance to Public Sector and Other Undertakings – Grant in Aid to Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology - ₹500.00 lakhs - due to release of less grant & non finalization of project.

(B) General – Assistance to Public Sector and Other Undertakings – (i) Grant in Aid to DT&TDC for Development of Chhawla and Kanganheri Water Sports (CSS) - ₹140.00 lakhs - due to non releasing of funds by the Ministry of Tourism, Govt. of India.

(ii) Grant-in-aid to DT&TDC for Development of Delhi Haat at Janak puri (CSS) – ₹1552.00 lakhs - due to release of less grant & non releasing of funds by the Govt. of India.

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मुख्यशीर्ष "2235"

अ. 2 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	76872.00)			
पू.	3.00)			
पु.	-4392.32)	72482.68	67601.89	-4880.79

मुख्यशीर्ष "2235"

ब. 2 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	64621.40)			
पू.	1015.82)			
पु.	-4491.09)	61146.13	55769.45	-5376.68

मुख्यशीर्ष "2236"

ब. 3 - पोषण

मू.	21997.00)			
पु.	-1017.00)	20980.00	16285.03	-4694.97

मुख्यशीर्ष "2225"

स. 1 - अ.जाति/अ.ज.जाति
एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

मू.	31517.00)			
पू.	473.21)			
पु.	-2317.21)	29673.00	24604.91	-5068.09

मुख्यशीर्ष "2041"

द 1 - वाहनों पर कर

मू.	16813.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-846.50)	15967.50	14616.37	-1351.13

मुख्यशीर्ष "3055"

द. 3 - सड़क परिवहन

मू.	101401.00)			
पू.	21995.97)			
पु.	5904.03)	129301.00	129229.52	-71.48

मुख्यशीर्ष "3075"

द. 4 - अन्य परिवहन सेवाएँ

मू.	10500.00)			
पू.	1.00)			
पु.	6905.00)	17406.00	15931.00	-1475.00

Saving / Excess occurred mainly under the following major heads: –

(In lakh of rupees)

Major Head “2235”

A.2-Social Security and Welfare

O. 76872.00)

S. 3.00)

R. -4392.32) 72482.68 67601.89 -4880.79

Major Head “2235”

B.2-Social Security and Welfare

O. 64621.40)

S. 1015.82)

R. -4491.09) 61146.13 55769.45 -5376.68

Major Head “2236”

B.3-Nutrition

O. 21997.00)

R. -1017.00)

20980.00 16285.03 -4694.97

Major Head “2225”

C.1-Welfare of SC/ST and
Other Backward Classes

O. 31517.00)

S. 473.21)

R. -2317.21) 29673.00 2460.91 -5068.09

Major Head “2041”

D.1-Taxes on Vehicles

O. 16813.00)

S. 1.00)

R. -846.50) 15967.50 14616.37 -1351.13

Major Head “3055”

D.3-Road Transport

O. 101401.00)

S. 21995.97)

R. 5904.03) 129301.00 129229.52 -71.48

Major Head “3075”

D.4-Other Transport Services

O. 10500.00)

S. 1.00)

R. 6905.00) 17406.00 15931.00 -1475.00

मुख्यशीर्ष "3435"

द. 5 - परिस्थितिकी एवं पर्यावरण

मू. 2403.00)

पु. -993.50)

1409.50

948.44

-461.06

मुख्यशीर्ष "3452"

ध. 1 - पर्यटन

मू. 4528.00)

पु. -677.00)

3851.00

933.42

-2917.58

1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. मुख्यशीर्ष "2235" - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण - समाज कल्याण - (क) निर्देशन एवं प्रशासन - (i) समाज कल्याण निदेशालय - 282.71 लाख रुपये की बचत (1050.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावों की प्राप्ति तथा विदेश यात्राओं के न होने के कारण हुई ।

(ii) मद्य निषेध प्रचार व प्रसार योजना - 222.26 लाख रुपये की बचत (340.10 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों/बिलों एवं विज्ञापनों/प्रचार पर कम खर्च तथा कार्यालय खर्चों पर कम व्यय के कारण हुई ।

(ख) अपाहिज व्यक्तियों का कल्याण - (i) मंद बुद्धि बच्चों के लिए आवास/स्कूल - 193.28 लाख रुपये की बचत (1132.75 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई ।

(ii) असहाय व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता - 633.24 लाख रुपये की बचत (8001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों का सत्यापन न होने के कारण भुगतान पर रोक लगा दी गई ।

(ग) वृद्ध, अशक्त एवं निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण - (i) महिला एवं पुरुष भिखारियों के लिए आवास - 255.04 लाख रुपये की बचत (859.83 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई ।

Major Head "3435"

D.5-Ecology and Environment

O. 2403.00)

R. -993.50) 1409.50 948.44 -461.06

Major Head "3452"

E.1-Tourism

O. 4528.00)

R. -677.00) 3851.00 933.42 -2917.58

Under the following Major / Sub-heads, saving was more than ₹1.00 crore: –

1. **Under Major Head "2235" – Social Security & Welfare – Social Welfare –**

(a) **Direction & Administration – (i) Directorate of Social Welfare – Saving of ₹282.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1050.50 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims & non-foreign tours.**

(ii) **Prohibition, Propagnada, Publicity scheme – Saving of ₹222.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹340.10 lakhs) was mainly due to less claims / bills, less expenditure on advertisement / publicity & office expenses.**

(b) **Welfare of Handicapped – (i) School/Home for Mentally retarded children – Saving of ₹193.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1132.75 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims / bills.**

(ii) **Unemployment allowance to disabled persons – Saving of ₹633.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to payment with held for want of physical verification of beneficiaries.**

(c) **Welfare of aged, infirmed and destitute – (i) Home for Male and Female Beggars – Saving of ₹255.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹859.83 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims / bills.**

(ii) वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार) - 6776.98 लाख रुपये की बचत (54000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः 70,000 केंसों में सत्यापन न होने के कारण पेंशन का भुगतान रोके जाने के कारण हुई।

(घ) अन्य व्यय - शरणार्थी दस्तकारी दुकानों के लिए प्रशिक्षण-कम-उत्पादन केन्द्र -124.28 लाख रुपये की बचत (261.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों के कारण हुआ।

(ड.) बाल कल्याण - (i) बालकों के लिए बाल गृह / देखभाल गृह - 1045.20 लाख रुपये की बचत (1824.75 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 992.05 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों एवं प्रशासनिक कारणों की वजह से हुई।

(ii) बालिकाओं के लिए बाल गृह / देखभाल गृह - 152.30 लाख रुपये की बचत (423.40 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कैदियों की अधिकृत कम संख्या एवं खरीद प्रस्तावों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(iii) समेकित बाल विकास सेवाएं (सी.एस.एस.) - 3841.87 लाख रुपये की बचत (13000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम अनुदान मिलने एवं फंड को व्यय करने के लिए देरी से अधिकृत करने के कारण हुई।

(iv) आंगनवाड़ी कर्मचारियों एवं सहायकों को मानदेय - 170.42 लाख रुपये की बचत (4540.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन न होने के कारण हुई।

(v) आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.एस.एस.) - 127.33 लाख रुपये की बचत (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम अनुदान प्राप्त होने के कारण हुई।

(v) आईसीडीएस (सामान्य) राज्य अंश - 376.92 लाख रुपये की बचत (1230.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः खरीद प्रस्तावों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(च) महिला कल्याण - (i) विधवाओं को पेंशन - 332.62 लाख रुपये की बचत (21201.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः कई पुराने केंसों के सत्यापन में संतोषजनक जवाब के अभाव में भुगतान रोकने के कारण हुई।

(ii) Senior Citizen Pension Scheme (Expansion of Old age Assistance) – Saving of ₹6776.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54000.00 lakhs) was mainly due to pensions withheld in 70,000 cases for want of physical verification.

(d) Other Expenditure – Training-cum-production center for refugee handicraft shops – Saving of ₹124.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹261.00 lakhs) was mainly due to less claims.

(e) Child Welfare – (i) Children Home/Observation Home for Boys – Saving of ₹1045.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1824.75 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹992.05 lakhs) was mainly due to Vacancies & less claims & administrative reasons.

(ii) Children Home/Observation Home for Girls – Saving of ₹152.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹423.40 lakhs) was mainly due to vacancies, less number of inmates authorized & non finalization of purchase proposals.

(iii) Integrated Child Development Services (CSS) – Saving of ₹3841.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs) was mainly due to receipt of less grant from Govt. of India & authorization of funds received late.

(iv) Honorarium to Anganwadi workers and helpers – Saving of ₹170.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4540.00 lakhs) was mainly due to non operationalization of a few Anganwadi Centres.

(v) ICDS Training Programme (CSS) – Saving of ₹127.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was mainly due to less grant received from Govt. of India.

(vi) ICDS (General) State share – Saving of ₹376.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1230.00 lakhs) was mainly due to purchase proposal not finalized.

(f) Women Welfare – (i) Pension to widows – Saving of ₹332.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21201.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to payment withheld on verification of many old cases for want of satisfactory reasons.

(ii) लाडली योजना - 1541.66 लाख रुपये की बचत (10500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः आवेदन कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) (सी.एस.एस.) - 370.54 लाख रुपये की बचत (700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से अनुदान कम प्राप्त होने एवं प्रशासनिक कारणों से केंसों को निपटाने की प्रक्रिया में देरी होने के कारण हुई।

(iv) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) (सी.एस.एस.)(एस.सी.एस.पी.) - 169.94 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से अनुदान कम प्राप्त होने एवं प्रशासनिक कारणों से केंसों को निपटाने की प्रक्रिया में देरी होने के कारण हुई।

(छ) अन्य कार्यक्रम - भागीदारी - सामाजिक विकास में नई पहल - भागीदारी - 853.63 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अनुदान कम जारी होने एवं तीसरी किश्त के भुगतान के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ज) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - लाडली योजना (एस.सी.एस.पी.) - 312.21 लाख रुपये की बचत (1100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः आवेदन कम प्राप्त होने के कारण हुई।

2. मुख्यशीर्ष "2236" - पोषण - पोषक आहार एवं पेय का वितरण - (क) विशेष पोषण कार्यक्रम

- (i) पूरक पोषण कार्यक्रम (सी.एस.एस.) 4774.04 लाख रुपये की बचत (9210.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम अनुदान मिलने के कारण, बिलों का भुगतान न होने एवं अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण दंड लगाने के कारण हुई।

(ii) राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत किशोरियों के सशक्तीकरण (आर.जी.एस.ई.ए.जी. सबला) हेतु पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) (सी.एस.एस.) - 532.70 लाख रुपये की बचत (915.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम अनुदान मिलने के कारण, बिलों का भुगतान न होने एवं अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण दंड लगाने के कारण हुई।

(iii) राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत किशोरियों के लिए सशक्तीकरण हेतु पोषण के अन्तर्गत अंश (सी.एस.एस.) - 172.78 लाख रुपये की बचत (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम अनुदान मिलने के कारण एवं खरीद प्रक्रिया पर अमल न होने के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - (i) पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.सी.एस.पी.) - 130.84 लाख रुपये की बचत (1731.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भुगतान के लिए बिलों का निपटारा न होने एवं अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण दंड लगाने के कारण हुई।

(ii) Ladli Yojna – Saving of ₹1541.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs) was mainly due to less number of applications received.

(iii) Indira Gandhi Matritva Sahayog Yojna (IGMSY) (CSS) – Saving of ₹370.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was mainly due to release of less grant from Government of India and process of cases delayed due to administrative reasons.

(iv) Indira Gandhi Matritva Sahayog Yojna (IGMSY) (CSS)(SCSP) – Saving of ₹169.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was mainly due to release of less grant from Government of India and process of cases delayed due to administrative reasons.

(g) Other Programmes – Bhagidari-new initiative in social development – Saving of ₹853.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was mainly due to release of less grant & approval of the Competent Authority not received for the release of 3rd installment.

(h) Special Component Plan for Scheduled Castes – Ladli Yojna (SCSP) - Saving of ₹312.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was mainly due to receipt of less applications.

2. Under Major Head “2236” – Nutrition – Distribution of nutritious food and beverages – (a) Special Nutrition Programme – (i) Supplementary Nutrition Programme (CSS) – Saving of ₹4774.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9210.00 lakhs) was mainly due to receipt of less grant from Govt. of India, bills for payment not finalized & penalty imposed for breach of contract.

(ii) Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG SABLA) for Supplementary Nutrition Programme (SNP) (CSS) – Saving of ₹532.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹915.00 lakhs) was mainly due to receipt of less grant from Govt. of India, bills for payment not finalized & penalty imposed for breach of contract.

(iii) Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls for Component other than Nutrition (CSS) - Saving of ₹172.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was mainly due to receipt of less grant from Govt. of India & procurement process not finalized.

(b) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Supplementary Nutrition Programme (SCSP) - Saving of ₹130.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1731.00 lakhs) was mainly due to bills for payment not finalized & imposed penalty for breach of contract.

(ii) राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत किशोरियों के लिए सशक्तीकरण हेतु पोषण के अन्तर्गत अंश (आर.जी.एस.ई.ए.जी. सबला) (एस.सी.एस.पी.) (सी.एस.एस.) - 245.05 लाख रुपये की बचत (350.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भुगतान के लिए बिलों का निपटारा न होने एवं अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण दंड लगाने के कारण हुई।

3. मुख्यशीर्ष "2225" - अ.ज./अ.ज.जा. व पिछड़ा वर्ग का कल्याण - (अ) अनुसूचित जातियों का कल्याण - (क) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - (i) स्कूलों में अनुसूचित जाति के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों व लेखन सामग्री का निःशुल्क वितरण (एस.सी. एस.पी.) - 1336.87 लाख रुपये की बचत (5200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति एवं लाभार्थी विभागों द्वारा हस्तारित निधि का उपयोग न किये जाने के कारण हुई।

(ii) अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक छात्रों को योग्यता छात्रवृत्ति - कक्षा I से XII (एस.सी.एस.पी.) - 1156.04 लाख रुपये की बचत (4500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थी विभागों द्वारा हस्तारित निधि का उपयोग न किये जाने के कारण हुई।

(ख) शिक्षा - (i) स्कूलों में अनुसूचित जाति के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों व लेखन सामग्री का निःशुल्क वितरण - 133.52 लाख रुपये की बचत (6001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थी विभागों द्वारा हस्तारित निधि का उपयोग न किये जाने के कारण हुई।

(ii) अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक छात्रों को योग्यता छात्रवृत्ति - कक्षा I से XII - 1170.99 लाख रुपये की बचत (6000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थी विभागों द्वारा हस्तारित निधि का उपयोग न किये जाने के कारण हुई।

(iii) मैट्रिक के पहले छात्रवृत्ति योजना (सी.एस.एस.) - 722.67 लाख रुपये की बचत (850.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से निधियों के कम प्राप्त होने एवं लाभार्थी विभागों द्वारा हस्तारित निधि का उपयोग न किये जाने के कारण हुई।

(iv) मेरिट-कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (सी.एस.एस.) - 397.24 लाख रुपये की बचत (400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से फंड प्राप्त न होने एवं योजना के ऑनलाइन योजना में बदलने के कारण हुई।

(v) अ. जा. के छात्रों के लिए मैट्रिक के उपरांत छात्रवृत्ति योजना (सी.एस.एस.) - 664.09 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने एवं लाभार्थी विभागों द्वारा हस्तारित निधि का उपयोग न किये जाने के कारण हुई।

(ii) Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG-SABLA) for Supplementary Nutrition Programme (SCSP) (CSS) – Saving of ₹245.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350.00 lakhs) was mainly due to bills for payment not finalized & imposed penalty for breach of contract.

3. Under Major Head “2225” – Welfare of SC/ST & Backward Classes – (A) Welfare of Scheduled Castes – (a) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Free Supply of Books & Stationery to Scheduled Caste Students in Schools (SCSP) – Saving of ₹1336.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5200.00 lakhs) was mainly due to slow progress of scheme & funds transfer to beneficiary departments were not utilized by them.

(ii) Merit Scholarship to SC/ST/OBC and Minority Students-Class I to XII (SCSP) – Saving of ₹1156.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was mainly due to funds transfer to beneficiary departments were not utilized by them.

(b). Education – (i) Free Supply of Books & Stationery to Scheduled Caste Students in schools – Saving of ₹133.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to funds transfer to beneficiary departments were not utilized by them.

(ii) Merit Scholarship to SC/ST/OBC and Minority Students-Class I to XII – Saving of ₹1170.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was mainly due to funds transfer to beneficiary departments were not utilized by them.

(iii) Pre Matric Scholarship Scheme (CSS) – Saving of ₹722.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹850.00 lakhs) was mainly due to less receipt of funds from Govt. of India & funds transfer to beneficiary departments were not utilized by them.

(iv) Merit-cum-means based Scholarship (CSS) – Saving of ₹397.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was mainly due to receipt of less grant from Govt. of India & the scheme has been converted into online scheme.

(v) Post Metric Scholarship for SC Students (CSS) – Saving of ₹664.09 lakhs (against the supplementary provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to less receipt of funds from Govt. of India & funds transfer to beneficiary departments were not utilized by them.

(vi) अ.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक व अनाथों के कमजोर वर्ग के लिए ईशापुर गांव, दिल्ली में केआईएसएस संस्था के सहयोग से आवासीय स्कूल की स्थापना - 313.31 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थी संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ब) पिछड़ा वर्ग का कल्याण - अन्य व्यय - (i) दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग को सहायता अनुदान - 219.96 लाख रुपये की बचत (304.21 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 108.21 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः भुगतान प्रस्ताव को अंतिम रूप से अमल में न लाने के कारण हुई।

(ii) अल्पसंख्यक आयोग को सहायता अनुदान - 130.00 लाख रुपये की बचत (260.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से अनुदान कम जारी होने एवं लाभार्थी विभागों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(स) सामान्य - अन्य व्यय - (i) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में मल्टी सेक्टरल विकास कार्यक्रम (सीएसएस)- 654.74 लाख रुपये की बचत (800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थी विभागों द्वारा हस्तारित निधि का उपयोग न किये जाने के कारण हुई।

(ii) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में मल्टी सेक्टरल विकास कार्यक्रम - राज्य सरकार अंश (योजना)- 208.36 लाख रुपये की बचत (250.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थी विभागों द्वारा हस्तारित निधि का उपयोग न किये जाने के कारण हुई।

4. मुख्यशीर्ष "2041" - वाहनों पर कर - (अ) प्रभार वसूली - 1506.89 लाख रुपये की बचत (3870.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे न जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं बकाया राशि बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ब) अन्य व्यय - स्थानीय निकायों को पार्किंग फीस के बदले क्षतिपूर्ति - (i) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम - 262.42 लाख रुपये की बचत (5100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पार्किंग फीस कम प्राप्त होने के कारण हुई।

5. मुख्यशीर्ष "3075" - अन्य परिवहन सेवायें - अन्य - अन्य व्यय - अन्य योजनाओं के लिए शिक्षा एवं सलाहकारी सेवायें - 494.00 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(vi) Setting up of residential school for weaker section of SC/OBC/Minorities and orphan at Village Ishapur Delhi in collaboration with KISS Society – Saving of ₹313.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to proposal not received from the beneficiary institutions.

(B) Welfare of Backward Classes – Other Expenditure – (i) Grant-in-aid to Delhi Commission for Safai Karamcharis – Saving of ₹219.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹304.21 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹108.21 lakhs) was mainly due to payment proposals not finalized.

(ii) Grant-in-aid to Minority Commission – Saving of ₹130.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹260.00 lakhs) was mainly due to release of less grant from Govt. of India & proposals not received from the beneficiary department.

(C) General – Other Expenditure – (i) Multi-Sectoral development programme for Minority Concentration Districts (CSS) – Saving of ₹654.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was mainly due to funds transfer to beneficiary departments were not utilized by them.

(ii) Multi-Sectoral development programme for Minority Concentration Districts – State Government Share (Plan) – Saving of ₹208.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) was mainly due to funds transfer to beneficiary departments were not utilized by them.

4. Under Major Head “2041” – Taxes on Vehicles – (A) Collection Charges – Saving of ₹1506.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3870.00 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims / bills and pending arrears bills not finalized for payment.

(B) Other Expenditure – Compensation to Local Bodies against Parking Fee – South Delhi Municipal Corporation – Saving of ₹262.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5100.00 lakhs) was mainly due to receipt of less parking fee.

5. Under Major Head “3075” – Other Transport Services – Others – Other Expenditure – Studies/Consultancy Services for other schemes – Saving of ₹494.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to less claims received.

6. मुख्यशीर्ष "3435" - पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण - प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण- अन्य व्यय - डीएमआरसी फीडर बस सेवायें (जेएनएनयूआरएम) - 392.00 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण हुई।
7. मुख्यशीर्ष "3452" - पर्यटन - सामान्य - प्रसार एवं प्रचार - पर्यटन आधारभूत ढांचा - 1182.00 लाख रुपये की बचत (1200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रस्तावों पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 1290.26 लाख रुपये की बचतें 18 उपशीर्षों के अंतर्गत हुईं जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम थीं।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थी :-

1. मुख्यशीर्ष "2235" - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण - समाज कल्याण - (क) वृद्ध कमजोर एवं बेसहारा लोगों का कल्याण - कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्वास केन्द्र - 261.82 लाख रुपये का अधिक व्यय (58.94 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड को भुगतान एवं अधिक दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।

(ख) निर्देशन एवं प्रशासन - सुरक्षा - आंतरिक एवं बाह्य एवं स्वच्छता की वृद्धि - (डीडब्ल्यूसीडी) - 193.98 लाख रुपये का अधिक व्यय (701.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः बकाया बिलों के भुगतान के कारण हुई।

(ग) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना - विधवाओं को पेंशन (एससीएसपी) - 100.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की अधिक संख्या के कारण हुआ।

2. मुख्यशीर्ष "2225" - अ.ज/अ.ज.जा. व पिछड़ा वर्ग का कल्याण - अनुसूचित जाति का कल्याण - (क) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना - पब्लिक स्कूलों में ट्यूशन फीस की अदायगी (एससीएसपी) - 349.83 लाख रुपये का अधिक व्यय (401.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की अधिक संख्या के कारण हुआ।

(ख) शिक्षा - पब्लिक स्कूलों में ट्यूशन फीस की अदायगी - 1427.19 लाख रुपये का अधिक व्यय (1001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण हुआ।

6. **Under Major Head "3435"** – Ecology and Environment – Prevention and control of Pollution– Other Expenditure – DMRC Feeder Bus Services (JNNURM) – Saving of ₹392.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to slow progress of scheme.
7. **Under Major Head "3452"** – Tourism – General – Promotion & Publicity – Tourism Infrastructure - Saving of ₹1182.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was mainly due to approval of the Competent Authority not received against the proposals.

Further, saving of ₹1290.26 lakhs remained under 18 sub-heads which exceeded ₹50.00 lakhs but less than ₹1.00 crore.

The above said savings were partly off set by excesses under the following sub-heads: –

1. **Under Major Head "2235"** – Social Security & Welfare – Social Welfare –
 - (a) Welfare of aged, infirmed and destitute – Rehabilitation centre for lepers – Excess of ₹261.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹58.94 lakhs) was mainly due to payment of Delhi Jal Board & more claims.
 - (b) Direction & Administration – Security-Internal & External and Augmentation of sanitation (DWCD) – Excess of ₹193.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹701.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to payment of pending bills.
 - (c) Special Component Plan for Scheduled Castes – Pension to Widows (SCSP) - Excess of ₹100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1700.00 lakhs) was mainly due to increase number of beneficiaries.
2. **Under Major Head "2225"** – Welfare of SC/ST and Backward Classes – Welfare of Scheduled Castes –
 - (a) Special Component Plan for Scheduled Castes – Re-imbusement of tuition fee in Public Schools (SCSP) – Excess of ₹349.83 lakhs (against the sanctioned provision of 401.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to increase number of beneficiaries.
 - (b) Education – Re-imbusement of tuition fee in Public Schools – Excess of ₹1427.19 lakhs (against the sanctioned provision of 1001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to application received in excess.

3. **मुख्यशीर्ष "3055"** - सड़क परिवहन - सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता -
(i) कलस्टर बसों के घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए - 3428.52 लाख रुपये का अधिक व्यय (17501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने के कारण हुआ।

(ii) डीटीसी को कार्यकारी क्षतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान - 2405.03 लाख रुपये का अधिक व्यय (97594.97 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान, 21594.97 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

4. **मुख्यशीर्ष "3075"** - अन्य परिवहन सेवायें - अन्य - अन्य व्यय - डीएमआरसी को बिक्रीकर/कार्य अनुबंध सेस की प्रतिपूर्ति - 5924.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (10001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः डीएमआरसी के दावों के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त 286.93 लाख रुपये का अधिक व्यय चार उपशीर्षों के अंतर्गत था जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 74256.68 लाख रुपये की कुल बचत थी जोकि कुल स्वीकृत प्रावधान का 49.27 प्रतिशत थी।

52050.00 लाख रुपये की राशि 17 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

1. **मुख्यशीर्ष "4235"** - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत व्यय - समाज कल्याण - अन्य व्यय - (i) मौजूदा भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (एसडब्लूडी)- 200.00 लाख रुपये की बचत - योजना की धीमी प्रगति के कारण।

(ii) मौजूदा भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (डब्लूसीडी)- 200.00 लाख रुपये की बचत - प्रशासनिक देरी के कारण कार्य का निष्पादन नहीं किया जा सका।

2. **मुख्यशीर्ष "6225"** - अ.जा/अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को ऋण-(अ) अ.जा. का कल्याण -अ.जा. के लिए विशेष घटक योजना -डीएसएफडीसी का अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण (एस.सी.एस.पी.)- 1800.00 लाख रुपये - डीएसएफडीसी को कम ऋण जारी किये जाने के कारण।

- (B) Welfare of Backward Classes – Other Loans – Loan to DSFDC for Delhi Swarojgar Yojna for SC/ST/OBC/Minorities – ₹1900.00 lakhs – due to release of less loan to DSFDC.
3. **Under Major Head “5055” – Capital Outlay on Road Transport – (A) Land and Buildings – Purchase of Land for a new Inspection Pit – ₹100.00 lakhs – due to slow progress of work.**
- (B) Investment in Public Sector and other Undertakings – Equity Capital to Delhi Transport Corporation for purchase of Busses - ₹6982.00 lakhs – due to non-release of equity capital to DTC.
- (C) Other Expenditure – (i) Introduction of Electronic Trolley Busses- Alternative mode of Transport – ₹300.00 lakhs – due to approval of the Competent Authority not received.
- (ii) Encouragement of pedestrian and non-motorized vehicles. – ₹100.00 lakhs – due to non implementation of scheme.
4. **Under Major Head “5075” – Capital Outlay on Other Road Transport Services – Others – Other Expenditure – Utilisation of ring railway / RRTS – ₹500.00 lakhs - due to non implementation of scheme.**
5. **Under Major Head “7055” – Loan for Road Transport – (A) Loan to Public Sector & Other Undertakings – Loan to MRTS for reimbursement of Central Tax - ₹34800.00 lakhs - due to approval of the Competent Authority not received.**
- (B) Other Loans – Loan to DTTDC for ISBT - ₹3000.00 lakhs - due to non release of loan.
6. **Under Major Head “7452” – Loan for Tourism – Tourism Infrastructure – Loan to public sector and other undertakings – Infrastructure Loan to DT & DTC – ₹2000.00 lakhs – due to approval of the Competent Authority not received for the proposals.**

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मुख्यशीर्ष "4235"

अ.अ. 1 - सामाजिक सुरक्षा व
कल्याण पर पूंजी परिव्यय

मू.	2663.00)			
पू.	2.00)			
पु.	-542.00)	2123.00	1499.51	-623.49

मुख्यशीर्ष "4225"

स.स. 1 - एससी/एसटी एवं
अन्य पिछड़ा वर्ग पर पूंजी परिव्यय

मू.	3545.00)			
पू.	1.00)			
पु.	494.00)	4040.00	3974.45	-65.55

मुख्यशीर्ष "5055"

द.द. 1 - सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय

मू.	97682.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-7425.00)	90258.00	66894.36	-23363.64

मुख्यशीर्ष "7055"

द.द. 4 - सड़क परिवहन के लिए ऋण

मू.	40451.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-1601.00)	38851.00	4051.00	-34800.00

हुई :- 1.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों/उपशीर्षों के अन्तर्गत

1. **मुख्यशीर्ष "4235"** - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण पर पूंजी परिव्यय - समाज कल्याण - वृद्ध कमजोर एवं बेसहारा लोगों का कल्याण - वृद्धावस्था गृह - 900.49 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।
2. **मुख्यशीर्ष "5055"** - सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय - (अ) भूमि व भवन - परिवहन विभाग - 685.20 लाख रूपये की बचत (1500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति एवं कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई ।

Saving / Excess occurred under the following major heads: —

(In lakh of rupees)

Major Head “4235”

AA.1- Capital Outlay on Social Security and Welfare

O.	2663.00)			
S.	2.00)			
R.	-542.00)	2123.00	1499.51	-623.49

Major Head “4225”

CC.1- Capital Outlay of SC/ST & Other Backward Classes:

O.	3545.00)			
S.	1.00)			
R.	494.00)	4040.00	3974.45	-65.55

Major Head “5055”

DD.1- Capital Outlay on Road Transport

O.	97682.00)			
S.	1.00)			
R.	-7425.00)	90258.00	66894.36	-23363.64

Major Head “7055”

DD.4- Loans for Road Transport

O.	40451.00)			
S.	1.00)			
R.	-1601.00)	38851.00	4051.00	-34800.00

Under the following Major/Sub-heads, saving was more than Rs.1.00 crore—

1. **Under Major Head “4235”** – Capital Outlay on Social Security & Welfare – Social Welfare – Welfare of Aged, infirm and destitute – Old age home – Saving of ₹900.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.
2. **Under Major Head “5055”** – Capital Outlay on Road Transport – (A) Land and Buildings – Transport Department – Saving of ₹685.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work and less claims received.

(ब) सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अन्य उपक्रमों में निवेश – एम.आर.टी. प्राधिकरण को शेयर पूंजी – 22700.00 लाख रुपये की बचत (82700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई ।

इसके अतिरिक्त 64.00 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्ष के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गयी थी –

1. **मुख्यशीर्ष "4225"** – अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय – अ.जा. का कल्याण – अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – अ.जा. की बस्तियों में सुधार (एस.सी.एस.पी.) – 440.57 लाख रुपये का अधिक व्यय (3501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः नई योजना के लागू होने के कारण हुआ ।
2. **मुख्यशीर्ष "5055"** – सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय – भूमि एवं भवन – नये बस टर्मिनल के लिए भूमि की खरीद – 1078.56 लाख रुपये का अधिक व्यय (5001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः योजना की अच्छी प्रगति के कारण हुआ ।
3. **मुख्यशीर्ष "7055"** – सड़क परिवहन के लिए ऋण – सार्वजनिक क्षेत्रों व अन्य उपक्रमों को ऋण – एमआरटीएस को भूमि अधिग्रहण हेतु अधीनस्थ ऋण – 1399.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (2652.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः एमआरटीएस के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के कारण हुआ ।

(B) Investment in Public Sector and other Undertakings – Equity Capital to M.R.T. Authority – Saving of ₹22700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹82700.00 lakhs) was mainly due to less claims received.

Further, savings of ₹64.00 lakhs remained under one sub-head which exceeded ₹50.00 lakhs but less than ₹1.00 crore.

The above said savings were partly off-set by excesses under the following sub-heads: –

1. **Under Major Head “4225”** – Capital Outlay on Welfare of SC/ST and other Backward Classes – Welfare of Scheduled Caste – Special Component Plan for Scheduled Castes – Improvement of SC Basties (SCSP) – Excess of ₹440.57 Lakhs (against the sanctioned provision of ₹3501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to implementation of new scheme.
2. **Under Major Head “5055”** – Capital Outlay on Road Transport – Land and Buildings – Purchase of land for new Bus Terminal – Excess of ₹1078.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to good progress of scheme.
3. **Under Major Head “7055”** – Loans for Road Transport – Loan to Public Sector and other Undertakings – Subordinate Debt for land acquisition for MRTS – Excess of ₹1399.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2652.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to acquisition of land for MRTS.

अनुदान संख्या 9 – उद्योग

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित –			
मूल	3.84)		
पूरक	81.56)	85.40	80.90
			-4.50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं
स्वीकृत –			
मूल	273,93,23)		
पूरक	4.00)	273,97,23	181,61,68
			-92,35,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-74,17,63
पूजीगत			
स्वीकृत –	71,87,00	32,84,44	-39,02,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-7,55,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 4.50 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण विनियोजन का 5.26 प्रतिशत थी । 4.50 लाख रूपये की राशि दो उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 9235.55 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 33.71 प्रतिशत थी ।

4697.62 लाख रूपये की राशि 29 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । इसमें निम्नलिखित शामिल है :-

1. मुख्यशीर्ष "2851" – ग्रामीण व लघु उद्योग – (अ) अन्य व्यय – ई-बिज पोर्टल की सेवाओं का एकीकरण (सीएसएस) – 172.07 लाख रूपये – प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण ।

(ब) हथकरघा उद्योग – (i) हैण्डलूम कपड़ों की बिक्री पर छूट (सीएसएस) – 190.00 लाख रूपये – प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण ।

GRANT NO. 9 – INDUSTRIES

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)				
REVENUE				
<u>Charged –</u>				
<u>Original</u>	<u>3,84)</u>			
<u>Supplementary</u>	<u>81,56)</u>	<u>85,40</u>	<u>80,90</u>	<u>-4,50</u>
Amount surrendered during the year				NIL
<u>Voted –</u>				
<u>Original</u>	<u>273,93,23)</u>			
<u>Supplementary</u>	<u>4,00)</u>	<u>273,97,23</u>	<u>181,61,68</u>	<u>-92,35,55</u>
Amount surrendered during the year				-74,17,63
CAPITAL				
Voted –		71,87,00	32,84,44	-39,02,56
Amount surrendered during the year				-7,55,00

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, saving of ₹4.50 lakhs constituted 5.26% of the total sanctioned appropriation. An amount of ₹4.50 lakhs remained wholly unutilized under two sub-heads:

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, saving of ₹9235.55 lakhs constituted 33.71% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹4697.62 lakhs remained wholly unutilised under 29 sub-heads. This includes the following: -

- Under Major Head “2851” – Village & Small Industries – (A) Other Expenditure – Integration of Services with e-Biz Portal (CSS) – ₹172.07 lakhs - due to process not completed.**

(B) Handloom Industries – (i) Rebate on sale of handloom cloth (CSS) – ₹190.00 lakhs - due to process not completed.

(ii) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के लिए हैण्डलूम का प्रचार (सीएसएस) - 330.00 लाख रुपये - प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण ।

2. मुख्यशीर्ष "2230" - श्रम एवं रोजगार - श्रम - (अ) रोजगार - रोजगार सेवायें - रोजगार कार्यालय के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण - 200.00 लाख रुपये - योजना की धीमी प्रगति एवं प्रस्तावों के अमल में न लाने के कारण ।

(ब) श्रम - (क) बाल/महिला श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार - बाल श्रमिकों का पुनर्वास - 270.00 लाख रुपये - योजना का क्रियान्वयन न होने के कारण ।

(ख) श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा - स्वास्थ्य बीमा योजना - दिल्ली स्वास्थ्य कुटुम्ब सोसायटी को सहायता अनुदान - 400.00 लाख रुपये - अनुदान जारी न होने के कारण ।

3. मुख्यशीर्ष "3456" - नागरिक आपूर्ति - (अ) अन्य व्यय - राज्य खाद्य आयोग - 490.00 लाख रुपये - रिक्त पद भरे न जाने एवं कार्यालय के क्रियाशील न होने के कारण ।

(ब) उपभोक्ता सब्सिडी - ईडब्लूएस के लिए अन्नश्री योजना - 2160.00 लाख रुपये - योजना के लागू न होने के कारण ।

(स) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना - ईडब्लूएस के लिए अन्नश्री योजना (एससीएसपी) - 240.00 लाख रुपये - योजना लागू न होने के कारण ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मुख्यशीर्ष "2851"

अ. 2 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग

मू.	3895.37)			
पू.	3.00)			
पु.	53.33)	3951.70	3046.50	-905.20

मुख्यशीर्ष "2230"

ब.1 - श्रम एवं रोजगार

मू.	1134.66)			
पु.	-373.66)	761.00	584.16	-176.84

(ii) Promotion of Handloom for Deen Dayal Hatkargha Protsahan Yojna (CSS) – ₹330.00 lakhs - due to process not completed.

2. **Under Major Head “2230” – Labour and Employment – (A) Employment – Employment Services – Computerization of working of Employment Exchange – ₹200.00 lakhs - due to slow progress of work & proposal moved not materialized.**

(B) Labour – (a) Improvement in working condition of child/ women labour – Rehabilitation of child labour – ₹270.00 lakhs - due to non implementation of scheme.

(b) Social Security for Labour – Swasthya Bima Yojna – Grant-in-aid to Delhi Swastha Kutumb Society - ₹400.00 lakhs – due to non-release of grant.

3. **Under Major Head “3456” – Civil Supplies – (A) Other Expenditure – State food commission – ₹490.00 lakhs due to non filing of posts & non functional of office.**

(B) Consumer Subsidy – Annashree Scheme for EWS – ₹2160.00 lakhs – due to non implementation of scheme.

(C) Special Component Plan for Scheduled Castes – Annashree Scheme for EWS (SCSP) – ₹240.00 lakhs – due to non implementation of scheme.

Saving / Excess occurred mainly under the following Major Head: –

(In lakh of rupees)

Major Head “2851”

A.2- Village & Small Industries

O. 3895.37)

S. 3.00)

R. 53.33)

3951.70

3046.50

-905.20

Major Head “2230”

B.1- Labour & Employment

O. 1134.66)

R. -373.66)

761.00

584.16

-176.84

मुख्यशीर्ष "2230"

स. श्रम एवं रोजगार

मू. 3138.00)

पु. -1546.90)

1591.10

1513.02

-78.08

मुख्यशीर्ष "3456"

द. 1 - नागरिक आपूर्ति

मू. 18494.00)

पु. -5499.00)

12995.00

12468.84

-526.16

निम्नलिखित मुख्य / उपशीर्षों के अन्तर्गत 1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई :-

1. मुख्यशीर्ष "2851" - ग्रामीण व लघु उद्योग - निर्देशन एवं प्रशासन - मुख्यालय स्थापना - 232.52 लाख रुपये की बचत (1028.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति तथा बिलों के भुगतान का निपटारा न होने के कारण हुई।

2. मुख्यशीर्ष "2230" - श्रम एवं रोजगार - (अ) रोजगार - (क) निर्देशन एवं प्रशासन - रोजगार निदेशालय - 118.14 लाख रुपये की बचत (355.56 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने तथा तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ख) रोजगार सेवायें - सामान्य रोजगार कार्यालय - 212.91 लाख रुपये की बचत (533.75 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ब) श्रम - निर्देशन एवं प्रशासन - मुख्यालय स्थापना - 360.23 लाख रुपये की बचत (1816.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों/बिलों की प्राप्ति, वाहनों की खरीद का निपटारा न होने एवं प्रचार एवं प्रसार पर कम खर्च के कारण हुई।

3. मुख्यशीर्ष "3456" - नागरिक आपूर्ति - (अ) अन्य व्यय - जिला फोरम एवं राज्य आयोग - 235.52 लाख रुपये की बचत (848.45 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने तथा कम दावों के कारण हुई।

(ब) नागरिक आपूर्ति योजना - (क) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को गरीबी से नीचे की रेखा पर सुदृढ़ करना - 495.52 लाख रुपये की बचत (3490.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण हुई।

Major Head "2230"**C.1- Labour & Employment**

O. 3138.00)

R. -1546.90) 1591.10 1513.02 -78.08

Major Head "3456"**D.1- Civil Supplies**

O. 18494.00)

R. -5499.00) 12995.00 12468.84 -526.16

Under the following Sub-heads saving was more than Rs.1.00 Crore: -

1. **Under Major Head "2851" – Village & Small Industries – Direction & Administration – Headquarter Establishment - Saving of ₹232.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1028.00 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims / bills & payment of bills not finalized.**
2. **Under Major Head "2230" – Labour and Employment – (A) Employment – (a) Direction & Administration. – Directorate of Employment – Saving of ₹118.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹355.56 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims/bills.**
(b) Employment Services – General Employment Exchanges – Saving of ₹212.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹533.75 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims/bills.
(B) Labour – Direction & Administration – Headquarter Establishment – Saving of ₹360.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1816.00 lakhs) was mainly due to receipt of less claims/bills, non-finalization of purchase of vehicles and less expenditure on advertisement & publicity.
3. **Under Major Head "3456" – Civil Supplies – (A) Other Expenditure – District Forum and State Commission – Saving of ₹235.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹848.45 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts and less claims.**
(B) Civil Supply Schemes – (a) Streamlining of Public Distribution System with focus upon below poverty line – Saving of ₹495.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3490.00 lakhs) was mainly due to slow progress of scheme.

(ख) टीपीडीएस का कम्प्यूटरीकरण (सीएसएस) – 280.01 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः निधि का उपयोग न करने के कारण हुई।

(ग) टीपीडीएस का कम्प्यूटरीकरण (राज्य अंश) – 459.83 लाख रुपये की बचत (600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(स) उपभोक्ता छूट – (i) उपभोक्ता को चीनी पर छूट – 1567.21 लाख रुपये की बचत (6000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति एवं लाभार्थियों की कम संख्या के कारण हुई।

(ii) आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों की निगरानी करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप – 190.00 लाख रुपये की बचत (250.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 319.47 लाख रुपये की बचत 4 उपशीर्षों अन्तर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थी :-

1. मुख्यशीर्ष "3456" – निर्देशन एवं प्रशासन – 183.08 लाख रुपये का अधिक व्यय (3976.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे जाने, अधिक बिलों एवं एरियर बिलों के भुगतान के कारण हुआ।

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 3902.56 लाख रुपये की कुल बचत थी जोकि कुल स्वीकृत प्रावधान का 54.30 प्रतिशत थी।

0.80 लाख रुपये की राशि एक उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मुख्यशीर्ष "4851"
अ.अ. 1 – ग्रामीण
व लघु उद्योगों के
लिए पूंजीपरिव्यय

5800.00

2727.00

3073.00

(b) Computerization of TPDS (CSS) – Saving of ₹280.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was mainly due to non utilization of funds.

(c) Computerization of TPDS (State Share) – Saving of ₹459.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was mainly due to slow progress of scheme.

(C) Consumers Subsidy – (i) Subsidy to consumers for sugar – Saving of ₹1567.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was mainly due to slow progress of scheme & decrease in the number of beneficiaries.

(ii) Provision for Market intervention to check the rising prices of Essential Commodity – Saving of ₹190.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) was mainly due to slow progress of scheme.

Further saving of ₹319.47 lakhs remained under four sub-heads which exceeded ₹50.00 lakhs but less than ₹1.00 crore.

The above said savings were partly off-set by excesses under the following sub-head: –

1. **Under Major Head “3456” – Direction & Administration –** Excess of ₹183.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3976.50 lakhs) was mainly due to filling up of vacant posts, more bills & payment of arrear bills.

In the **Voted portion of the Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹3902.56 lakhs constituted 54.30% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹0.80 lakhs remained wholly unutilized under one sub-head.

Saving / Excess occurred mainly under the following major heads:-

	(In lakhs of rupees)		
Major Head “4851”			
AA.1 Capital Outlay on			
Village & Small Industries	5800.00	2727.00	-3073.00

मुख्यशीर्ष "6851"

अ.अ. 2 - गांवों एवं
लघु उद्योगों को ऋण

मू.	152.00)			
पु.	-60.00)	92.00	25.67	-66.33

मुख्यशीर्ष "5475"

घ.घ. 1 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं
पर पूंजी परिव्यय

मू.	1235.00)			
पु.	-695.00)	540.00	531.77	-8.23

1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य / उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4851"** - ग्रामीण व लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय - औद्योगिक संपदा - औद्योगिक संपदा/फ्लैटेड कारखाना परिसर की नागरिक सेवाओं का उच्चीकरण व सुधार करना - 3073.00 लाख रुपये की बचत (5800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण हुई ।
2. **मुख्यशीर्ष "6851"** - गांवों एवं लघु उद्योगों को ऋण - खादी एवं ग्राम उद्योग - राजीव गांधी स्वावलम्बी रोजगार योजना के तहत दिल्ली खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड को ऋण - 125.00 लाख रुपये की बचत (150.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।
3. **मुख्यशीर्ष "5475"** - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय - नागरिक आपूर्ति -सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु बनाना - 655.32 लाख रुपये की बचत (700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

Major Head "6851"AA.2 Loans for Village
and Small Industries

O.	152.00)			
R.	-60.00)	92.00	25.67	-66.33

Major Head "5475"DD.1 Capital Outlay on Other
General Economic Services

O.	1235.00)			
R.	-695.00)	540.00	531.77	-8.23

Under the following major / sub-head, saving was more than ₹1.00 crore:-

1. **Under Major Head "4851" – Capital Outlay on Village and Small Industries – Industrial Estate – Upgradation, improvement handling over of Civic Services of Industrial Estate Flatted Factories Complex – Saving of ₹3073.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5800.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.**
2. **Under Major Head "6851" – Loans for Village and Small Industries – Khadi & Village Industries – Loan to Delhi Khadi & Village Industries Board for Rajiv Gandhi Swavlambi Rojgar Yojna – Saving of ₹125.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs) was mainly due to release of less loan & slow progress of work.**
3. **Under Major Head "5475" – Capital Outlay on Other General Economic Services – Civil Supplies – Streamlining of Public Distribution System – Saving of ₹655.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.**

अनुदान संख्या 10 – विकास

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित –	18,20	3,97	-14,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-6,30
स्वीकृत –			
मूल 1900,08,90)			
पूरक 8,00)	1900,16,90	1664,93,94	-235,22,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-75,96,55
पूंजीगत			
प्रभारित –			
मूल 3,00)			
पूरक 13,00)	16,00	..	-16,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं
स्वीकृत			
मूल 397,35,00)			
पूरक 1,00)	397,36,00	266,28,33	-131,07,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			101,88,00
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 14.23 लाख रूपये की कुल बचत (18.20 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 78.18 प्रतिशत थी । 16.20 लाख रूपये की राशि 6 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 23522.96 लाख रूपये की कुल बचत (190016.90 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 8.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 12.38 प्रतिशत थी ।

GRANT NO. 10 – DEVELOPMENT

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)				
REVENUE				
<u>Charged –</u>		<u>18,20</u>	<u>3,97</u>	<u>-14,23</u>
Amount surrendered during the year				<u>-6,30</u>
Voted -				
Original	1900,08,90)	1900,16,90	1664,93,94	-235,22,96
Supplementary	8,00)			
Amount surrendered during the year				<u>-75,96,55</u>
CAPITAL				
<u>Charged–</u>				
Original	<u>3,00)</u>	<u>16,00</u>	..	<u>-16,00</u>
Supplementary	<u>13,00)</u>			
Amount surrendered during the year				<u>Nil</u>
Voted –				
Original	397,35,00)	397,36,00	266,28,33	-131,07,67
Supplementary	1,00)			
Amount surrendered during the year				<u>-101,88,00</u>

Notes and Comments

In the **Charged portion of the Revenue Section** of the grant, saving of ₹14.23 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹18.20 lakhs) constituted 78.18% of the total sanctioned appropriation. An amount of ₹16.20 lakhs remained wholly unutilized under six sub-heads.

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, saving of ₹23522.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹190016.90 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹8.00 lakhs) constituted 12.38% of the total sanctioned provision.

3143.20 लाख रुपये की राशि 39 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. मुख्यशीर्ष "2053" - जिला प्रशासन - अन्य व्यय - (i) सचिव राजस्व - दिल्ली ई-जिला कार्यान्वयन सोसायटी को सहायता अनुदान ई-जिला परियोजना - 300.00 लाख रुपये - मुख्यतः अनुदान जारी न होने के कारण हुई।
(ii) नई दिल्ली क्षेत्र - नागरिक देख-रेख के लिए हैबिटेड निधि - 500.00 लाख रुपये - मुख्यतः आरडब्लूए से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
(iii) उत्तर पूर्व क्षेत्र - नागरिक देख-रेख के लिए हैबिटेड निधि - 500.00 लाख रुपये - मुख्यतः आरडब्लूए से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
(iv) शाहदरा क्षेत्र - नागरिक देख-रेख के लिए हैबिटेड निधि - 500.00 लाख रुपये - मुख्यतः आरडब्लूए से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
2. मुख्यशीर्ष "2245" - प्राकृतिक आपदाओं से राहत - सामान्य - आपदा उन्मुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक योजना पर प्रबंधन - राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सीएसएस) - 100.00 लाख रुपये - मुख्यतः योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।
3. मुख्यशीर्ष "2810" - ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत - सौर - अन्य व्यय - सौर ऊर्जा / नवीकरणीय ऊर्जा - 450.00 लाख रुपये - मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण हुई।
4. मुख्यशीर्ष "2401" - कृषि पालन - बागवानी एवं वनस्पति कार्यक्रम - शहरी संघ के लिए वनस्पति उपक्रम (वी.आई.यू.सी.) - 200.00 लाख रुपये - मुख्यतः योजना के कार्यान्वित न होने के कारण हुई।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मुख्यशीर्ष "2403"

ब. 3 - पशु पालन

मू.	1811.50)			
पू.	1.00)			
पु.	-87.69)	1900.19	1670.53	-229.66

मुख्यशीर्ष "2425"

स. 1 - सहकारिता

मू.	1196.00)			
पु.	-208.00)	988.00	951.31	-36.68

An amount of ₹3143.20 lakhs remained wholly unutilised under 39 sub-heads. This includes the following :-

1. **Under Major Head "2053" – District Administration – Other Expenditure- (i) Secretary Revenue – Grant-in-aid to Delhi e-district Implementation Society e-District Project – ₹300.00 lakhs- due to non release of funds.**
 - (ii) New Delhi Zone – Citizen Care for Habitat Fund – ₹500.00 lakhs- due to non receipt of proposals from RWA.
 - (iii) North-East Zone – Citizen Care for Habitat Fund – ₹500.00 lakhs- due to non receipt of proposals from RWA.
 - (iv) Shahadra Zone – Citizen Care for Habitat Fund – ₹500.00 lakhs- due to non receipt of proposals from RWA.
2. **Under Major Head "2245" – Relief on Account of Natural Calamities – General – Management on National Disaster Contingency Plan in Disaster Prone Area – National School Safety Programme (CSS) – ₹100.00 lakhs- due to non implementation of scheme.**
3. **Under Major Head "2810" – Non-Conventional Source of Energy – Solar – Other Expenditure – Solar Energy / Renewable Energy – ₹450.00 lakhs- due to slow progress of scheme.**
4. **Under Major Head "2401" – Crop Husbandry – Horticulture and Vegetable Crops – Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) – ₹200.00 lakhs- due to non-implementation of scheme.**

Saving / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Major Head "2403"

B.3- Animal Husbandry

O. 1811.50)

S. 1.00)

R. -87.69)

1900.19

1670.53

-229.66

Major Head "2425"

C.1- Co-operation

O. 1196.00)

R. -208.00)

988.00

951.32

-36.68

मुख्यशीर्ष "2702"
 द. 2 - लघु सिंचाई
 मू. 1550.00)
 पु. -90.00) 1460.00 1393.40 -66.60

मुख्यशीर्ष "2711"
 द. 3 - बाढ़ नियंत्रण एवं निष्कासन
 मू. 11815.00)
 पु. 723.00) 12538.00 12227.69 -310.31

मुख्यशीर्ष "2030"
 च. 2 - स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन
 मू. 131357.00)
 पु. -13233.76) 118123.24 110937.96 -7185.28

मुख्यशीर्ष "2053"
 च. 3 - जिला प्रशासन
 मू. 3239.48)
 पु. -653.99) 2585.49 2124.16 -461.33

मुख्यशीर्ष "2235"
 च. 6 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
 मू. 885.10)
 पु. 3.00)
 पु. 1322.60) 2210.70 2019.49 -191.21

मुख्यशीर्ष "2245"
 च. 7 - प्राकृतिक आपदाओं
 के लिए राहत
 मू. 2095.00)
 पु. -295.00) 1800.00 1177.94 -622.06

मुख्यशीर्ष "2250"
 च. 12 - अन्य सामाजिक सेवायें
 मू. 170.00)
 पु. -98.30) 71.70 61.83 -9.87

मुख्यशीर्ष "2070"
 ड. 15 - अन्य प्रशासनिक सेवायें
 मू. 942.40)
 पु. -222.40) 720.00 498.10 -221.90

Major Head "2702"

D.2- Minor Irrigation

O. 1550.00)

R. -90.00) 1460.00 1393.40 -66.60

Major Head "2711"D.3-Flood Control and
Drainage

O. 11815.00)

R. 723.00) 12538.00 12227.69 -310.31

Major Head "2030"

E.2-Stamps and Registration

O. 131357.00)

R. -13233.76) 118123.24 110937.96 -7185.28

Major Head "2053"

E.3- District Administration

O. 3239.48)

R. -653.99) 2585.49 2124.16 -461.33

Major Head "2235"

E.6- Social Security & Welfare

O. 885.10)

S. 3.00)

R. 1322.60) 2210.70 2019.49 -191.21

Major Head "2245"E.7 - Relief on Account of
Natural Calamities

O. 2095.00)

R. -295.00) 1800.00 1177.94 -622.06

Major Head "2250"

E.12 - Other Social Services

O. 170.00)

R. -98.30) 71.70 61.83 -9.87

Major Head "2070"E.15 - Other Administrative
Services

O. 942.40)

R. -222.40) 720.00 498.10 -221.90

मुख्यशीर्ष "2406"

छ. 2 - वानिकी एवं वन्य जीव जन्तु

मू.	3365.75)			
पु.	-219.95)	3145.80	2972.61	-173.19

मुख्यशीर्ष "2053"

ज. 2 - जिला प्रशासन

मू.	1222.00)			
पु.	-362.50)	859.50	713.49	-146.01

मुख्यशीर्ष "2015"

झ. 5 - चुनाव

मू.	383.00)			
पु.	566.95)	949.95	536.02	-413.93

मुख्यशीर्ष "2053"

ञ. 3 - जिला प्रशासन

मू.	1166.91)			
पु.	-275.21)	891.70	772.34	-119.36

मुख्यशीर्ष "2015"

ज. 6 - चुनाव

मू.	809.00)			
पू.	2.00)			
पु.	1251.00)	2062.00	1770.86	-291.14

मुख्यशीर्ष "2053"

त. 2 - जिला प्रशासन

मू.	1375.50)			
पु.	-556.75)	818.75	658.07	-160.68

मुख्यशीर्ष "2015"

त. 6 - चुनाव

मू.	910.00)			
पु.	845.50)	1756.00	1569.88	-186.12

मुख्यशीर्ष "2053"

थ. 3 - जिला प्रशासन

मू.	1243.50)			
पु.	-374.00)	869.50	747.50	-122.00

मुख्यशीर्ष "2015"

थ. 6 - चुनाव

मू.	347.10)			
पु.	1343.90)	1691.00	827.56	-863.44

Major Head "2406"

F.2 – Forestry & wildlife

O. 3365.75)

R. -219.95) 3145.80 2972.61 -173.19

Major Head "2053"

G.2 – District Administration

O. 1222.00)

R. -362.50) 859.50 713.49 -146.01

Major Head "2015"

G.5 – Election

O. 383.00)

R. 566.95) 949.95 536.02 -413.93

Major Head "2053"

H.3 – District Administration.

O. 1166.91)

R. -275.21) 891.70 772.34 -119.36

Major Head "2015"

H.6 – Election

O. 809.00)

S. 2.00)

R. 1251.00) 2062.00 1770.86 -291.14

Major Head "2053"

I.2 – District Administration

O. 1375.50)

R. -556.75) 818.75 658.07 -160.68

Major Head "2015"

I.6 – Election

O. 910.50)

R. 845.50) 1756.00 1569.88 -186.12

Major Head "2053"

J.3 – District Administration

O. 1243.50)

R. -374.00) 869.50 747.50 -122.00

Major Head "2015"

J.6 – Election

O. 347.10)

R. 1343.90) 1691.00 827.56 -863.44

मुख्यशीर्ष "2053"				
द. 3 - जिला प्रशासन				
मू.	1263.00)			
पु.	-581.90)	681.10	513.29	-167.81

मुख्यशीर्ष "2015"				
द. 6 - चुनाव				
मू.	629.30)			
पु.	1391.30)	2020.60	1876.60	-144.00

मुख्यशीर्ष "2053"				
ध. 3 - जिला प्रशासन				
मू.	1397.25)			
पु.	-366.71)	1030.54	888.36	-142.18

मुख्यशीर्ष "2235"				
ध. 4 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण				
मू.	200.00)			
पु.	300.00)	500.00	381.01	-118.99

मुख्यशीर्ष "2015"				
ध. 6 - चुनाव				
मू.	938.00)			
पु.	670.00)	1608.00	1570.53	-37.47

मुख्यशीर्ष "2053"				
न. 3 - जिला प्रशासन				
मू.	1284.90)			
पु.	-340.65)	944.25	565.14	-379.11

मुख्यशीर्ष "2015"				
न. 6 - चुनाव				
मू.	1053.50)			
पु.	717.40)	1770.90	1684.57	-86.33

मुख्यशीर्ष "2053"				
प. 3 - जिला प्रशासन				
मू.	1556.85)			
पु.	-749.00)	807.85	664.06	-143.79

मुख्यशीर्ष "2015"				
प. 6 - चुनाव				
मू.	976.65)			
पु.	2068.50)	3045.15	2917.94	-127.21

Major Head "2053"

K.3 – District Administration

O. 1263.00)

R. -581.90) 681.10 513.29 -167.81

Major Head "2015"

K.6 – Election

O. 629.30)

R. 1391.30) 2020.60 1876.60 -144.00

Major Head "2053"

L.3 – District Administration

O. 1397.25)

R. -366.71) 1030.54 888.36 -142.18

Major Head "2235"

L.4 – Social Security & Welfare

O. 200.00)

R. 300.00) 500.00 381.01 -118.99

Major Head "2015"

L.6 – Election

O. 938.00)

R. 670.00) 1608.00 1570.53 -37.47

Major Head "2053"

M.3 – District Administration

O. 1284.90)

R. -340.65) 944.25 565.14 -379.11

Major Head "2015"

M.6 – Election

O. 1053.50)

R. 717.40) 1770.90 1684.57 -86.33

Major Head "2053"

N.3 – District Administration

O. 1556.85)

R. -749.00) 807.85 664.06 -143.79

Major Head "2015"

N.6 – Election

O. 976.65)

R. 2068.50) 3045.15 2917.94 -127.21

मुख्यशीर्ष "2053"

फ. 3 - जिला प्रशासन

मू.	1139.75)			
पु.	-114.34)	1025.41	511.80	-513.61

मुख्यशीर्ष "2015"

फ. 7 - चुनाव

मू.	1057.45)			
पु.	1288.06)	2345.51	1564.34	-781.17

मुख्यशीर्ष "2235"

व. 5 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	50.00)			
पु.	140.00)	190.00	179.16	-10.84

मुख्यशीर्ष "2053"

भ. 3 - जिला प्रशासन

मू.	850.00)			
पु.	-295.00)	555.00	356.75	-198.25

मुख्यशीर्ष "3435"

त. 1 - पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

मू.	1344.50)			
पू.	1.00)			
पु.	-140.00)	1205.50	1031.78	-173.72

बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. मुख्यशीर्ष "2403" - पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवायें व पशु स्वास्थ्य - अस्पताल एवं औषधालय - 116.96 लाख रुपये की बचत (824.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने तथा एमएसीपी केसों का निपटारा न होने के कारण हुई ।
2. मुख्यशीर्ष "2425" - सहकारिता - निर्देशन एवं प्रशासन - मुख्यालय स्थापना - 192.04 लाख रुपये की बचत (1028.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई ।
3. मुख्यशीर्ष "2702" - लघु सिंचाई - सामान्य - अन्य व्यय - छोटे कार्यों का रखरखाव एवं मरम्मत - 155.17 लाख रुपये की बचत (1200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं कुछ कार्यों को अंतिम रूप से अमल में न लाने के कारण हुई ।

Major Head "2053"

O.3 – District Administration

O. 1139.75)

R. -114.34)

1025.41

511.80

-513.61

Major Head "2015"

O.7 – Election

O. 1057.45)

R. 1288.06)

2345.51

1564.34

-781.17

Major Head "2235"

P.5 – Social Security & Welfare

O. 50.00)

R. 140.00)

190.00

179.16

-10.84

Major Head "2053"

Q3. – District Administration

O. 850.00)

R. -295.00)

555.00

356.75

-198.25

Major Head "3435"

R1. – Ecology & Environment

O. 1344.50)

S. 1.00)

R. -140.00)

1205.50

1031.78

-173.72

Saving occurred mainly under the following sub-heads: –

1. **Under Major Head "2403" – Animal Husbandry – Veterinary Services and Animal Health – Hospital and Dispensaries – Saving of ₹116.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹824.00 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts and non finalization of MACP cases.**
2. **Under Major Head "2425" – Co-operation – Direction and Administration – Headquarter Establishment – Saving of ₹192.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1028.50 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts and less claims / bills.**
3. **Under Major Head "2702" – Minor Irrigation – General – Other Expenditure – Maintenance and repair of minor works – Saving of ₹155.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was mainly due to vacancies & non finalization of certain works.**

4. मुख्यशीर्ष "2711" - बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी - बाढ़ नियंत्रण - (क) निर्देशन एवं प्रशासन - 342.84 लाख रुपये की बचत (3168.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण हुई।

(ख) मशीनरी एवं उपकरण - रखरखाव - 127.57 लाख रुपये की बचत (1100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रखरखाव पर कम खर्च होने के कारण हुई।

5. मुख्यशीर्ष "2030" - स्टाम्प व पंजीकरण - (अ) स्टाम्प-अदालती - स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय - राजस्व सचिव - 112.35 लाख रुपये की बचत (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः संयुक्त स्टॉक कंपनी के कम बिलों के कारण हुई।

(ब) स्टाम्प गैर अदालती - स्टाम्पों की लागत - राजस्व सचिव - 141.29 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं परिसंपत्तियों की खरीद में कमी होने के कारण हुई।

(स) पंजीकरण - निर्देशन एवं प्रशासन - कर संग्रह में स्थानीय निकायों का अंश - (i) न. दि.न.पा. - 2950.30 लाख रुपये की बचत (7000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम कर जारी होने एवं परिसंपत्तियों की कम खरीद बिक्री के परिणामस्वरूप हस्तांतरण ड्यूटी की कम अदायगी की गयी।

(ii) उत्तरी दिल्ली नगर निगम - 5416.41 लाख रुपये की बचत (38500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम कर जारी होने एवं परिसंपत्तियों की कम खरीद बिक्री के परिणामस्वरूप हस्तांतरण ड्यूटी की कम अदायगी की गयी।

(iii) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम - 5675.85 लाख रुपये की बचत (66000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम कर जारी होने एवं परिसंपत्तियों की कम खरीद बिक्री के परिणामस्वरूप हस्तांतरण ड्यूटी की कम अदायगी की गयी।

(iv) पूर्वी दिल्ली नगर निगम - 6296.55 लाख रुपये की बचत (17600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम कर जारी होने एवं परिसंपत्तियों की कम खरीद बिक्री के परिणामस्वरूप हस्तांतरण ड्यूटी की कम अदायगी की गयी।

6. मुख्यशीर्ष "2053" - जिला प्रशासन - (क) जिला स्थापना - (i) राजस्व सचिव - 812.41 लाख रुपये की बचत (2830.99 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, मितव्ययिता के उपायों को अपनाने के कारण, पूर्ण बिलों के प्रस्तुत न करने तथा आईटी प्रस्तावों को स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।

4. **Under Major Head "2711" – Flood Control & Drainage – Flood Control –**
(a) **Direction & Administration – Saving of ₹342.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3168.00 lakhs) was mainly due to vacancies and less claims / bills & Code of Conduct came into force in respect of Assembly Election.**

(b) **Machinery and Equipment – Maintenance – Saving of ₹127.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was mainly due to less expenditure on maintenance.**

5. **Under Major Head "2030" – Stamps & Registration – (A) Stamps-Judicial – Expenses on sale of Stamps – Secretary Revenue – Saving of ₹112.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was mainly due to less bills of stock holding Company.**

(B) **Stamps Non-Judicial – Cost of Stamps – Secretary Revenue – Saving of ₹141.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was mainly due to vacancies & decrease of sale of properties.**

(C) **Registration – Direction & Administration – Share of Local Bodies against tax collection – (i) NDMC – Saving of ₹2950.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was mainly due to release of less tax and less sale purchase of property resulted in less transfer duty payment.**

(ii) **North Delhi Municipal Corporation - Saving of ₹5416.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38500.00 lakhs) was mainly due to release of less tax and less sale purchase of property resulted in less transfer duty payment.**

(iii) **South Delhi Municipal Corporation - Saving of ₹5675.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹66000.00 lakhs) was mainly due to release of less tax and less sale purchase of property resulted in less transfer duty payment.**

(iv) **East Delhi Municipal Corporation - Saving of ₹6296.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17600.00 lakhs) was mainly due to release of less tax and less sale purchase of property resulted in less transfer duty payment.**

6. **Under Major Head "2053" – District Administration – (a) District Establishment – (i) Secretary Revenue – Saving of ₹812.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2830.99 lakhs) was mainly due to vacancies, economy measures, non submission of complete bills & non clearance of IT proposals.**

(ii) दक्षिणी क्षेत्र - 119.36 लाख रुपये की बचत (655.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम लघु निर्माण कार्यों के होने तथा विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण हुई ।

(iii) पूर्वी क्षेत्र - 208.98 लाख रुपये की बचत (719.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने एवं कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं लघु निर्माण कार्यों के कम होने के कारण हुई ।

(iv) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र - 170.09 लाख रुपये की बचत (719.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने एवं कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई ।

(v) उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र - 279.49 लाख रुपये की बचत (845.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई ।

(ख) अन्य व्यय - (i) केन्द्रीय क्षेत्र - नागरिक देखरेख के लिए हैबिबेट निधी - 424.39 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः आरडब्लूए से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(ii) दक्षिणी क्षेत्र - नागरिक देखरेख के लिए हैबिबेट निधी - 488.48 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः आरडब्लूए से प्रस्ताव प्राप्त न होने एवं विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण हुई ।

(iii) दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र - नागरिक देखरेख के लिए हैबिबेट निधी - 365.06 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः आरडब्लूए से प्रस्ताव प्राप्त न होने एवं विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण हुई ।

(iv) पूर्वी क्षेत्र - नागरिक देखरेख के लिए हैबिबेट निधी - 498.77 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः आरडब्लूए से प्रस्ताव प्राप्त न होने एवं योजना की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(v) पश्चिमी क्षेत्र - नागरिक देखरेख के लिए हैबिबेट निधी - 377.82 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः आरडब्लूए से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(vi) उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र - नागरिक देखरेख के लिए हैबिबेट निधी - 479.48 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः आरडब्लूए से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(ii) South Zone – Saving of ₹119.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹655.00 lakhs) was mainly due to vacancies, receiving of less claims / bills, less minor work & Code of Conduct came into force in respect of Assembly Election.

(iii) East Zone – Saving of ₹208.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹719.00 lakhs) was mainly due to vacancies, receiving of less claims of bills and less minor work.

(iv) North-East Zone – Saving of ₹170.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹719.00 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims/bills.

(v) North-West Zone – Saving of ₹279.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹845.50 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims/bills.

(b) Other Expenditure – (i) Central Zone – Citizen Care for habitat fund – Saving of ₹424.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to non receipt of proposals from RWA.

(ii) South Zone – Citizen Care for habitat fund – Saving of ₹488.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to non receipt of proposals from RWA & Code of Conduct came into force in respect of Assembly Election.

(iii) South-West Zone – Citizen Care for habitat fund – Saving of ₹365.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to non receipt of proposals from RWA & Code of Conduct came into force in respect of Assembly Election.

(iv) East Zone – Citizen Care for habitat fund – Saving of ₹498.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to non receipt of proposals from RWA & slow progress of scheme.

(v) West Zone – Citizen Care for habitat fund – Saving of ₹377.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to non receipt of proposals from RWA.

(vi) North-West Zone – Citizen Care for habitat fund – Saving of ₹479.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to non receipt of proposals from RWA.

(vii) उत्तरी क्षेत्र – नागरिक देखरेख के लिए हैबिबेट निधी – 487.80 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः आरडब्लूए से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(viii) दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र – नागरिक देखरेख के लिए हैबिबेट निधी – 412.08 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः आरडब्लूए से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई ।

7. मुख्यशीर्ष "2245" – प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत – (अ) बाढ़, चकवात आदि – निःशुल्क राहत – राजस्व सचिव – अन्य सामान – 538.85 लाख रुपये की बचत (745.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम संख्या में बिलों के प्राप्त होने एवं अनुग्रह राशि के कम वितरण के कारण हुई ।

(ब) सामान्य – आपदा उन्मुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक योजना का प्रबंधन – आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ – 228.21 लाख रुपये की बचत (1200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रस्तावों के अमल में न आने के कारण हुई।

8. मुख्यशीर्ष "2250" – अन्य सामाजिक सेवाएं – अन्य व्यय – 108.17 लाख रुपये की बचत (170.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम संख्या में बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

9. मुख्यशीर्ष "2070" – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – अन्य व्यय – नागरिक सुरक्षा – निर्देशन एवं प्रशासन – 394.30 लाख रुपये की बचत (892.40 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति तथा खरीद प्रस्तावों का समय पर निपटारा न होने के कारण हुई ।

10. मुख्यशीर्ष "2406" – वानिकी एवं वन्य जीवन – पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन – सार्वजनिक उद्यान – चकबंदी सहित वनों का विकास – 187.61 लाख रुपये की बचत (450.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति एवं टेण्डर प्रस्तावों का निपटारा न होने के कारण हुई।

11. मुख्यशीर्ष "3435" – पारिस्थितिकी एवं वातावरण – प्रदूषण से बचाव एवं नियंत्रण – अन्य व्यय – सार्वजनिक पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं अन्य गतिविधियां – 152.75 लाख रुपये की बचत (280.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति एवं विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 1431.46 लाख रुपये की बचत 22 उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

(vii) North Zone – Citizen Care for habitat fund – Saving of ₹487.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to non receipt of proposals from RWA.

(viii) South-East Zone – Citizen Care for habitat fund – Saving of ₹412.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due non receipt of proposals from RWA.

7. **Under Major Head “2245” – Relief on account of Natural Calamities – (A) Flood, Cyclone etc. – Gratuitous Relief – Secretary Revenue – Other Items – Saving of ₹538.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹745.00 lakhs) was mainly due to receiving of less number of bills & less number of ex-gratia relief payment.**

(B) General – Management of National Disaster Contingency Plan in Disaster Prone Area – Disaster Management Cell – Saving of ₹228.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was mainly due to non materialization of proposals.

8. **Under Major Head “2250” – Other Social Services – Other Expenditure – Saving of ₹108.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹170.00 lakhs) was mainly due to receiving of less number of bills.**

9. **Under Major Head “2070” – Other Administrative Services – Other Expenditure – Civil Defence – Direction & Administration – Saving of ₹394.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹892.40 lakhs) was mainly due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims/bills and non-finalization of purchase proposals in time.**

10. **Under Major Head “2406” – Forestry and Wildlife – Environmental Forestry and Wildlife – Public Gardens – Development of Forests including consolidations – Saving of ₹187.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work & tender proposals not finalized.**

11. **Under Major Head “3435” – Ecology & Environment – Prevention and Control of Pollution – Other Expenditure – Public Environmental awareness and other activities – Saving of ₹152.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹280.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work & code of conduct came into force regarding Assembly Election.**

Further, Saving of ₹1431.46 lakhs occurred under 22 sub-heads which was more than ₹50.00 Lakhs but less than ₹1.00 crore.

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्ष के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से, अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थीं :-

1. मुख्यशीर्ष "2711" - बाढ़ नियन्त्रण एवं जल निकासी - जल निकासी - मशीनरी एवं उपकरण - रखरखाव - 925.10 लाख रुपये का अधिक व्यय (7500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रखरखाव पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

2. मुख्यशीर्ष "2030" - स्टैम्प एवं पंजीकरण - (अ) स्टैम्प गैर-अदालती - स्टैम्पों की बिक्री पर व्यय - सचिव राजस्व - 243.22 लाख रुपये का अधिक व्यय (1600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः स्टॉक होल्डिंग कम्पनी को कमीशन की अदायगी करने के कारण हुआ।

3. मुख्यशीर्ष "2235" - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण - पुनर्वास - (क) अन्य राहत उपाय - राजस्व सचिव - 825.31 लाख रुपये का अधिक व्यय (158.60 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः सन् 1984 के दंगों में मारे गये लोगों को अतिरिक्त मुआवजा देने के कारण हुआ।

(ख) अन्य व्यय - अपराध पीड़ितों के लिए मुआवजा - 385.85 लाख रुपये का अधिक व्यय (301.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः पीड़ितों को मुआवजा देने के कारण हुआ।

4. मुख्यशीर्ष "2015" - चुनाव - (अ) राज्य/संघ शासित क्षेत्र के चुनावों के लिए प्रभार - (i) मध्य जिला - चुनावों पर खर्च - 150.19 लाख रुपये का अधिक व्यय (50.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनावों के कारण हुआ।

(ii) नई दिल्ली जिला - चुनावों पर खर्च - 487.38 लाख रुपये का अधिक व्यय (50.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनावों के कारण हुआ।

(iii) दक्षिणी जिला - चुनावों पर खर्च - 421.90 लाख रुपये का अधिक व्यय (50.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनावों के कारण हुआ।

(iv) दक्षिणी पश्चिमी जिला - चुनावों पर खर्च - 487.41 लाख रुपये का अधिक व्यय (50.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनावों के कारण हुआ।

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub-heads: -

1. **Under Major Head "2711"** – Flood Control & Drainage – Drainage – Machinery and Equipment – Maintenance – Excess of ₹925.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was mainly due to more expenditure on maintenance.
2. **Under Major Head "2030"** – Stamps & Registration – (A) Stamps Non-Judicial – Expenses on sale of Stamps – Secretary Revenue – Excess of ₹243.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs) was mainly due to payment of commission to stock holding Company.
3. **Under Major Head "2235"** – Social Security & Welfare – Rehabilitation –
 - (a) Other Relief Measures – Secretary Revenue – Excess of ₹825.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹158.60 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to additional Compensation to deceased persons of 1984 riots victims.
 - (b) Other Expenditure – Compensation for crime victims – Excess of ₹385.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹301.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of compensation to victims.
4. **Under Major Head "2015"** – Election –(A) Charge for conduct of Election to State / UT Legislature –
 - (i) Central District – Expenses on Elections – Excess of ₹150.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs) was mainly due to Vidhan Sabha Election.
 - (ii) New Delhi District – Expenses on Elections – Excess of ₹487.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs) was mainly due to Vidhan Sabha Election.
 - (iii) South District – Expenses on Elections – Excess of ₹421.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs) was mainly due to Election of Vidhan Sabha.
 - (iv) South-West District – Expenses on Elections – Excess of ₹487.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs) was mainly due to election of Vidhan Sabha.

(v) पूर्वी जिला - चुनावों पर खर्च - 686.33 लाख रुपये का अधिक व्यय (50.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनावों के कारण हुआ।

(vi) पश्चिमी जिला - चुनावों पर खर्च - 473.95 लाख रुपये का अधिक व्यय (50.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनावों के कारण हुआ।

(vii) उत्तरी पूर्वी जिला - चुनावों पर खर्च - 437.25 लाख रुपये का अधिक व्यय (50.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनावों के कारण हुआ।

(viii) उत्तरी पश्चिमी जिला - चुनावों पर खर्च - 1111.24 लाख रुपये का अधिक व्यय (50.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनावों के कारण हुआ।

(ix) उत्तरी जिला - चुनावों पर खर्च - 396.75 लाख रुपये का अधिक व्यय (50.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनावों के कारण हुआ।

(ब) मतदाता सूची तैयार करवाना एवं छपवाना - उत्तरी-पश्चिमी जिला - 366.86 लाख रुपये का अधिक व्यय (50.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों की प्राप्ति के कारण हुआ।

(स) संसद का चुनाव करवाने के लिए प्रभार - (i) नई दिल्ली जिला - लोकसभा चुनाव करवाना - 398.80 लाख रुपये का अधिक व्यय (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनावों के कारण हुआ।

(ii) दक्षिणी जिला - लोकसभा चुनाव करवाना - 219.41 लाख रुपये का अधिक व्यय (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों के कारण हुआ।

(iii) पूर्वी जिला - लोकसभा चुनाव करवाना - 551.39 लाख रुपये का अधिक व्यय (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनावों के कारण हुआ।

(iv) पश्चिमी जिला - लोकसभा चुनाव करवाना - 185.93 लाख रुपये का अधिक व्यय (400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों के कारण हुआ।

(v) East District – Expenses on Elections – Excess of ₹686.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs) was mainly due to election of Vidhan Sabha.

(vi) West District – Expenses on Elections – Excess of ₹473.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs) was mainly due to election of Vidhan Sabha.

(vii) North-East District – Expenses on Elections – Excess of ₹437.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs) was mainly due to election of Vidhan Sabha.

(viii) North-West District – Expenses on Elections – Excess of ₹1111.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs) was mainly due to election of Vidhan Sabha.

(ix) North District – Expenses on Elections – Excess of ₹396.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs) was mainly due to election of Vidhan Sabha.

(B) Preparation & printing of Electoral Rolls – North-West District – Excess of ₹366.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs) was mainly due to receipt of more bills.

(C) Charges for conduct of elections to Parliament – (i) New Delhi District – Conduct of Lok Sabha Elections – Excess of ₹398.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to election of Vidhan Sabha.

(ii) South District – Conduct of Lok Sabha Elections – Excess of ₹219.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to more bills.

(iii) East District – Conduct of Lok Sabha Elections – Excess of ₹551.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was mainly due to election of Vidhan Sabha.

(iv) West District – Conduct of Lok Sabha Elections – Excess of ₹185.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was mainly due to more bills.

(v) उत्तरी-पूर्वी जिला - लोकसभा चुनाव करवाना - 243.82 लाख रुपये का अधिक व्यय (400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों के कारण हुआ।

(vi) उत्तरी-पश्चिमी जिला - लोकसभा चुनाव करवाना - 470.14 लाख रुपये का अधिक व्यय (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों के कारण हुआ।

(vii) उत्तरी जिला - लोकसभा चुनाव का करवाना - 182.63 लाख रुपये का अधिक व्यय (550.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों के कारण हुआ।

5. मुख्यशीर्ष "2053" - जिला प्रशासन - जिला स्थापना - नई दिल्ली क्षेत्र - 191.55 लाख रुपये का अधिक व्यय (520.48 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पालिका सदन में किराये के आफिस का किराया देने के कारण हुआ।

6. मुख्यशीर्ष "2235" - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण - पुनर्वास - अन्य राहत उपाय - (i) पश्चिमी क्षेत्र - 181.01 लाख रुपये का अधिक व्यय (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कश्मीरी विस्थापितों को रूकी हुई राहत राशि का भुगतान करने के कारण हुआ।

7. (ii) शाहदरा क्षेत्र - 129.16 लाख रुपये का अधिक व्यय (50.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कश्मीरी विस्थापितों को रूकी हुई राहत राशि का भुगतान करने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त 404.02 लाख रुपये का अधिक व्यय 5 उपशीर्ष के अन्तर्गत हुआ जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में 16.00 लाख रुपये का सम्पूर्ण विनियोजन एक उपशीर्ष के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 13107.67 लाख रुपये की कुल बचत थी (39736.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) जोकि स्वीकृत प्रावधान का 32.99 प्रतिशत थी।

100.00 लाख रुपये की राशि 2 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

(v) North-East District – Conduct of Lok Sabha Elections – Excess of ₹243.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was mainly due to more bills.

(vi) North-West District – Conduct of Lok Sabha Elections – Excess of ₹470.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to more bills.

(vii) North District – Conduct of Lok Sabha Elections – Excess of ₹182.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs) was mainly due to more bills.

5. **Under Major Head “2053” – District Administration – District Establishment – New Delhi Zone – Excess of ₹191.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹520.48 lakhs) was mainly due to payment of rent of hiring of office at Palika Sadan.**

6. **Under Major Head “2235” – Social Security & Welfare – Rehabilitation – Other Relief Measures – (i) West Zone – Excess of ₹181.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was mainly due to payment of pending relief to Kashmiri migrant.**

(ii) Shahdara Zone – Excess of ₹129.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs) was mainly due to payment of pending relief to Kashmiri migrant.

Further, Excess of ₹404.02 lakhs occurred under five sub-heads which was more than ₹50.00 lakhs but less than ₹1.00 crore.

In the Charged Portion of the Capital Section of the grant, the entire provision of ₹16.00 lakhs remained wholly unutilized under one sub-head.

In the Voted portion of the capital section of the grant, the overall saving of ₹13107.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39736.00 inclusive of supplementary provision of 1.00 lakhs) constituted 32.99% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilized under two sub-heads.

बचत मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मुख्यशीर्ष "4515"

ख.ख. 3-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजी परिव्यय

मू.	20050.00)			
पु.	-10200.00)	9850.00	9811.56	-38.44

मुख्यशीर्ष "4711"

घ.घ. 2- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय

मू.	8850.00)			
पू.	1.00)			
पु.	2.00)	8853.00	8601.10	-251.90

मुख्यशीर्ष "4515"

ड.ड. 1- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय

मू.	1500.00)			
पु.	367.00)	1867.00	1824.42	-42.58

मुख्यशीर्ष "4059"

ड.ड. 2- लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय.

		7000.00	4589.57	-2410.43
--	--	---------	---------	----------

मुख्यशीर्ष "4406"

च.च. 1- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय

मू.	1930.00)			
पु.	-383.00)	1547.00	1499.02	-47.98

बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4515"** - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजी परिव्यय - (अ) ग्रामीण विकास - आईडीआरवी के अंतर्गत होने वाले कार्य के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड - 8373.69 लाख रूपये की बचत (16400.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ब) अ.जा. के लिए विशेष घटक योजना - आईआरडीवी के अंतर्गत होने वाले कार्य के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड (एससीएसपी) - 1847.14 लाख रूपये की बचत (3600.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

Saving / Excess occurred under the following major heads: –

(In lakh of rupees)

Major Head “4515”			
BB.3- Capital Outlay on Other Rural Development Programme			
O. 20050.00)			
R. -10200.00)	9850.00	9811.56	-38.44
Major Head “4711”			
DD.2- Capital Outlay on Flood Control Projects			
O. 8850.00)			
S. 1.00)			
R. 2.00)	8853.00	8601.10	-251.90
Major Head “4515”			
EE.1- Capital Outlay on Other Rural Development Programme			
O. 1500.00)			
R. 367.00)	1867.00	1824.42	-42.58
Major Head “4059”			
EE.2- Capital Outlay on Public Works			
	7000.00	4589.57	-2410.43
Major Head “4406”			
FF.1- Capital Outlay on Forestry & Wildlife			
O. 1930.00)			
R. -383.00)	1547.00	1499.02	-47.98

Saving occurred mainly under the following sub-heads: –

- Under Major Head “4515” – Capital Outlay on Other Rural Development Programme – (A) Rural Development – Rural Development Board for works to be carried out under IDRV – Saving of ₹8373.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16400.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.
- (B) Special Component Plan for Scheduled Castes – Rural Development Board for works to be carried out under IDRV (SCSP) – Saving of ₹1847.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

2. मुख्यशीर्ष "4711" - बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजी परिव्यय - (अ) बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय - (i) मुख्य निर्माण कार्य - 218.21 लाख रुपये की बचत (700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ब) जल निकासी - अन्य व्यय - (i) मुख्य जल निकासी कार्य - 402.83 लाख रुपये की बचत (1550.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ii) अन्य जल निकासी कार्य - 399.77 लाख रुपये की बचत (5100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति एवं विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण हुई ।

3. मुख्यशीर्ष "4059" - लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय - कार्यालय भवन - निर्माण - उपायुक्त कार्यालय - 2410.43 लाख रुपये की बचत (7000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः नीति में परिवर्तन आने एवं प्रत्याशित व्यय न होने के कारण हुई ।

4. मुख्यशीर्ष "4406" - वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय - पर्यायवरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन - (क) वन्य जीवन - वन्यजीवन अभ्यारण/वन्य जीवन अनुभाग का विकास - 135.20 लाख रुपये की बचत (1280.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ख) सार्वजनिक उद्यान - चकबन्दी सहित वनों का विकास - 295.78 लाख रुपये की बचत (650.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

-इसके अतिरिक्त 60.78 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष अन्तर्गत थी जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से, अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थीं :-

1. मुख्यशीर्ष "4711" - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय - जल निकासी - अन्य व्यय - यमुनापार क्षेत्रीय विकास बोर्ड - 770.91 लाख रुपये का अधिक व्यय (1501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी प्रगति के कारण हुआ ।

2. मुख्यशीर्ष "4515" - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय - पंचायती राज - पंचायत इकाइयों का नवीकरण एवं इसके कार्य - 324.42 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी प्रगति के कारण हुआ ।

2. **Under Major Head "4711"** – Capital Outlay on Flood Control Projects – (A) Flood Control – Other Expenditure – Major Works – Saving of ₹218.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(B) Drainage – Other Expenditure – (i) Major Drainage Works – Saving of ₹402.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1550.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(ii) Other Drainage Works – Saving of ₹399.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5100.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work & Code of Conduct came into force in respect of Assembly Election.

3. **Under Major Head "4059"** – Capital Outlay on Public Works – Office Building – Construction – Dy. Commissioner Office – Saving of ₹2410.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was mainly due to change in policy, anticipated expenditure did not take place.

4. **Under Major Head "4406"** – Capital Outlay on Forestry and Wildlife – Environmental Forestry and Wildlife – (a) Wildlife – Development of Wildlife Sanctuary / Wildlife Section – Saving of ₹135.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1280.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(b) Public Gardens – Development of forests including consolidation – Saving of ₹295.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹650.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

Further Saving of ₹60.78 lakhs remained under one sub-heads which exceeded Rs.50.00 lakhs but less than Rs.1.00 crore.

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub-heads:–

1. **Under Major Head "4711"** – Capital Outlay on Flood Control Projects – Drainage – Other Expenditure – Trans Yamuna Area Development Board – Excess of ₹770.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to good progress of work.

2. **Under Major Head "4515"** – Capital Outlay on Other Rural Development Programmes – Panchayati Raj – Modernization of Panchayat Units and its functions – Excess of ₹324.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was mainly due to good progress of work.

अनुदान संख्या 11 – शहरी विकास तथा लोक निर्माण

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित –	4.00	2.61	-1.39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं
स्वीकृत –			
मूल (7745,74,00)			
पूरक (24,00)	7745,98,00	6155,04,91	-1590,93,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-971,46,00
पूंजीगत			
स्वीकृत –			
मूल (5322,80,00)			
पूरक (5,73,00)	5328,53,00	4981,04,45	-347,48,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-111,96,00
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 1.39 लाख रूपये की कुल बचत हुई जो कि सम्पूर्ण विनियोजन का 34.75 प्रतिशत थी ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 159093.09 लाख रूपये की कुल बचत हुई (774598.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 24.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 20.54 प्रतिशत थी ।

63568.14 लाख रूपये की राशि 27 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

- मुख्यशीर्ष "2215" – जल आपूर्ति एवं स्वच्छता – मल व्ययन तथा सफाई – स्थानीय निकायों एवं नगरपालिकाओं आदि को सहायता – राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सीएसएस) – 6213.00 लाख रूपये – भारत सरकार से निधि न मिलने के कारण ।

**GRANT NO. 11 – URBAN DEVELOPMENT
AND PUBLIC WORKS**

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)				
REVENUE				
Charged –		4.00	2.61	-1.39
Amount surrendered during the year				<u>NIL</u>
Voted -				
Original	7745,74,00)			
Supplementary	24,00)	7745,98,00	6155,04,91	-1590,93,09
Amount surrendered during the year				-971,46,00
CAPITAL				
Voted –				
Original	5322,80,00)			
Supplementary	5,73,00)	5328,53,00	4981,04,45	-347,48,55
Amount surrendered during the year				-111,96,00

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹1.39 lakhs constituted 34.75% of the total sanctioned appropriation.

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹159093.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹774598.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹24.00 lakhs) constituted 20.54% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹63568.14 lakhs remained wholly unutilized under 27 sub-heads. This includes the following: –

1. **Under Major Head “2215” – Water Supply & Sanitation – Sewerage & Sanitation – Assistance to local bodies, municipalities etc. – National River Conservation Programme (CSS) – ₹6213.00 lakhs - due to non receipt of funds from Govt. of India.**

2. मुख्यशीर्ष "2216" - आवास - सामान्य - (क) सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपकर्मों को सहायता - (i) कमजोर वर्ग के लोगों के लिए घरों के निर्माण के लिए डीडीए को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम) - 2000.00 लाख रुपये - कम अनुदान जारी होने के कारण ।

(ii) कमजोर वर्ग के लोगों के लिए घरों के निर्माण के लिए डीएसआईआईडीसी को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम) - 13000.00 लाख रुपये - कम अनुदान के जारी होने के कारण ।

(iii) राजीव आवास योजना (डीयूएसआईबी) - 800.00 लाख रुपये - कम अनुदान जारी होने के कारण ।

(ख) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना - (i) कमजोर वर्ग के लोगों के लिए घरों के निर्माण के लिए डीयूएसआईबी को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम)(एससीएसपी) - 3000.00 लाख रुपये - सक्षम अधिकारी द्वारा डीयूएसआईबी को दिये जाने वाली राशि में कटौती किये जाने के कारण ।

(ii) कमजोर वर्ग के लोगों के लिए घरों के निर्माण के लिए डीएसआईआईडीसी को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम) (एससीएसपी) - 2000.00 लाख रुपये - कम अनुदान जारी होने के कारण ।

(iii) राजीव आवास योजना (डीयूएसआईबी)(एससीएसपी) - 200.00 लाख रुपये - कम अनुदान जारी होने के कारण ।

(iv) कमजोर वर्ग के लोगों के लिए घरों के निर्माण के लिए एनडीएमसी को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम) - 100.00 लाख रुपये - भारत सरकार द्वारा निधि जारी न करने के कारण ।

3. मुख्यशीर्ष "2217" - शहरी विकास - (अ) झुग्गी झोपड़ी बस्ती का विकास - स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता - (i) आधारभूत संरचना एवं कटरा में रहने वाले लोगों के लिए डीयूएसआईबी को सहायता अनुदान - 375.00 लाख रुपये - कम व्यय किये जाने के कारण ।

(ii) मौजूदा आधारभूत संरचना के लिए डीयूएसआईबी को सहायता अनुदान - 250.00 लाख रुपये - कम अनुदान जारी होने के कारण ।

(ब) सामान्य - (क) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता - (i) नगर निगम में सुधारों के लिए सहायता अनुदान - 15711.64 लाख रुपये - सक्षम अधिकारी का अनुमोदन समय पर न मिलने के कारण ।

(ii) कनाट प्लेस के पुर्नविकास के लिए न. दि. न. पा को सहायता अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) - 200.00 लाख रुपये - अनुदान जारी न होने के कारण ।

2. **Under Major Head "2216" – Housing – General – (a) Assistance to Public Sector & Other Undertakings – (i) Grants to DDA for construction of houses for weaker section (JNNURM) – ₹2000.00 lakhs - due to release of less grant.**

(ii) Grant to DSIDC for construction of houses for weaker section (JNNURM) – Rs.13000.00 lakhs - due to release of less grant.

(iii) Rajiv Awas Yojna (DUSIB) – ₹800.00 lakhs - due to release of less grant.

(b) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Grant to DUSIB for construction of houses for weaker section (JNNURM) (SCSP) - ₹3000.00 lakhs – due to curtailment of amount to DUSIB by the Competent Authority.

(ii) Grant to DSIDC for construction of houses for weaker section (JNNURM) (SCSP) - ₹2000.00 lakhs – due to release of less grant.

(iii) Rajiv Awas Yojna (DUSIB) (SCSP) – Rs.200.00 lakhs - due to release of less grant

(iv) Grants to NDMC for construction of houses for weaker section (JNNURM) – Rs.100.00 lakhs - due to non-releasing of funds from the Govt. of India.

3. **Under Major Head "2217" – Urban Development – (A) Slum Area Improvement – Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. – (i) Grant-in-aid to DUSIB for structural improvement & rehabilitation of Katra dwellers - ₹375.00 lakhs - due to slow pace in expenditure.**

(ii) Grant-in-aid to DUSIB for existing infrastructure. - ₹250.00 lakhs - due to release of less grant.

(B) General – (a) Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. – (i) Grant-in-Aid for Municipal Reforms – ₹15711.64 lakhs – due to approval by the Competent Authority not received on time.

(ii) Grant-in-aid to NDMC for redevelopment of Connaught Place (JNNURM) – ₹200.00 lakhs – due to non-release of grant.

(iii) डीयूसआईबी को स्थापना शुल्क के लिए सहायता अनुदान - 105.50 लाख रुपये - सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण।

(ख) अ.जा. के लिए विशेष घटक योजना - दि.न.नि. को धोबी घाट को बनाने एवं उसके सुधार के लिए सहायता अनुदान (एससीएसपी) - (i) उत्तरी दि.न.नि. को को धोबी घाट बनाने एवं उसके सुधार के लिए अनुदान (एससीएसपी) - 200.00 लाख रुपये - कम अनुदान जारी होने के कारण।

(ii) दक्षिणी दि.न.नि. को को धोबी घाट को बनाने एवं उसके सुधार के लिए अनुदान (एससीएसपी) - ₹0 100.00 लाख रुपये - कम अनुदान जारी होने के कारण।

(iii) पूर्वी दि.न.नि. को को धोबी घाट को बनाने एवं उसके सुधार के लिए अनुदान (एससीएसपी) - ₹0 150.00 लाख रुपये - कम अनुदान जारी होने के कारण।

(स) अन्य शहरी विकास योजनाएँ - अन्य व्यय - पुराने शहर के पुनर्विकास के लिए एस.पी.वी. - 500.00 लाख रुपये - बचत उपलब्ध होने के कारण, नयी निधि जारी नहीं की गई एवं योजना की धीमी प्रगति के कारण।

4. मुख्यशीर्ष "3054" - सड़क एवं पुल - जिला व अन्य सड़कें - अन्य व्यय - (i) शहरी सड़कों के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान - 1000.00 लाख रुपये - अनुदान जारी न होने के कारण।

(ii) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को शहरी सड़कों के लिए सहायता अनुदान - सीआरएफ योजना - 1500.00 लाख रुपये - अनुदान जारी न होने के कारण।

(iii) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को शहरी सड़कों के लिए सहायता अनुदान - सीआरएफ योजना - 2000.00 लाख रुपये - अनुदान जारी न होने के कारण।

(iv) पूर्वी दिल्ली नगर निगम को शहरी सड़कों के लिए सहायता अनुदान - सीआरएफ योजना - 500.00 लाख रुपये - अनुदान जारी न होने के कारण।

(v) जेएनएनयूआरएम के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान - 1000.00 लाख रुपये - अनुदान जारी न होने के कारण।

(vi) जेएनएनयूआरएम के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान - 2500.00 लाख रुपये - भारत सरकार द्वारा एसीए अंश रोके जाने के कारण।

(iii) Grant-in-aid to DUSIB for establishment charges – ₹105.50 lakhs - due to approval of the Competent Authority not received.

(b) Special Component Plan for Scheduled Castes – Grant-in-Aid to MCD for construction and improvement of Dhobi Ghats (SCSP) - (i) Grants to North Delhi Municipal Corporations for construction and improvement of Dhobi Ghats (SCSP) - ₹200.00 lakhs – due to release of less grant.

(ii) Grants to South Delhi Municipal Corporations for construction and improvement of Dhobi Ghats (SCSP) - ₹100.00 lakhs – due to release of less grant.

(iii) Grants to East Delhi Municipal Corporations for construction and improvement of Dhobi Ghats (SCSP) - ₹150.00 lakhs – due to release of less grant.

(C) Other Urban Development Scheme – Other Expenditure – S.P.V. for redevelopment of Walled City - ₹500.00 lakhs – due to savings were available, fresh funds not released & slow progress of scheme.

4. **Under Major Head “3054” – Roads & Bridges – District and Other Roads – Other Expenditure – (i) G.I.A. to East Delhi Municipal Corporation for Urban Roads – ₹1000.00 lakhs – due to non release of grant.**

(ii) Grant-in-aid to North Delhi Municipal Corporation for Urban Roads-CRF Scheme – ₹1500.00 lakhs – due to non release of grant.

(iii) Grant-in-aid to South Delhi Municipal Corporation for Urban Roads-CRF Scheme – ₹2000.00 lakhs – due to non release of grant.

(iv) Grant-in-aid to East Delhi Municipal Corporation for Urban Roads-CRF Scheme – ₹500.00 lakhs – due to non release of grant.

(v) Grant-in-aid to North Delhi Municipal Corporation for JNNURM – ₹1000.00 lakhs – due to non release of grant.

(vi) Grant-in-aid to South Delhi Municipal Corporation for JNNURM – ₹2500.00 lakhs – due to ACA share of Govt. of India was stopped.

(vii) जेएनएनयूआरएम के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान - 3000.00 लाख रुपये - सक्षम अधिकारी द्वारा निधियों को जारी करने का अनुमोदन न किये जाने के कारण ।

5. मुख्यशीर्ष "3475" - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ - शहरी रोजगार उन्मुख कार्यक्रम -
(i) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (सीएसएस) - 4000.00 लाख रुपये - प्रशासनिक कारणों से परियोजना का कामकाज/शुरूआत प्रभावित होने एवं भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण।

(ii) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत सामाजिक सुविधा संगम को राज्य अंश के तहत सहायता - 375.00 लाख रुपये - प्रशासनिक कारणों से परियोजना का कामकाज/शुरूआत प्रभावित होने के कारण।

6. मुख्यशीर्ष "2801" - विद्युत - हस्तांतरण एवं वितरण - अन्य व्यय - उपभोक्ताओं को डिस्कॉम द्वारा एलईडी बल्बों के लिए सब्सिडी - 2788.00 लाख रुपये - एलईडी बल्बों के दाम कम होने, सक्षम अधिकारी द्वारा बिना सब्सिडी के योजना को कार्यान्वित करने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मुख्यशीर्ष "2052"

अ. 1 - सचिवालय सामान्य सेवाएँ

मू.	623.95)			
पू.	-81.95)	542.00	487.80	-54.20

मुख्यशीर्ष "2070"

अ. 3 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ

मू.	200.00)			
पू.	1.00)			
पू.	299.00)	500.00	314.54	-185.46

मुख्यशीर्ष "2202"

अ. 4 - सामान्य शिक्षा

मू.	155825.00)			
पू.	-38537.59)	117287.91	117287.91	..

मुख्यशीर्ष "2215"

अ. 6 - जलापूर्ति एवं साफ सफाई

मू.	111453.00)			
पू.	4.00)			
पू.	-27896.00)	83561.00	65561.00	-18000.00

(vii) Grant-in-aid to East Delhi Municipal Corporation for JNNURM – ₹3000.00 lakhs – due to release of funds was not approved by the Competent Authority.

5. Under Major Head “3475” – Other General Economic Services – Urban Oriented Employment programme – (i) Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojna (CSS) – ₹4000.00 lakhs – due to administrative reasons affected the functioning / initiation of project & non receipt of grant from Govt. of India.

(ii) Grants to Samajik Suvidha Sangam as State Share under Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojna – ₹375.00.00 lakhs – due to administrative reasons affected the functioning / initiation of project.

6. Under Major Head “2801” – Power – Transmission and Distribution – Other Expenditure – Subsidy to consumers through DISCOM for LED Bulbs – ₹2788.00 lakhs – due to decrease of LED bulbs rates, Competent Authority implemented the scheme without subsidy.

Saving / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Major Head “2052”

A.1– Secretariat General Services

O.	623.95)			
R.	-81.95)	542.00	487.80	-54.20

Major Head “2070”

A.3– Other Administrative Services

O.	200.00)			
S.	1.00)			
R.	299.00)	500.00	314.54	-185.46

Major Head “2202”

A.4– General Education

O.	155825.50)			
R.	-38537.59)	117287.91	117287.91	..

Major Head “2215”

A.6– Water Supply & Sanitation

O.	111453.00)			
S.	4.00)			
R.	-27896.00)	83561.00	65561.00	-18000.00

मुख्यशीर्ष "2216"

अ. 7 - आवास

मू.	44000.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-21501.00)	22500.00	12400.00	-10100.00

मुख्यशीर्ष "2217"

अ. 8 - शहरी विकास

मू.	139570.12)			
पू.	14.00)			
पु.	5278.40)	144862.52	126483.54	-18378.98

मुख्यशीर्ष "3054"

अ. 12 - सड़कें तथा पुल

मू.	28000.00)			
पू.	2.00)			
पु.	-2102.00)	25900.00	20375.00	-5525.00

मुख्यशीर्ष "3604"

अ. 15 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा कार्य

मू.	110299.26)			
पु.	-20199.99)	90099.27	90099.27	

मुख्यशीर्ष "2059"

ब. 1 - सार्वजनिक निर्माण

मू.	52072.00)			
पु.	-2123.00)	49949.00	48569.03	-1379.97

मुख्यशीर्ष "3054"

ब. 3 - सड़क एवं पुल

मू.	30000.00)			
पु.	9000.00)	39000.00	38943.59	-56.41

मुख्यशीर्ष "2052"

क. 1 - सचिवालय सामान्य सेवाएँ

मू.	308.00)			
पु.	-100.00)	208.00	195.25	-12.75

मुख्यशीर्ष "2801"

क. 2 - उर्जा

मू.	88475.00)			
पू.	2.00)			
पु.	40001.00)	92478.00	85754.84	-6723.16

Major Head "2216"

A.7- Housing

O. 44000.00)

S. 1.00)

R. -21501.00) 22500.00 12400.00 -10100.00

Major Head "2217"

A.8- Urban Development

O. 139570.12)

S. 14.00)

R. 5278.40) 144862.52 126483.54 -18378.98

Major Head "3054"

A.12- Roads & Bridges

O. 28000.00)

S. 2.00)

R. -2102.00) 25900.00 20375.00 -5525.00

Major Head "3604"A.15- Compensation and
Assignments to Local Bodies
& Panchayati Raj institutions

O. 110299.26)

R. -20199.99)

90099.27 90099.27 ..

Major Head "2059"

B.1- Public Works

O. 52072.00)

R. -2123.00)

49949.00 48569.03 -1379.97

Major Head "3054"

B.3- Roads & Bridges

O. 30000.00)

R. 9000.00)

39000.00 38943.59 -56.41

Major Head "2052"

E.1 - Secretariat General Services

O. 308.00)

R. -100.00)

208.00 195.25 -12.75

Major Head "2801"

E.2- Power

O. 88475.00)

S. 2.00)

R. 40001.00) 92478.00 85754.84 -6723.16

बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. मुख्यशीर्ष "2052" - सचिवालय सामान्य सेवायें - सचिवालय - शहरी विकास विभाग - 136.15 लाख रुपये की बचत (623.95 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं खरीद प्रस्तावों के अमल में न आने के कारण हुई।
2. मुख्यशीर्ष "2202" - सामान्य शिक्षा - (अ) प्रारंभिक शिक्षा - स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता - (क) दिल्ली नगर निगम - (i) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान - 15769.90 लाख रुपये की बचत (62051.06 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।
 - (ii) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान - 12043.98 लाख रुपये की बचत (47390.34 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।
 - (iii) पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान - 7978.02 लाख रुपये की बचत (31391.70 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।
- (ख) नई दिल्ली निगम परिषद - सहायता अनुदान - 706.06 लाख रुपये की बचत (3855.36 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।
- (ब) माध्यमिक शिक्षा - स्थानीय निकायों को माध्यमिक शिक्षा के लिए सहायता - (क) नई दिल्ली नगर पालिका को माध्यमिक शिक्षा के लिए - सहायता अनुदान - 879.15 लाख रुपये की बचत (4800.45 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।
- (ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को स्कूल भवनों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान - 468.95 लाख रुपये की बचत (2560.57 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।
- (ग) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को स्कूल भवनों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान - 358.14 लाख रुपये की बचत (1955.58 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।
- (घ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम को स्कूल भवनों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान - 237.23 लाख रुपये की बचत (1295.39 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

Saving occurred under the following sub-heads: -

1. **Under Major Head "2052" - Secretariat General Services - Secretariat - Urban Development Department - Saving of ₹136.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹623.95 lakhs) was mainly due to vacancies, receipt of less claims / bills and non materialization of purchase proposals.**

2. **Under Major Head "2202" - ~~General Education~~ - (A) Elementary Education - Assistance to Local bodies for Primary Education - (a) Delhi Municipal Corporation - (i) Grant-in-aid to North Delhi Municipal Corporation - Saving of ₹15769.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹62051.06 lakhs) was mainly due to release of less grant.**
 - (ii) Grant-in-aid to South Delhi Municipal Corporation - Saving of ₹12043.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹47390.34 lakhs) was mainly due to release of less grant.

 - (iii) Grant-in-aid to East Delhi Municipal Corporation - Saving of ₹7978.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31391.70 lakhs) was mainly due to release of less grant.

 - (b) New Delhi Municipal Council - Grant-in-aid - Saving of ₹706.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3855.36 lakhs) was mainly due to release of less grant.

 - (B) Secondary Education - Assistance to Local bodies for Secondary Education - (a) NDMC for Secondary Education - Grant-in-aid - Saving of ₹879.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4800.45 lakhs) was mainly due to release of less grant.

 - (b) Grant-in-aid to North Delhi Municipal Corporation for Maintenance School building - Saving of ₹468.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2560.57 lakhs) was mainly due to release of less grant.

 - (c) Grant-in-aid to South Delhi Municipal Corporation for Maintenance School building - Saving of ₹358.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1955.58 lakhs) was mainly due to release of less grant.

 - (d) Grant-in-aid to East Delhi Municipal Corporation for Maintenance School building - Saving of ₹237.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1295.39 lakhs) was mainly due to release of less grant.

3. मुख्यशीर्ष "2215" - जल आपूर्ति एवं स्वच्छता - (अ) जल आपूर्ति - (क) स्थानीय निकायों, नगर परिषदों आदि को सहायता - दिल्ली जल बोर्ड को प्राकृतिक जल के लिए सहायता अनुदान - 1990.00 लाख रुपये की बचत (7000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ख) ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम - राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन - दिल्ली जल बोर्ड को ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान - 18000.00 लाख रुपये की बचत (38000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः समय सहायता के रूप में जल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होने वाले एसीए के न मिलने के कारण हुई।

(ब) मल व्ययन एवं स्वच्छता - स्थानीय निकायों, परिषदों आदि को सहायता - (i) जेएनएनयूआरएम परियोजना के अंतर्गत तीन मुख्य नालों को जोड़ने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान - 29667.00 लाख रुपये की बचत (34420.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

4. मुख्यशीर्ष "2216" - आवास - सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता - कमजोर वर्ग के लिए आवास बनाने हेतु डी.एस.एस.आई.डी.सी. को सहायता अनुदान (जे.एन. एन.यू.आर.एम) - 11000.00 लाख रुपये की बचत (21000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सक्षम अधिकारी द्वारा डीयूएसआईबी को जारी अनुदान में कटौती किये जाने के कारण हुई।

5. मुख्यशीर्ष "2217" - शहरी विकास - (अ) स्लम बस्ती सुधार - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना - शहरी झुग्गी बस्ती में पर्यावरण सुधार के लिए डीयूएसआईबी को सहायता (एससीएसपी) - 625.00 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः व्यय कम किये जाने के कारण हुई।

(ब) सामान्य - स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता - (क) दिल्ली नगर निगम को सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु अनुदान - (i) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु अनुदान - 1500.00 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ii) पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु अनुदान - 100.00 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ख) पैसे दो और उपयोग करो जन सुविधा परिसरों के निर्माण हेतु डीयूएसआईबी को सहायता अनुदान - 1500.00 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं व्यय कम किये जाने के कारण हुई।

3. **Under Major Head "2215" – Water Supply and Sanitation – (A) – Water Supply – (a) Assistance to Local Bodies, Municipalities etc. – Grant-in-aid to Delhi Jal Board for Raw Water – Saving of ₹1990.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was mainly due to release of less grant.**

(b) Rural Water Supply Programme – Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission – Grant-in-aid to Delhi Jal Board for Rural Water Supply programme – Saving of ₹18000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38000.00 lakhs) was mainly due to ACA as time assistance not received from Ministry of Water, Govt. of India.

(B) Sewerage and Sanitation – Assistance to Local Bodies Municipalities etc. – (i) Grant-in-Aid to DJB for Interceptor Sewer along three major drains under JNNURM Projects – Saving of ₹29667.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34420.00 lakhs) was mainly due to release of less grant.

4. **Under Major Head "2216" – Housing – General – Assistance to Public Sector & Other Undertakings – Grants to DUSIB for construction of Houses for weaker section (JNNURM) – Saving of ₹11000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21000.00 lakhs) was mainly due to curtailment of funds to DUSIB by the Competent Authority.**

5. **Under Major Head "2217" – Urban Development – (A) Slum Area Improvement – Special Component Plan for Scheduled Castes – Grants to DUSIB for environmental in Urban Slums (SCSP) – Saving of ₹625.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00) lakhs was mainly due to slow pace in expenditure.**

(B) General – Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town improvement Boards etc. – (a) Grant-in-aid to MCD for construction of community centre – (i) Grants to North Delhi Municipal Corporation for construction of community centre – Saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was mainly due to release of less grant.

(ii) Grant-in-Aid to East Delhi Municipal Corporation for construction of Community Centre – Saving of ₹100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to release of less grant.

(b) Grant-in-Aid to DUSIB for construction of pay & use Jan Savidha complexes – Saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was mainly due to release of less grant & slow pace in the expenditure.

(ग) पूंजीगत सम्पत्ति के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान - (i) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को पूंजीगत सम्पत्ति के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान - 404.44 लाख रुपये की बचत (2208.39 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ii) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को पूंजीगत सम्पत्ति के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान - 404.44 लाख रुपये की बचत (2208.39 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iii) पूर्वी दिल्ली नगर निगम को पूंजीगत सम्पत्ति के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान - 255.44 लाख रुपये की बचत (1394.77 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(घ) प्रवेश द्वारों का सौंदर्यीकरण - 280.00 लाख रुपये की बचत (400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति एवं सक्षम अधिकारी का अनुमोदन समय पर प्राप्त न होने के कारण हुई।

(स) अन्य शहरी विकास योजनायें - अन्य व्यय - अनधिकृत कालोनियों में जरूरी सेवाओं का प्रावधान - 931.79 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति एवं परियोजना को चालू रखने के लिए जरूरी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

6. मुख्यशीर्ष "3054" - सड़क एवं पुल - जिला एवं अन्य सड़कें - अन्य व्यय - (i) आरओबी/आरयूबी के निर्माण के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान - 1500.00 लाख रुपये की बचत (6000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पास पर्याप्त अव्ययित बचत होने के कारण हुई।

(ii) आरओबी/आरयूबी के निर्माण के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान - 626.00 लाख रुपये की बचत (2501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पास पर्याप्त अव्ययित बचत होने के कारण हुई।

7. मुख्यशीर्ष "3604" - स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं नियुक्ति - अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं नियुक्ति - (क) दिल्ली नगर निगम का मूल कर निर्धारण - (i) उत्तरी दिल्ली नगर निगम - 6785.64 लाख रुपये की बचत (37052.06 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः गणना के आधार पर कर जारी किये जाने के कारण हुई।

(ii) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम - 8705.24 लाख रुपये की बचत (47533.75 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः गणना के आधार पर कर जारी किये जाने के कारण हुई।

(c) Grant-in-aid for maintenance of capital assets – (i) Grant-in-Aid to North Delhi Municipal Corporation for maintenance of capital assets – Saving of ₹404.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2208.39 lakhs) was mainly due to release of less grant.

(ii) Grant-in-Aid to South Delhi Municipal Corporation for maintenance of capital assets – Saving of ₹404.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2208.39 lakhs) was mainly due to release of less grant.

(iii) Grant-in-Aid to East Delhi Municipal Corporation for maintenance of capital assets – Saving of ₹255.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1394.77 lakhs) was mainly due to release of less grant.

(d) Beautification of Entry Point – Saving of ₹280.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was mainly due to slow progress of scheme & approval of the Competent Authority not received in time.

(C) Other Urban Development Scheme- Other Expenditure – Provision of essential Services in unauthorized colonies - Saving of ₹931.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to slow progress of scheme & sufficient proposal to carry on the project not received.

6. **Under Major Head “3054” – Roads & Bridges – District and Other Roads – Other Expenditure – (i) Grant-in-aid to North Delhi Municipal Corporation for Construction of ROB / RUB - Saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was mainly due to sufficient unspent balance was available with North DMC.**

(ii) Grant-in-aid to South Delhi Municipal Corporation for Construction of ROB / RUB - Saving of ₹626.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to sufficient unspent balance was available with south DMC.

7. **Under Major Head “3604” – Compensation and Assignments to Local Bodies & Panchayati Raj Institutions – Other Misc. Compensation and Assignments – (a) Basic Tax Assignment to MCD – (i) North Delhi Municipal Corporation – Saving of ₹6785.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37052.06 lakhs) was mainly due to release of tax on the basis of calculation.**

(ii) South Delhi Municipal Corporation – Saving of ₹8705.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹47533.75 lakhs) was mainly due to release of tax on the basis of calculation.

(iii) पूर्वी दिल्ली नगर निगम - 3666.78 लाख रुपये की बचत (20021.92 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः गणना के आधार पर कर जारी किये जाने के कारण हुई।

(ख)-नई दिल्ली नगर पालिका का मूल कर निर्धारण - 657.70 लाख रुपये की बचत (3591.33 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गणना के आधार पर कर जारी किये जाने के कारण हुई।

(ग) दिल्ली कैंटोनमेण्ट बोर्ड का मूल कर निर्धारण - 384.63 लाख रुपये की बचत (2100.20 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गणना के आधार पर कर जारी किये जाने के कारण हुई।

8. मुख्यशीर्ष "2059" - लोक निर्माण - सामान्य - (क) निर्देशन एवं प्रशासन - स्थापना व्यय - 3357.90 लाख रुपये की बचत (21322.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति एवं मितव्ययिता के उपायों को अपनाने के कारण हुई।

(ख) निर्माण - 367.03 लाख रुपये की बचत (750.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः गणना कार्य कम होने के कारण हुई।

9. मुख्यशीर्ष "2052" - सचिवालय सामान्य सेवार्य - सचिवालय - ऊर्जा विभाग - 112.75 लाख रुपये की बचत (308.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

10. मुख्यशीर्ष "2801" - ऊर्जा - प्रेषण एवं वितरण - अन्य व्यय - (i) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सहायता अनुदान - 282.77 लाख लाख रुपये की बचत (1250.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ii) डीपीसीएल को सहायता अनुदान - 5225.00 लाख लाख रुपये की बचत (40225.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iii) एचटी/एलटी विद्युत प्रेषण लाइनों का स्थानान्तरण - 406.39 लाख लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति एवं प्रस्तावों के समय पर न मिलने के कारण हुई।

(iii) East Delhi Municipal Corporation – Saving of ₹3666.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20021.92 lakhs) was mainly due to release of tax on the basis of calculation.

(b) Basic Tax Assignment to NDMC – Saving of ₹657.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3591.33 lakhs) was mainly due to release of tax on the basis of calculation.

(c) Basic Tax Assignment to Delhi Cantonment Board – Saving of ₹384.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.20 lakhs) was mainly due to release of tax on the basis of calculation.

8. **Under Major Head “2059” – Public Works – General – (a) Direction & Administration – Establishment Charges - Saving of ₹3357.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21322.00 lakhs) was mainly due to vacancies, receipt of less bills / claims & economy measurers.**

(b) Construction – Saving of ₹367.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹750.00 lakhs) was mainly due to less calculation work.

9. **Under Major Head “2052” – Secretariat General Services – Secretariat – Power Department – Saving of ₹112.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹308.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills.**

10. **Under Major Head “2801” – Power – Transmission and Distribution – Other Expenditure – (i) Grant-in-aid to DERC – Saving of ₹282.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1250.00 lakhs) was mainly due to release of less grant.**

(ii) Grant-in-aid to DPCL – Saving of ₹5225.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40225.00 lakhs) was mainly due to release of less grant.

(iii) Shifting of H.T/LT Transmission Electricity Lines – Saving of ₹406.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to slow progress of scheme & proposals not received in time.

इसके अतिरिक्त 462.66 लाख रुपये की बचत 6 उपशीर्षों के अन्तर्गत थी जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें, निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति सन्तुलित की गई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2070"** - अन्य प्रशासनिक सेवायें - अन्य व्यय - दिल्ली नगर निगम को जुमाने/जब्ती की भरपाई - 114.33 लाख रुपये का अधिक व्यय (101.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली नगर निगम के दावों के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "2215"** - जलापूर्ति एवं साफ सफाई - (अ) जलापूर्ति - स्थानीय निकायों एवं निगम परिषदों को सहायता - (क) स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि को सहायता - दिल्ली जल बोर्ड को आईटी/गुणवत्ता नियंत्रण/पर्यावरण के लिए सहायता अनुदान - 624.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (801.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ख) अन्य व्यय - दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को सब्सिडी - 2082.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के कारण हुआ।

(ब) सीवरेज एवं स्वच्छता - स्थानीय निकायों एवं निगम परिषदों को सहायता - दिल्ली जल बोर्ड को अनधिकृत कालोनियों में सीवेज सुविधा के लिए सहायता अनुदान - 7249.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (5251.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

3. **मुख्यशीर्ष "2216"** - आवास - सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता - (1) रैन बसेरों के निर्माण हेतु डी.एस.यू.आई.बी. को सहायता अनुदान - 499.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

4. **मुख्यशीर्ष "2217"** - शहरी विकास - (अ) स्लम बस्ती सुधार - स्थानीय निकायों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता - एमसीडी को जेजेआर कालोनियों में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान के लिए सहायता - पूर्वी दिल्ली नगर निगम को जेजेआर कालोनियों में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान के लिए सहायता - 399.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1601.00 लाख रुपये स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

Further, saving of ₹462.66 lakhs remained in six sub-heads which exceeded ₹50.00 lakhs but less than ₹1.00 crore.

The above said savings were partly off-set by excess under the following heads:-

1. **Under Major Head "2070" – Other Administrative Services – Other Expenditure – Re-imbursment of fines, forfeiture to MCD – Excess of ₹114.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹101.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to claims of MCD.**

2. **Under Major Head "2215" – Water Supply and Sanitation – (A) Water Supply – (a) Assistance to Local Bodies, Municipalities etc. – Grant-in-Aid to Delhi Jal Board for IT / Quality Control / Environment – Excess of ₹624.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹801.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakh) was mainly due to release of more grant.**

(b) Other Expenditure – Subsidy to Consumers through Delhi Jal Board – Excess of ₹2082.00 lakhs (against the supplementary provision of ₹1.00 lakh) was mainly due to release of subsidy to consumers.

(B) Sewerage & Sanitation – Assistance to Local Bodies, Municipalities etc. – Grant-in-aid to Delhi Jal Board for sewage facility in unauthorized colonies – Excess of ₹7249.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5251.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakh) was mainly due to release of more grant.

3. **Under Major Head "2216" – Housing – General – Assistance to Public Sector and Other Undertakings – Grant-in-aid to DUSIB for construction of Night Shelters – Excess of ₹499.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakh) was mainly due to release of more grant.**

4. **Under Major Head "2217" – Urban Development – (A) Slum Area Improvement – Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. – Grants to MCD for Provision of additional facilities in JJR colonies – Grants to East Delhi Municipal Corporation for Provision of additional facilities in JJR colonies – Excess of ₹399.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1601.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakh) was mainly due to release of more grant.**

(ब) सामान्य – (क) स्थानीय निकायों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता मलव्यय व सफाई सेवा के मशीनीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु दिल्ली नगर निगम को अनुदान – (i) मलव्यय व सफाई सेवा के मशीनीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अनुदान – 999.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (15001.00 लाख रुपये स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ ।

(ii) पूर्वी दिल्ली नगर निगम को मल व्यय व सफाई सेवा के मशीनीकरण व सुदृढीकरण के लिए अनुदान – 499.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (6501.00 लाख रुपये स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ ।

(iii) दिल्ली नगर निगम को सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान – दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान – 399.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (601.00 लाख रुपये स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ ।

(iv) दिल्ली नगर निगम को अनधिकृत कालोनियों में आवश्यक सुविधाओं के लिए सहायता अनुदान – दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को अनधिकृत कालोनियों में आवश्यक सुविधाओं के लिए सहायता अनुदान – 3349.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (2251.00 लाख रुपये स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ ।

(v) दिल्ली नगर निगम को अनधिकृत कालोनियों में स्वच्छता के लिए सहायता अनुदान – (I) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अनधिकृत कालोनियों में स्वच्छता के लिए सहायता अनुदान – 499.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (3501.00 लाख रुपये स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ ।

(II) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को अनधिकृत कालोनियों में स्वच्छता के लिए सहायता अनुदान – 499.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (5001.00 लाख रुपये स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ ।

(III) पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अनधिकृत कालोनियों में स्वच्छता के लिए सहायता अनुदान – 199.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1801.00 लाख रुपये स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ ।

(B) General – (a) Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. – Grant-in-aid to MCD for Strengthening & Mechanization of Conservancy and Sanitation Services – (i) Grants to North Delhi Municipal Corporation for Strengthening & Mechanization of Conservancy and Sanitation Services - Excess of ₹999.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of Rs.1.00 lakh) was mainly due to release of more grant.

(ii) Grants to East Delhi Municipal Corporation for Strengthening & Mechanization of Conservancy and Sanitation Services - Excess of ₹499.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of Rs.1.00 lakh) was mainly due to release of more grant.

(iii) Grant-in-aid to MCD for construction of community centre – Grants to South Delhi Municipal Corporation for construction of Community Centre – Excess of ₹399.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹601.00.00 lakhs inclusive of supplementary provision of Rs.1.00 lakh) was mainly due to release of more grant.

(iv) Grant-in-aid to MCD for Essential Services in unauthorized colonies – Grants to South Delhi Municipal Corporation for Essential Services in unauthorized colonies - Excess of ₹3349.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2251.00 lakhs inclusive of supplementary provision of Rs.1.00 lakh) was mainly due to release of more grant.

(v) Grant-in-aid to MCD for sanitation in unauthorized colonies – (I) Grants to North Delhi Municipal Corporation for sanitation in unauthorized colonies - Excess of ₹499.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of Rs.1.00 lakh) was mainly due to release of more grant.

(II) Grants to South Delhi Municipal Corporation for sanitation in unauthorized colonies - Excess of ₹499.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of Rs.1.00 lakh) was mainly due to release of more grant.

(III) Grants to East Delhi Municipal Corporation for sanitation in unauthorized colonies - Excess of ₹199.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1801.00 lakhs inclusive of supplementary provision of Rs.1.00 lakh) was mainly due to release of more grant.

(ख) अ.जा. के लिए विशेष घटक योजना - (i) पैसे दो और प्रयोग करो जन सुविधा परिसरों के निर्माण हेतु डीयूएसआईबी को सहायता अनुदान(एससीएसपी) - 499.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (501.00 लाख रुपये स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अनुदान अधिक जारी होने के कारण हुआ ।

(ii) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को अनधिकृत कालोनियों में अवाश्यक सेवाओं हेतु अनुदान (एससीएसपी) - 1649.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (751.00 लाख रुपये स्वीकृत प्रावधान, 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अनुदान अधिक जारी होने के कारण हुआ ।

(स) अन्य शहरी विकास योजनायें - (क) अन्य व्यय - प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों, गलियों, इलाकों, गलियों की बत्ती इत्यादि ढांचों का सुदृढीकरण एवं संवर्धन - 1155.83 लाख रुपये का अधिक व्यय (22501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः अनुदान अधिक जारी होने के कारण हुआ ।

(ख) अ. जा. के लिए विशेष घटक योजना - प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों, गलियों, इलाकों, गलियों की बत्ती इत्यादि ढांचों का सुदृढीकरण एवं संवर्धन (एससीएसपी)- 397.60 लाख रुपये का अधिक व्यय (5501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः अनुदान अधिक जारी होने के कारण हुआ ।

5. मुख्यशीर्ष "3054" - सड़कें एवं पुल - जिला एवं अन्य सड़कें - अन्य व्यय - (i) शहरी सड़कों के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान - 5999.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (5001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः अनुदान अधिक जारी होने के कारण हुआ ।

6. मुख्यशीर्ष "2059" - लोक निर्माण - सामान्य - मरम्मत एवं रखरखाव - 221.96 लाख रुपये का अधिक व्यय (30000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः रखरखाव एवं मरम्मत के अधिक बिलों के कारण हुआ ।

7. मुख्यशीर्ष "3054" - सड़कें एवं पुल - जिला एवं अन्य सड़कें - अन्य व्यय - जिला सड़कें - रखरखाव - 8943.59 लाख रुपये का अधिक व्यय (30000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रखरखाव के अधिक बिलों के कारण हुआ ।

8. मुख्यशीर्ष "2801" - ऊर्जा - वितरण एवं हस्तांतरण - अन्य व्यय - डिस्कॉम के द्वारा उपभोक्ताओं को सब्सिडी - 3193.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (26001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः उपभोक्ताओं को अधिक सब्सिडी देने के कारण हुआ ।

(b) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Grant-in-Aid to DUSIB for construction of Pay & Use Jan Suvidha Complexes (SCSP) – Excess of ₹499.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakh) was mainly due to release of more grant.

(ii) Grants to South Delhi Municipal Corporation for Essential Services in Unauthorized Colonies (SCSP) – Excess of ₹1649.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹751.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakh) was mainly due to release of more grant.

(C) Other Urban Development Scheme – (a) Other Expenditure – Strengthening and Augmentation of infrastructure i.e. roads, streets, localities street lights etc. in each Assembly Constituency – Excess of ₹1155.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakh) was mainly due to release of more grant.

(b) Special Component Plan for Scheduled Castes – Strengthening and Augmentation of Roads, streets, localities, street lights in each Assembly Constituency (SCSP) – Excess of ₹397.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of 1.00 lakhs) was mainly due to release of more funds.

5. **Under Major Head “3054” – Roads & Bridges – District and Other Roads – Other Expenditure – (i) Grant-in-aid to North Delhi Municipal Corporation for Urban Roads – Excess of ₹5999.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of 1.00 lakhs) was mainly due to release of more grant.**
6. **Under Major Head “2059” – Public Works – General – Maintenance & Repairs – Excess of ₹221.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was mainly due to receipt of more bills of maintenance & repairs.**
7. **Under Major Head “3054” – Roads & Bridges – District and Other Roads – Other Expenditure – District Roads – Maintenance – Excess of ₹8943.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was mainly due to receipt of more maintenance bills.**
8. **Under Major Head “2801” – Power – Transmission and Distribution – Other Expenditure – Subsidy to consumers through DISCOMS – Excess of ₹3193.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of 1.00 lakhs) was mainly due to more subsidy to consumers.**

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 34748.55 लाख रुपये की (532853.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 573.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 6.52 प्रतिशत थी ।

15373.00 लाख रुपये की राशि 23 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित शीर्ष शामिल है :-

1. मुख्यशीर्ष "4217"- शहरी विकास पर पूंजी प्रख्यय - (अ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों में निवेश - रा.रा.क्ष. विकास बोर्ड को अंश पूंजी - 500.00 लाख रुपये - योजना के कार्यान्वित न होने के कारण ।
(ब) अन्य शहरी विकास योजनाएं - (क) भूमि - सामाजिक, सांस्कृतिक केन्द्रों का निर्माण - 100.00 लाख रुपये - योजना के कार्यान्वित न होने के कारण ।
(ख) कंझावाला गांव में ईडब्लूएस के लिए भूतनों के निर्माण हेतु भूमि की खरीद - 200.00 लाख रुपये - योजना के कार्यान्वित न होने के कारण ।
2. मुख्यशीर्ष "6215"- जलापूर्ति व सफाई के लिए ऋण - जलापूर्ति - स्थानीय निकायों, नगरपालिका इत्यादी को ऋण - (i) दि.ज.बो. को चन्द्रावल जल संयंत्र के लिए ऋण - 3000.00 लाख रुपये - कम ऋण जारी होने एवं परियोजना के अभी भी वैचारिक स्तर पर होने के कारण ।
(ii) दि.ज.बो. को वजीराबाद जल संयंत्र के लिए ऋण - 1000.00 लाख रुपये - कम ऋण जारी होने एवं परियोजना के अभी भी वैचारिक स्तर पर होने के कारण ।
3. मुख्यशीर्ष "6217" - शहरी विकास के लिए ऋण - स्थानीय निकाय, निगमों इत्यादि के लिए ऋण - एमसीडी को नालों को ढकने के लिए ऋण - उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नालों को ढकने के लिए ऋण - 100.00 लाख रुपये - उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा तीसरी एवं अंतिम किस्त जारी न करने के निवेदन के कारण ।
4. मुख्यशीर्ष "7055" - सड़क परिवहन के लिए ऋण - अन्य ऋण - स्थानीय निकायों को सड़कों के लिए ऋण - (i) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत सड़कें बनाने हेतु ऋण - 1000.00 लाख - कंय परियोजना के अमल में न आने के कारण निधि जारी नहीं की गई ।
(ii) पूर्वी दिल्ली नगर निगम को जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत सड़कें बनाने हेतु ऋण - 1000.00 लाख - ऋण जारी न किये जाने के कारण ।

In the Voted portion of Capital Section of the grant, the overall saving of ₹34748.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹532853.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹573.00 lakhs) constituted 6.52% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹15373.00 lakhs remained wholly unutilised under 23 sub-heads. This includes the following: -

1. **Under Major Head "4217" - Capital Outlay on Urban Development -**
 - (A) National Capital Region - Investment in Public Sector and other Undertakings - Share Capital contribution to NCR Development Board - ₹500.00 lakhs - due to non implementation of scheme.
 - (B) Other Urban Development Schemes - (a) Land - Construction of Socio Cultural Centers - ₹100.00 lakhs - due to non implementation of scheme.
 - (b) Purchase of land in village Kanjhawala for construction of houses for EWS - ₹200.00 lakhs - due to non implementation of scheme.
2. **Under Major Head "6215" - Loans for Water Supply & Sanitation - Water Supply - Loan to Local Bodies, municipalities etc. -**
 - (i) Loans to Delhi Jal Board for Chandrawal WTP - ₹3000.00 lakhs - due to release of less loan and project still at conceptual stage.
 - (ii) Loans to Delhi Jal Board for Wazirabad WTP - ₹1000.00 lakhs - due to release of less loan and project still at conceptual stage.
3. **Under Major Head "6217" - Loans for Urban Development - Loans to Local Bodies Corporation etc. - Loans to MCD for Covering of drains - Loans to North Delhi Municipal Corporation for Covering of drains -** ₹100.00 lakhs - due to North DMC requested not to release 3rd & final installment.
4. **Under Major Head "7055" - Loan for Road Transport - Other Loans - Loans to Local Bodies for Roads -**
 - (i) Loans to North Delhi Municipal Corporation for construction of roads under JNNURM Scheme - ₹1000.00 lakhs - due to purchasing project not materialized and hence funds not released.
 - (ii) Loans to East Delhi Municipal Corporation for construction of roads under JNNURM Scheme - ₹1000.00 lakhs - due to non release of loan.

5. मुख्यशीर्ष "4059" - लोक निर्माण कार्यों पर पूजा परिव्यय - कार्यालय भवन - निर्माण - आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग भवन - 200.00 लाख रुपये - योजना की धीमी प्रगति के कारण ।

6. मुख्यशीर्ष "4225" - एससी/एसटी एवं अ.पि.व. के कल्याण हेतु पूजा परिव्यय - अ.जा. का कल्याण - अ.जा. के लिए विशेष घटक योजना - बक्करवाला गांव में अ.जा. के लिए शैक्षिक केन्द्रों का निर्माण - 100.00 लाख रुपये - योजना की धीमी प्रगति के कारण ।

7. मुख्यशीर्ष "4801" - विद्युत परियोजनाओं पर पूजा परिव्यय - प्रेषण एवं वितरण - (क) सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश - (i) झज्जर हरियाणा में जेवीसी ऊर्जा सयंत्र के लिए संयुक्त उद्यम - 7260.00 - कम इक्विटी जारी होने एवं सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण ।

(ii) दिल्ली नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली कम्पनी डीआरईपीसी के लिए इक्विटी - 500.00 लाख रुपये - कम इक्विटी जारी होने के कारण ।

(ख) अन्य व्यय - मारा - II मोहन कोल ब्लॉक का विकास - 100.00 लाख रुपये - योजना के कार्यान्वित न होने के कारण ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मुख्यशीर्ष "4217"

अ.अ 1 - शहरी विकास पर पूजा परिव्यय

मू.	40800.00)			
पु.	-18750.00)	22050.00	20912.25	-1137.75

मुख्यशीर्ष "6215"

अ.अ 2 - जलापूर्ति एवं सफाई के लिए ऋण

मू.	94760.00)			
पू.	2.00)			
पु.	23760.00)	118522.00	115422.00	-3100.00

मुख्यशीर्ष "6217"

अ.अ 3 - शहरी विकास के लिए ऋण

मू.	17400.00)			
पु.	-2250.00)	15150.00	14425.00	-725.00

5. **Under Major Head "4059"** – Capital Outlay on Public Works – Office buildings – Construction – Excise, Entertainment and Luxury Tax Deptt. Building – Rs.200.00 lakhs – due to slow progress of work.
6. **Under Major Head "4225"** – Capital Outlay on Welfare of SC/ST and Other Backward Classes – Welfare of Scheduled Castes – Special Component Plan for Scheduled Castes – Construction of Educational Hub for SC at Village Bakarwala – ₹100.00 lakhs – due to slow progress of work.
7. **Under Major Head "4801"** – Capital Outlay on Power Projects – Transmission and Distribution – (a) Investment in Public Sector and Other Undertakings – (i) Equity Contribution to JVC Power Plant at Jhajjar, Haryana – ₹7260.00 lakhs – due to release of less equity & approval of the Competent Authority not received.
- (ii) Equity for Delhi Renewable Energy and Power Company DREPC – ₹500.00 lakhs – due to release of less equity.
- (b) Other Expenditure – Development of mara-II mahan coal block – ₹100.00 lakhs – due to non implementation of scheme.

Saving / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Major Head "4217"

AA.1- Capital Outlay on Urban Development

O. 40800.00)

R. -18750.00)

22050.00

20912.25

-1137.75

Major Head "6215"

AA.2- Loans for Water Supply and Sanitation

O. 94760.00)

S. 2.00)

R. 23760.00)

118522.00

115422.00

-3100.00

Major Head "6217"

AA.3- Loans for Urban Development

O. 17400.00)

R. -2250.00)

15150.00

14425.00

-725.00

मुख्यशीर्ष "4055"

ब.ब. 1 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय

मू.	1800.00)			
पु.	150.00)	1950.00	1686.33	-263.67

मुख्यशीर्ष "4059"

ब.ब. 2 - सार्वजनिक कार्यों पर पूंजी परिव्यय

मू.	19520.00)			
पु.	785.00)	20305.00	18579.22	1725.78

मुख्यशीर्ष "4070"

ब.ब. 3 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

मू.	11500.00)			
पु.	610.00)	12110.00	11670.38	-439.62

मुख्यशीर्ष "4202"

ब.ब. 4 - शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय

मू.	43208.00)			
पू.	1.00)			
पु.	4825.00)	48034.00	46284.43	-1749.57

मुख्यशीर्ष "4210"

ब.ब. 5 - चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय

मू.	69250.00)			
पु.	-14249.00)	55001.00	48947.07	-6053.93

मुख्यशीर्ष "4235"

ब.ब. 7. - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय

मू.	2577.00)			
पु.	200.00)	2777.00	1724.23	1052.77

मुख्यशीर्ष "4250"

ब.ब. 8. - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

मू.	2730.00)			
पु.	-1105.00)	1625.00	1357.08	-267.92

मुख्यशीर्ष "5054"

ब.ब. 11 - सड़कों एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय

		170000.00	169483.34	-516.66
--	--	-----------	-----------	---------

Major Head "4055"**BB.1- Capital Outlay on Police**

O. 1800.00)

R. 150.00) 1950.00 1686.33 -263.67

Major Head "4059"**BB.2- Capital Outlay on Public Works**

O. 19520.00)

R. 785.00) 20305.00 18579.22 1725.78

Major Head "4070"**BB.3- Capital Outlay on Other Administrative Services**

O. 11500.00)

R. 610.00) 12110.00 11670.38 -439.62

Major Head "4202"**BB.4- Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture**

O. 43208.00)

S. 1.00)

R. 4825.00) 48034.00 46284.43 -1749.57

Major Head "4210"**BB.5- Capital Outlay on Medical and Public Health**

O. 69250.00)

R. -14249.00) 55001.00 48947.07 -6053.93

Major Head "4235"**BB.7- Capital Outlay on Social Security and Welfare**

O. 2577.00)

R. 200.00) 2777.00 1724.23 1052.77

Major Head "4250"**BB.8- Capital Outlay on Other Social Services**

O. 2730.00)

R. -1105.00) 1625.00 -1357.08 -267.92

Major Head "5054"**BB.11- Capital Outlay on Roads & Bridges**

170000.00 169483.34 -516.66

मुख्यशीर्ष "5475"

ब.ब 14. - अन्य आर्थिक
सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

मू.	415.00)			
पु.	-175.00)	240.00	68.02	-171.98

मुख्यशीर्ष "4225"

ब.ब 15. - अ.जा./अ.ज.जा एवं अ.पि.व.
पर पूंजी परिव्यय

मू.	300.00)			
पु.	-190.00)	110.00	58.04	-51.96

मुख्यशीर्ष "6801"

च.च. 1 - विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण

मू.	36600.00)			
पु.	-7100.00)	29500.00	29500.00	..

मुख्यशीर्ष "4801"

च.च. 2 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय

मू.	10400.00)			
पु.	3300.00)	13700.00	8532.65	-5167.35

बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4217"** - शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय - अन्य शहरी विकास योजनाएं - भूमि-
(i) शहरी गांवों का विकास - 3644.81 लाख रुपये की बचत (6500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य में धीमी प्रगति होने एवं लंबित दायित्व के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई ।
(ii) अनधिकृत कालोनियों का विकास - 15442.94 लाख रुपये की बचत (33500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति एवं आईएण्डएफसी एवं पीडब्लूडी विभागों को जारी निधियों के कम उपयोग के कारण हुई ।
2. **मुख्यशीर्ष "6215"** - जल आपूर्ति एवं सफाई के लिये ऋण - (अ) जलापूर्ति - स्थानीय निकायों, निगमों इत्यादि को ऋण - (i) दिल्ली जल बोर्ड को शहरी जलापूर्ति के लिए ऋण - 15750.00 लाख रुपये की बचत (54100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने एवं जल संयंत्र प्लांट, पल्ला की एक परियोजना के अभी भी वैचारिक स्तर पर होने के कारण हुई ।

Major Head "5475"BB.14- Capital Outlay on Other
General Economic Services

O. 415.00)

R. -175.00) 240.00 68.02 -171.98

Major Head "4225"BB.15- Capital Outlay on Welfare of SC/ST
And Other Backward Classes

O. 300.00)

R. -190.00) 110.00 58.04 -51.96

Major Head "6801"EE.1 - Loans for Power
Project

O. 36600.00)

R. -7100.00) 29500.00 29500.00 ..

Major Head "4801"EE.2 - Capital Outlay on
Power Project

O. 10400.00)

R. 3300.00) 13700.00 8532.65 -5167.35

Saving occurred mainly under the following sub-heads: -

- Under Major Head "4217" - Capital Outlay on Urban Development - Other Urban Development Schemes - Land - (i) Development of Urban Villages - Saving of ₹3644.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work & pending liability proposal not received.**

(ii) Development of unauthorized colonies - Saving of ₹15442.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33500.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work & under utilization of funds by the I&FC & PWD departments against the funds released to them.
- Under Major Head "6215" - Loans for Water Supply and Sanitation - (A) Water Supply - Loans to Local bodies, municipalities etc. - (i) Loans to Delhi Jal Board for Urban Water Supply - Saving of ₹15750.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54100.00 lakhs) was mainly due to release of less loan & one project construction of WTP plant at Palla still at conceptual stage.**

(ii) दिल्ली जल बोर्ड को शहरी गांवों में जलापूर्ति के लिए ऋण - 375.00 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण हुई।

(ब) मल व्ययन एवं सफाई - स्थानीय-निकायों, निगमों इत्यादि को ऋण - (i) यमुना कार्य योजना-III के अन्तर्गत सीवर लाईन के पुनर्वास हेतु दिल्ली जल बोर्ड को ऋण - दिल्ली सरकार का सहभाग - 1250.00 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः डीवीबी के पास पर्याप्त मात्रा में अव्ययित धनराशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

3. मुख्यशीर्ष "6217" - शहरी विकास के लिए ऋण - अन्य शहरी विकास योजनाएँ - (क) स्थानीय निकायों, निगमों आदि ऋण - (I) अनधिकृत नियमित कालोनियों के विकास के लिए दिल्ली नगर निगम को ऋण - उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अनधिकृत नियमित कालोनियों के विकास के लिए ऋण - 175.00 लाख रुपये की बचत (700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा तीसरी एवं अंतिम किस्त जारी न करने के अनुरोध के कारण हुई।

(II) दिल्ली नगर निगम को अधिकृत कालोनियों में विकास कार्यों के लिए ऋण - उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अधिकृत नियमित कालोनियों में विकास कार्यों के लिए ऋण - 2375.00 लाख रुपये की बचत (9500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा तीसरी एवं अंतिम किस्त जारी न करने के अनुरोध करने के कारण हुई।

(III) पूर्वी दिल्ली नगर निगम को पशुधन बाजार गाजीपुर में सुधार के लिए के लिए ऋण - 250.00 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण हुई।

4. मुख्यशीर्ष "4055" - पुलिस पर पूंजीगत व्यय - दिल्ली पुलिस - दिल्ली फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला - 113.67 लाख रुपये की बचत (1800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भूमि का चयन न होने के कारण हुई।

5. मुख्यशीर्ष "4059" - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय - (अ) कार्यालय भवन - निर्माण - (i) यूटीसीएस भवन - 153.47 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(ii) न्यायालय भवन - 135.05 लाख रुपये की बचत (9200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रत्याशित रूप से कार्य के पूर्ण न होने के कारण हुई।

(ii) Loans to Delhi Jal Board for water supply in Urban villages – Saving of ₹375.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was mainly due to release of less loan.

(B) Sewerage and Sanitation – Loans to Local bodies, municipalities etc – Loans to Delhi Jal Board for rehabilitation of sewerage under Yamuna Action Plan- III - Delhi Govt. Share – Saving of ₹1250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was mainly due to sufficient unspent balance still available with DVB, hence savings.

3. **Under Major Head “6217”** – Loans for Urban Development – Other Urban Development Schemes – (a) Loans to Local Bodies, Corporations etc. – (I) Loans to MCD for development of regularized unauthorized colonies – Loans to North Delhi Municipal Corporation for development of regularized unauthorized colonies – Saving of ₹175.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was mainly due to North DMC requested not to release 3rd and final installment.

(II) Loans to MCD for development work in approved colonies – Loans to North Delhi Municipal Corporation for development works in approved colonies - Saving of ₹2375.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9500.00 lakhs) was mainly due to release of less loans & North DMC requested not to release 3rd and final installment.

(III) Loans to East Delhi Municipal Corporation for improvement of live stock market at Gajipur – Saving of ₹250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to release of less loan.

4. **Under Major Head “4055”** – Capital Outlay on Police – Delhi Police – Delhi Forensic science Laboratory – Saving of ₹113.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was mainly due to non finalization of land.

5. **Under Major Head “4059”** – Capital Outlay on Public Works – (A) Office Buildings – Construction. – (i) UTCS Buildings – Saving of ₹153.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(ii) Court Buildings – Saving of ₹135.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9200.00 lakhs) was mainly due to work not finished as anticipated.

(iii) नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड्स - 147.13 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(iv) चुनाव कार्यालय भवन - 153.02 लाख रुपये की बचत (400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(v) दिल्ली औषधीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान - 740.07 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

6. मुख्यशीर्ष "4070" - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय - अन्य व्यय - दिल्ली अग्निशमन सेवाएं - 454.08 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति एवं नए भूखण्डों का चयन और निर्माण की योजनाओं को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण हुई ।

7. मुख्यशीर्ष "4202" - शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय - (अ) सामान्य शिक्षा - विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित कालेज भवनों का निर्माण - 1716.80 लाख रुपये की बचत (10500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ब) तकनीकी शिक्षा - (क) इंजीनियरिंग/तकनीकी शिक्षा कालेज एवं संस्थान - (i) जी.बी. पंत इंजीनियरिंग कालेज - 270.99 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ii) सरकारी इंजीनियरिंग कालेज, जफरपुर - 115.80 लाख रुपये की बचत (150.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ख) पालिटेक्निक - भवन - 286.25 लाख रुपये की बचत (600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

8. मुख्यशीर्ष "4210" - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय - (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवायें - अस्पताल एवं औषधालय - भवन - (i) अस्पताल भवनों का निर्माण - 15579.96 लाख रुपये की बचत (38800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति एवं भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों का निपटारा न होने के कारण हुई ।

(ii) आईएसएम एवं होम्योपैथी निदेशालय - 217.20 लाख रुपये की बचत (250.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(iii) Civil Defence & Home Guards – Saving of ₹147.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was mainly due to non receipt of sanction.

(iv) Election office building – Saving of ₹153.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(v) Delhi Institute of Pharmaceutical Science and Research - Saving of ₹740.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

6. Under Major Head “4070” – Capital Outlay on Other Administrative Services – Other Expenditure – Delhi Fire Services - Saving of ₹454.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work & acquisition of new plots & buildings plans, yet to be finalized.

7. Under Major Head “4202” – Capital Outlay on Education, Sports, Art & Culture – (A) General Education – University and higher Education – Construction of Delhi Govt. Sponsored College Buildings – Saving of ₹1716.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(B) Technical Education – (a) Engineering Technical Colleges and Institutes – (i) G.B. Pant Engineering College – Saving of ₹270.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(ii) Govt. Engineering College, Jaffarpur - Saving of ₹115.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(b) Polytechnics – Buildings – Saving of ₹286.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

8. Under Major Head “4210” – Capital Outlay on Medical and Public Health – (A) Urban Health Schemes – (a) Hospital and Dispensaries – Buildings – (i) Construction of Buildings for Hospitals – Saving of ₹15579.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38800.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work & proposals of acquisition of land not finalized.

(ii) Directorate of ISM & Homoeopathy – Saving of 217.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(iii) डॉ० हेडगेवार आरोग्य संस्थान कड़कड़डूमा अस्पताल - 101.87 लाख रुपये की बचत (400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(iv) गीता कालोनी में 200 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सा अस्पताल - 100.17 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(v) श्री दादादेव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय - 139.03 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(vi) डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल - 202.92 लाख रुपये की बचत (900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(vii) जी.बी. पंत अस्पताल - 112.75 लाख रुपये की बचत (1300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(viii) जी.टी.बी. मेडिकल कॉलेज अस्पताल - 111.03 लाख रुपये की बचत (3500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ix) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल - 137.09 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(x) भगवान महावीर अस्पताल - 130.60 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(xi) राव तुला राम अस्पताल - 1198.04 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - (i) लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (एस.सी.एस.पी.) - 180.48 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ii) औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण (एस.सी.एस.पी.) - 156.57 लाख रुपये की बचत (1200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(iii) Dr. Hedgewar Arogya Sansthan at Karkardooma – Saving of 101.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(iv) Construction of 200 bedded super specialty pediatric hospital at Geeta Colony – Saving of 100.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(v) Shri Dadadeo Matri Avam Shishu Chikitsalaya – Saving of 139.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(vi) Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital – Saving of 202.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(vii) G.B. Pant Hospital – Saving of 112.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(viii) G.T.B. Medical College Hospital – Saving of 111.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(ix) Deen Dayal Upadhyay Hospital – Saving of 137.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(x) Bhagwan Mahavir Hospital – Saving of ₹130.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(xi) Rao Tula Ram Hospital – Saving of ₹1198.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(b) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Lal Bahadur Shastri Hospital (SCSP) – Savings of ₹180.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(ii) Construction of Building for Dispensary/Health Centres (SCSP) – Savings of ₹156.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(iii) गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, रघुवीर नगर (एस.सी.एस.पी.) - 1476.91 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ब) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान - (क) एलोपैथी - भवन - एम.ए.एम. कालेज भवन - 550.68 लाख रुपये की बचत (2590.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ख) आयुर्वेद - भवन - आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिबिया कालेज का नवीकरण - 253.50 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

9. मुख्यशीर्ष "4235"- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय - समाज कल्याण - (क) विकलांग कल्याण - मंदबुद्धि बच्चों के लिए घरों का विकास - 113.75 लाख रुपये की बचत (315.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ख) अन्य व्यय - (i) मौजूदा भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (पीडब्लूडी) - 192.12 लाख रुपये की बचत (900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ii) समाज कल्याण विभाग के लिए भवनों का निर्माण - 229.49 लाख रुपये की बचत (400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ग) बाल कल्याण - किशोर न्याय अधिनियम, 2000 का क्रियान्वयन - 262.65 लाख रुपये की बचत (350.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

10. मुख्यशीर्ष "4250"- सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय - रोजगार - (क) आई.टी.आई. का निर्माण - 1210.67 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(ख) रोजगार कार्यालय का निर्माण - 142.53 लाख रुपये की बचत (170.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

11. मुख्यशीर्ष "5054"- सड़कों एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय - जिला एवं अन्य सड़कों - अन्य व्यय - (i) यमुनापार में सड़कों एवं पुलों का निर्माण - 290.86 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(iii) Guru Gobind Singh Hospital at Raghubir Nagar (SCSP) – Savings of ₹1476.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(B) Medical Education, Training and Research – (a) Allopathy – Buildings – M.A.M. College Building – Saving of ₹550.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2590.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(b) Ayurveda – Buildings – Renovation of Ayurvedic & Unani Tibbia College – Saving of ₹253.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

9. **Under Major Head “4235” – Capital Outlay on Social Security & Welfare – Social Welfare – (a) Welfare of Handicapped – Development of home for mentally retarded – Savings of ₹113.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹315.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.**

(b) Other Expenditure – (i) Provision of additional facilities in the existing buildings (PWD) – Savings of ₹192.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(ii) Construction of building for Social Welfare Department – Savings of ₹229.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(c) Child Welfare – Implementation of Juvenile Justice Act, 2000 – Savings of ₹262.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

10. **Under Major Head “4250” – Capital Outlay on Other Social Services – Employment – (a) Construction of I.T.Is – Saving of ₹1210.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.**

(b) Construction of Employment Exchanges – Saving of ₹142.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹170.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

11. **Under Major Head “5054” – Capital Outlay on Roads & Bridges – District and other roads – Other Expenditure – (i) Construction of Roads & Bridges in Trans Yamuna Area – Saving of ₹290.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.**

(ii) सीआरएफ योजना - 4976.95 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

(iii) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन - 5024.88 लाख रुपये की बचत (20000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

12. मुख्यशीर्ष "5475" - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय - अन्य व्यय - नाप व तौल विभाग के लिए भवन का निर्माण - 346.98 लाख रुपये की बचत (415.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

13. मुख्यशीर्ष "4225" - अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. के कल्याण पर पूंजी परिव्यय - सामान्य - अन्य व्यय - केआईएसएस सोसायटी के सहयोग से अ.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के लिए इश्नापुर गांव दिल्ली में आवासीय विद्यालय एवं अनाथालय का निर्माण - 141.96 लाख रुपये की बचत (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।

14. मुख्यशीर्ष "6801" - ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण - (अ) डीजल/गैस पावर जेनेरेशन - जे.ई.एन.सी.ओ. को ऋण - प्रगति पावर परियोजना-III, बवाना को ऋण - 4600.00 लाख रुपये की बचत (14600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण हुई ।

(ब) सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अन्य उपक्रमों को ऋण - दिल्ली ट्रांसको लि० को ऋण - 2500.00 लाख रुपये की बचत (22000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण हुई ।

इसके अतिरिक्त 503.80 लाख रुपये की बचत 8 उपशीर्षों के अन्तर्गत थी जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुये अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसन्तुलित की गई थी :-

1. मुख्यशीर्ष "6215" - जल आपूर्ति एवं सफाई के लिये ऋण - सीवरेज एवं स्वच्छता - स्थानीय निकायों, निगमों इत्यादि को ऋण - 7999.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (30501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी होने के कारण हुआ ।

(i) दिल्ली जल बोर्ड को जेएनएनयूआरएम परियोजना के लिए ऋण - 34036.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1411.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी होने के कारण हुआ ।

(ii) CRF Schemes – Saving of ₹4976.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

(iii) Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission – Saving of ₹5024.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

12. **Under Major Head “5475”** – Capital Outlay on Other General Economic Services – Other Expenditure – Construction of buildings for Weight and Measures – Saving of ₹346.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹415.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

13. **Under Major Head “4225”** – Capital Outlay on Welfare of SC / ST and Other Backward Classes – General – Other Expenditure – Construction of Residential School for weaker section of SC/OBC/Minorities and orphan at Village Inshopur, Delhi in collaboration with KISS Society - Saving of ₹141.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work.

14. **Under Major Head “6801”** – Loan for Power Projects – (A) Diesel/Gas Power Generation – Loan to GENCO – Loans to Pragati Power Project-III, Bawana - Saving of ₹4600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14600.00 lakhs) was mainly due to release of less loans.

(B) Loan to Public Sector and other Undertakings – Loan to Delhi Transco Ltd. – Saving of ₹2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22000.00 lakhs) was mainly due to release of less loans.

Further, savings of ₹503.80 lakhs remained under eight sub-heads which exceeded ₹50.00 lakhs but less than ₹1.00 crore.

The above savings were partly off-set by excesses under the following heads: –

1. **Under Major Head “6215”** – Loans for Water Supply and Sanitation – Sewerage and Sanitation – Loans to Local Bodies, Municipalities etc. - Excess of ₹7999.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of more loan.

(i) Loans to Delhi Jal Board for JNNURM Project – Excess of ₹34036.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1411.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of more loan.

2. **मुख्यशीर्ष "4059"** – सार्वजनिक कार्यों पर पूंजी परिव्यय – अन्य भवन – निर्माण – न्याय प्रशासन – न्यायपालिका के लिए ढांचागत सुविधाएं (सीएसएस) – 593.74 लाख रुपये का अधिक व्यय (3400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी प्रगति के कारण हुआ ।
3. **मुख्यशीर्ष "4070"** – अन्य प्रशासनिक कार्यों पर पूंजी परिव्यय – अन्य व्यय – केन्द्रीय कारागार भवन – 624.46 लाख रुपये का अधिक व्यय (9500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी प्रगति के कारण हुआ ।
4. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – सामान्य शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा – माध्यमिक स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण – 5676.21 लाख रुपये का अधिक व्यय (25701.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी प्रगति के कारण हुई ।
5. **मुख्यशीर्ष "4210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय – शहरी स्वास्थ्य योजनाएं – अस्पताल व औषधालय – भवन – (i) डीडीयू सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जनकपुरी – 213.11 लाख रुपये का अधिक व्यय (100.00 लाख रुपये स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी प्रगति के कारण हुआ ।

(ii) लोक नायक अस्पताल – 556.86 लाख रुपये का अधिक व्यय (3000.00 लाख रुपये स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी प्रगति के कारण हुआ ।
6. **मुख्यशीर्ष "5054"** – सड़कों व पुलों पर पूंजी परिव्यय – जिला एवं अन्य सड़कें – अन्य व्यय – (i) सड़कों व पुलों का निर्माण – 5276.03 लाख रुपये का अधिक व्यय (135000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी प्रगति के कारण हुआ ।

(ii) जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत डीटी एवं टीडीसी के द्वारा सड़कों व पुलों का निर्माण – 4500.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (4700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी प्रगति के कारण हुआ ।
7. **मुख्यशीर्ष "4801"** – ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय – प्रेषण एवं वितरण – अन्य व्यय – भूमि की खरीद – 6032.65 लाख रुपये का अधिक व्यय (2500.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भूमि की खरीद के कारण हुआ ।

इसके अतिरिक्त 98.15 लाख रुपये का अधिक व्यय एक उपशीर्षों के अन्तर्गत था जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम था ।

2. **Under Major Head "4059"** – Capital Outlay on Public Works – Other Buildings – Construction – Administration of Justice – Infrastructural facilities for Judiciary (CSS) – Excess of ₹593.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3400.00 lakhs) was mainly due to good progress of work.
3. **Under Major Head "4070"** – Capital Outlay on Other Administrative Services – Other Expenditure – Central Jail Building – Excess of ₹624.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9500.00 lakhs) was mainly due to good progress of work.
4. **Under Major Head "4202"** – Capital Outlay on Education, Sports, Art & Culture – General Education – Secondary Education – Construction of building for Secondary Schools – Excess of ₹5676.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25701.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to good progress of work.
5. **Under Major Head "4210"** – Capital Outlay on Medical and Public Health – Urban Health Schemes – Hospitals and Dispensaries – Buildings – (i) DDU Super Specialty Hospital Janak Puri – Excess of 213.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100.00 lakhs) was mainly due to good progress of work.

(ii) Lok Nayak Hospital – Excess of ₹556.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was mainly due to good progress of work.
6. **Under Major Head "5054"** – Capital Outlay on Roads & Bridges – District and Other Roads – Other Expenditure – (i) Construction of Roads & Bridges – Excess of ₹5276.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹135000.00 lakhs) was mainly due to good progress of work.

(ii) Construction of Roads & Bridges through DT & TDC under JNNURM – Excess of ₹4500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4700.00) was mainly due to good progress of work.
7. **Under Major Head "4801"** – Capital Outlay on Power Projects – Transmission & Distribution – Other Expenditure – Purchase of Land – Excess of ₹6032.65 lakhs (against the supplementary provision of ₹2500.00 lakh) was mainly due to purchase of land.

Further, Excess of ₹98.15 lakhs remained under one sub-head which exceeded ₹50.00 lakhs but less than ₹1.00 crore.

**अनुदान संख्या 12 – सरकारी कर्मचारियों को ऋण
(सभी स्वीकृत)**

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
			(हजार रूपयों में)
पूँजीगत			
स्वीकृत –	2,50,00	70,57	-1,79,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-1,59,00

टीका एवं टिप्पणियाँ

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 179.43 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 71.77 प्रतिशत थी । 1.00 लाख रूपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

इसके अतिरिक्त 139.38 लाख रूपये की बचत दो उपशीर्षों के अन्तर्गत थी जोकि 50.00 लाख रूपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

**GRANT NO. 12 – LOANS TO GOVERNMENT SERVANTS
(ALL VOTED)**

	Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)			
CAPITAL			
Voted –	2,50,00	70,57	-1,79,43
Amount surrendered during the year			-1,59,00

Notes and Comments

In the **Voted portion of the grant**, the overall saving of ₹179.43 lakhs constituted 71.77% of the sanctioned provision. An amount of ₹1.00 lakhs remained wholly unutilized under one sub head.

Further, saving of ₹139.38 lakhs remained under two sub-heads which exceeded ₹50.00 lakhs but less than ₹1.00 crore.

सार्वजनिक ऋण (सभी प्रभारित)

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित -			
मू. 3279,53,00)			
पू. 1,00)	3279,54,00)	2773,99,84)	-505,54,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-205,48,00
पूंजीगत			
प्रभारित -			
मू. 1676,73,00)			
पू. 2,00)	1676,75,00	1346,72,45	-330,02,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 50554.16 लाख रुपये की कुल बचत थी जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 15.41 प्रतिशत थी । 30006.00 लाख रुपये की राशि दो उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। इसमें शामिल है - मुख्यशीर्ष "2049" - ब्याज का भुगतान - केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज - गैर योजना स्कीमों के ऋण पर ब्याज - 30000.00 लाख रुपये - योजना का क्रियान्वयन न होने के कारण ।

बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मुख्यशीर्ष "2049"			
अ. 1 - ब्याज का भुगतान			
मू. 327953.00)			
पू. 1.00)			
पू. -20548.00)	307406.00	277399.84	-30006.16

PUBLIC DEBT (ALL CHARGED)

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)				
REVENUE				
<u>Charged</u>				
<u>Original</u>	<u>3279,53,00)</u>			
<u>Supplementary</u>	<u>1,00)</u>	<u>3279,54,00</u>	<u>2773,99,84</u>	<u>-505,54,16</u>
Amount surrendered during the year				<u>-205,48,00</u>
CAPITAL				
<u>Charged -</u>				
<u>Original</u>	<u>1676,73,00)</u>			
<u>Supplementary</u>	<u>2,00)</u>	<u>1676,75,00</u>	<u>1346,72,45</u>	<u>-330,02,55</u>
Amount surrendered during the year				<u>NIL</u>

Notes and Comments

In the **Charged portion of the Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹50554.16 lakhs constituted 15.41% of the total appropriation. An amount of ₹30006.00 lakhs remained wholly unutilized under two sub heads. This includes the **Major Head "2049" - Interest Payment - Interest of loans and Advances from central Govt. - Interest on loans for non plan schemes - ₹30000.00 lakhs - due to non implementation of scheme.**

Saving / Excess occurred under the following Major Head: -

(In lakhs of rupees)

Major Head "2049"				
A.1-Interest Payments				
<u>O.</u>	<u>327953.00)</u>			
<u>S.</u>	<u>1.00)</u>			
<u>R.</u>	<u>-20548.00)</u>	<u>307406.00</u>	<u>277399.84</u>	<u>-30006.16</u>

बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

1. मुख्यशीर्ष "2049"- ब्याज का भुगतान - केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज - राज्य/संघ क्षेत्र की योजना स्कीमों के ऋण पर ब्याज - 20553.16 लाख रुपये की बचत (297953.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम ऋण प्राप्त होने के कारण हुई ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में 33002.55 लाख रुपये की कुल बचत थी (167675.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 19.68 प्रतिशत थी । 33002.00 लाख रुपये की राशि दो उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । इसमें शामिल है - मुख्यशीर्ष "6004"- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम - गैर योजना ऋण - संसाधनों के अंतर को कम करने के लिए ऋण - 33000.00 लाख रुपये - प्रस्ताव के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने के कारण ।

Savings occurred under the following sub-head: -

1. Under Major Head "2049" – Interest Payments – Interest on Loans and Advances from Central Government – Interest on Loans for State/Union Territory Plan Schemes – Saving of ₹20553.16 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹297953.00 lakhs) was mainly due to receipt of less loan from Govt. of India.

In the Charged portion of the Capital Section, the overall saving of ₹33002.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹167675.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) constituted 19.68% of the total appropriation. An amount of ₹33002.00 lakhs remained wholly unutilized under two sub heads. This includes the Major Head "6004" – Loans & Advances from Central Government – Non-Plan Loans – Loan to cover gap in resources – ₹33000.00 lakhs – due to proposal not finalized.

अनुदान संख्या 13 – पेंशन

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
पूजीगत			
स्वीकृत –	116,00,00	63,13	-115,36,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-कुछ नहीं
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 11536.87 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 99.45 प्रतिशत थी ।

11350.00 लाख रूपये की राशि एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। मुख्यशीर्ष "2071" के अंतर्गत – पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ – सिविल – सरकारी अंशदान पेंशन योजना – सरकारी अंश – फाईनल पेंशन योजना न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपये में)

मुख्यशीर्ष "2071"			
अ. 1 – पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	11600.00	63.13	-11536.87

बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

- मुख्यशीर्ष "2071" – पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ – नागरिक – विधायिकाओं को पेंशन – पूर्व विधायकों को पेंशन – 186.87 लाख रूपये की बचत (250.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पेंशन केसों को निपटाने में देरी होने के कारण हुई।

GRANT NO. 13 – PENSIONS

	Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
--	------------------------------------	-----------------------	--------------------------

(In thousand of rupees)

REVENUE

Voted –	116,00,00	63,13	-115,36,87
----------------	-----------	-------	------------

Amount surrendered during the year NIL

Notes and Comments

In the **Voted portion of the grant**, the overall saving of ₹11536.87 lakhs constituted 99.45% of the sanctioned provision.

An amount of ₹11350.00 lakhs remained wholly unutilized under one sub head. This includes **Major Head “2071” – Pension and Other Retirement Benefits – Civil – Govt. Contribution Pension Scheme – Govt. Contribution – due to non finalization of pension scheme.**

Saving / Excess occurred mainly under the following Major Head: -

(In lakhs of rupees)

Major Head “2071”			
A.1-Pension and Other Retirement Benefits	11600.00	63.13	-11536.87

Saving occurred mainly under the following sub-head: -

- Under Major Head “2071” – Pension and Other Retirement Benefits – Civil – Pension to Legislators – Pension to Ex. MLAs - Saving of ₹186.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) was mainly due to delay in finalization of pension cases.**

2014-15 की वसूलियों का विवरण

अनुदान की संख्या तथा नाम		बजट अनुमान		वास्तविक वसूलियाँ		बचत (-)/अधिक (+)	
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(हजार रूपयों में)							
1-विधान सभा	स्वीकृत	0	0	6	0	6	0
2-सामान्य प्रशासन	प्रभारित	0	0	113	0	113	0
	स्वीकृत	0	0	612	0	612	0
3-न्याय प्रशासन	प्रभारित	0	0	369	0	369	0
	स्वीकृत	0	0	20388	0	20388	0
4-वित्त	प्रभारित	0	0	0	0	0	0
	स्वीकृत	0	0	18138	0	18138	0
5-गृह	स्वीकृत	0	0	1437	0	1437	0
6-शिक्षा	स्वीकृत	0	0	211156	2407	211156	2407
7-चिकित्सा, एवं जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	0	0	14167	0	14167	0
8-समाज कल्याण	स्वीकृत	0	0	192876	18132	192876	18132
9-उद्योग	स्वीकृत	0	0	178091	0	178091	0
10-विकास	प्रभारित	0	0	0	0	0	0
	स्वीकृत	0	0	75844	0	75844	0
11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	प्रभारित	0	0	0	0	0	0
	स्वीकृत	0	0	103837	2889	103837	2889
योग-	प्रभारित	0	0	482	0	482	0
	स्वीकृत	0	0	816552	23428	816552	23428

Statement of Recoveries for the period 2014-15

No. & Name of Grant		Budget Estimates		Actual Recoveries		Savings(-)/Excess(+)	
		Revenue	Capital	Revenue	Capital	Revenue	Capital
(In thousand of rupees)							
1- Legislative Assembly	Voted	0	0	6	0	6	0
2-General Administration	Charged	0	0	113	0	113	0
	Voted	0	0	612	0	612	0
3-Admn. of Justice	Charged	0	0	369	0	369	0
	Voted	0	0	20388	0	20388	0
4-Finance	Charged	0	0	0	0	0	0
	Voted	0	0	18138	0	18138	0
5-Home	Voted	0	0	1437	0	1437	0
6-Education	Voted	0	0	211156	2407	211156	2407
7-Medical & Public Health	Voted	0	0	14167	0	14167	0
8-Social Welfare	Voted	0	0	192876	18132	192876	18132
9-Industries	Voted	0	0	178091	0	178091	0
10-Development	Charged	0	0	0	0	0	0
	Voted	0	0	75844	0	75844	0
11-Urban Development & Public Works Department	Charged	0	0	0	0	0	0
	Voted	0	0	103837	2889	103837	2889
Total	Charged	0	0	482	0	482	0
	Voted	0	0	816552	23428	816552	23428

